



# राजस्थान सरकार

## वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

### 2020—21



## जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

### उदयपुर


1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

फोन: 0294-2427004 फैक्स: 0294-2428721

ईमेल: comm.tad@rajasthan.gov.in वेबसाइट: www.tad.rajasthan.gov.in

# SCHEDULED AREA OF RAJASTHAN

(As per Notification of Govt. of India 2018)



# विषय-सूची

| क्र. सं. | अध्याय  | पृष्ठ संख्या |
|----------|---|--------------|
| 1.       | अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग    | 1–8          |
| 2.       | जनजाति विकास के प्रमुख कार्यक्रम/ योजनाएँ                               | 9–16         |
| 3.       | जनजाति विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की प्रगति                           | 17–35        |
| 4.       | माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर            | 36–38        |
| 5.       | राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर                  | 39–44        |
| 6.       | स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर (स्वच्छ परियोजना) | 45–56        |
| 7.       | अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित अधिनियम/ नियम/परिपत्र    | 57–65        |

## परिशिष्ट

|   |  |       |
|---|--|-------|
| 1 | अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण  | 66    |
| 2 | अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 | 67–70 |
| 3 | माडा क्षेत्र एवं माडा कलस्टर क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण                                  | 71–72 |
| 4 | बिखरी जनजाति की जनसंख्या का विवरण  | 73    |
| 5 | सहरिया क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण  | 74    |
| 6 | राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद नियम, 1980 में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 15.06.16      | 75    |
| 7 | राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य के मनोनीत आदेश दिनांक 27.11.2019 | 76–77 |
| 8 | विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों की सूची   | 78–90 |

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 9  | विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों, आवासीय छात्रावासों, खेल छात्रावास, एकलव्य मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल बहुउद्देशीय छात्रावासों में प्रवेश एवं क्षमता का विवरण व सूची  | 91—95   |
| 10 | अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी राजकीय सेवाओं पदों पर सीधी भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों का आरक्षण संबंधी अधिसूचना दिनांक 04.07.2016                                     | 96—97   |
| 11 | अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्मिकों को 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के कार्मिक को 5 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना दिनांक 04.07.16 | 98      |
| 12 | सम्पूर्ण राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग को देय 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने की विभिन्न विभागों के आदेश की प्रतियां।                               | 99—105  |
| 13 | सहरिया क्षेत्र में आरक्षण संबंधी कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.05.2013  | 106—107 |
| 14 | कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21.10.2019  | 108—110 |

## अध्याय – 1

# अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

### स्थापना

भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण हेतु राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया गया है, इन्ही शक्तियों के आधार पर राजस्थान में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गयी। जिससे एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये कार्यक्रमों के विकास के लिये कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय किया जा सकें।

### उद्देश्य

विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना एवं अनुसूचित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय, नियंत्रण एवं निर्देशन कर जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास करना तथा जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन करना है।

### अनुसूचित क्षेत्र

संविधान की पांचवी अनुसूची के भाग—ग के अनुसार “अनुसूचित क्षेत्र” पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है, जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.02.1981 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को राजस्थान राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया है।

### अनुसूचित जनजाति

“अनुसूचित जनजातियाँ” शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में इस प्रकार की गई है, “ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंतर्गत भागों या समूहों,

जिन्हे संविधान के प्रयोजन के लिये अनु. 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों होना समझा जाता है।"

राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सूची –

| क्र.सं. | अनुसूचित जनजातियां   |
|---------|--|
| 1.      | भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे |
| 2.      | भील मीना   |
| 3.      | डामोर, डामरिया   |
| 4.      | धनका, तडवी, वलवी, तेतारिया   |
| 5.      | गरासिया (राजपूत, गरासिया को छोड़कर)  |
| 6.      | काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढोर कातकरी, सोन काथोडी, सोन कातकरी   |
| 7.      | कोकना, कोकनी, कूकना  |
| 8.      | कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा   |
| 9.      | मीना   |
| 10.     | नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कापडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका   |
| 11.     | पटेलिया  |
| 12.     | सेहरिआ, सेहारिआ, सहारिया   |

भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के तहत भारत के निम्न राज्यों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जो कि वर्तमान में उनके मूल अथवा संशोधित रूप में है—

| क्र.सं. | राज्य का नाम               | अधिसूचना जारी होने की दिनांक | आदेश   |
|---------|----------------------------|------------------------------|--|
| 1.      | आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना | 26.01.1950<br>07.12.1950     | अनुसूचित क्षेत्र (भाग अ राज्य) आदेश, 1950<br>अनुसूचित क्षेत्र (भाग ब राज्य) आदेश, 1950 |
| 2.      | हिमाचल प्रदेश              | 21.11.1975                   | अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975  |
| 3.      | गुजरात                     | 31.12.1977                   | अनुसूचित क्षेत्र (गुजरात) आदेश, 1977   |
| 4.      | उडीसा                      | 31.12.1977                   | अनुसूचित क्षेत्र (उडीसा) आदेश, 1977  |
| 5.      | राजस्थान                   | 12.02.1981<br>19.05.2018     | अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान) आदेश, 1981,<br>संशोधित अनु० क्षेत्र (राजस्थान) आदेश 2018   |
| 6.      | महाराष्ट्र                 | 02.12.1985                   | अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985   |
| 7.      | छत्तीसगढ़                  | 20.02.2003                   | अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़) आदेश, 2003  |
| 8.      | मध्यप्रदेश                 | 20.02.2003                   | अनुसूचित क्षेत्र (मध्यप्रदेश) आदेश, 2003   |
| 9.      | झारखण्ड                    | 11.04.2007                   | अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड) आदेश, 2007  |

**जनजाति विकास के लिये निम्नानुसार कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया गया—**

**अ. अनुसूचित क्षेत्र**

**ब. परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा)**

**स. माडा कलस्टर योजना क्षेत्र**

**द. बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र**

**य. सहरिया आदिम जाति क्षेत्र**

**अ.अनुसूचित क्षेत्र**

राज्य के दक्षिण में स्थित 8 जिलों की 45 तहसीलों के 5696 ग्रामों को मिलाकर अनुसूचित क्षेत्र निर्मित किया गया है जिसमें जनजातियों का सघन आवास है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 64.63 लाख है जिसमें जनजाति जनसंख्या 45.51 लाख है, जो इस क्षेत्र की जनसंख्या का 70.42 प्रतिशत है।

अनुसूचित क्षेत्र की अधिसूचना दिनांक 19.5.2018 के पश्चात 8 जिलों में से बांसवाड़ा, ढूंगरपुर, प्रतापगढ़ के सम्पूर्ण जिले, उदयपुर, सिरोही, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, पाली जिले के आंशिक क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

- **बांसवाड़ा** जिले की सम्पूर्ण 11 तहसील,
- **ढूंगरपुर** जिले की सम्पूर्ण 9 तहसील,
- **प्रतापगढ़** जिले की सम्पूर्ण 5 तहसील,
- **उदयपुर** (कुल 14 तहसील)— 9 पूर्ण तहसील क्रमशः कोटडा, झाडोल, (तत्कालीन फलासिया), लसाड़िया, सलुम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, गोगुन्दा, सेमारी तहसील। गिर्वा तहसील की सम्पूर्ण गिर्वा पंचायत समिति, बडगांव तहसील के 35 गांव एवं वल्लभनगर तहसील के 5 गांव, भीण्डर तहसील के 17 गांव व मावली तहसील के 4 गांव।
- **सिरोही** जिले की आबूरोड तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं पिण्डवाडा तहसील के 51 गांव।
- **राजसमन्द** जिले की नाथद्वारा तहसील के 15 गांव व कुम्भलगढ़ तहसील के 16 गांव।
- **चित्तौड़गढ़** जिले की बडीसादडी तहसील के 51 गांव
- **पाली** जिले की बाली तहसील के 33 गांव सम्मिलित है।

इस क्षेत्र में आवासित जनजाति में भील, मीणा, गरासिया व डामोर प्रमुख हैं। तहसीलवार व जिलेवार जनसंख्या तथा क्षेत्र का विवरण **परिशिष्ठ-1** पर उपलब्ध है।

अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.05.18 की प्रति **परिशिष्ठ-2** पर संलग्न है।

### **ब. परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा)**

अनुसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघु खण्ड की कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत हो तथा गांव एक दूसरे से जुड़े हुए हो व सीमा पर स्थित सभी ग्रामों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी हो, के आधार पर माडा क्षेत्र बनाया गया है।

इस योजना के अंतर्गत 18 जिलों में 44 माडा लघु खण्डों का गठन किया है, जिसमें 3258 ग्राम सम्मिलित है। 2011 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 29.67 लाख है, जिसमें जनजाति जनसंख्या 15.89 लाख है जो इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 53.56 प्रतिशत है। इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच माडा क्षेत्र के ग्रामों से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नहीं है। इस क्षेत्र में मीणा जनजाति का बाहुल्य है। जिलेवार माडा लघु खण्डों की जनसंख्या का विवरण **परिशिष्ठ-3** पर उपलब्ध है।

### **स. माडा कलस्टर योजना क्षेत्र**

ऐसे कलस्टर जिनकी कुल जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तथा जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजाति की है, में माडा कलस्टर योजना लागू की जाकर विकास कार्यक्रम कियान्वित किये जा रहे हैं। राज्य के 8 जिलों में 11 माडा कलस्टर्स स्वीकृत है जिसमें 159 ग्राम सम्मिलित है। जनगणना 2011 के अनुसार माडा कलस्टर क्षेत्र की जनसंख्या 1.21 लाख है जिसमें से जनजाति जनसंख्या 0.67 लाख है जो कलस्टर्स की कुल जनसंख्या का 55.84 प्रतिशत है। इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच माडा कलस्टर क्षेत्र के ग्रामों से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नहीं है। जिलेवार माडा कलस्टर का विवरण **परिशिष्ठ- 3** पर उपलब्ध है।

## **द. बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र**

अनुसूचित क्षेत्र, माडा लघु खण्ड, माडा कलस्टर एवं सहरिया क्षेत्र के अतिरिक्त 29. 28 लाख जनजाति के व्यक्ति 30 जिलों में बिखरे हुए हैं। जिलेवार बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र जनसंख्या परिशिष्ठ-4 पर उपलब्ध है।

## **य. सहरिया आदिम जाति क्षेत्र**

राज्य की एक मात्र आदिम जाति सहरिया है जो बांरा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। उक्त दोनों ही तहसीलों के क्षेत्रों को सहरिया क्षेत्र में सम्मिलित किया जाकर सहरिया वर्ग के विकास के लिये सहरिया विकास समिति का गठन किया गया है। सहरिया आदिम जाति की जनसंख्या का विवरण माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा वर्ष 2002 में किये गये सर्वे रिपोर्ट से लिया गया है। सहरिया आदिम जाति क्षेत्र का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ठ-5 पर उपलब्ध है।

## **जनजातीय विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण**

जनजातीय विकास के लिये निधियाँ निम्नलिखित स्रोतों से आती हैं :—

- राज्य योजना में जनजाति कल्याण निधि
- राज्य योजना प्रवाह
- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान
- विशेष केन्द्रीय सहायता
- केन्द्रीय प्रवर्तित योजना
- सेन्ट्रल सेक्टर योजना

## **राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद (T.A.C.)**

संविधान की अनुसूची 5 के पैरा 4 पार्ट बी के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है उसमें एक अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद का प्रावधान है।

इस परिषद के गठन का उद्देश्य जनजाति विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा करना तथा नई योजनाओं के लिए परामर्श देना है तथा राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देना है जो राज्यपाल उन्हें निर्दिष्ट करें।

राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद नियम, 1980 के नियम 3(2) में अधिसूचना दिनांक 15.06.16 से संशोधन किया जाकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को पदेन अध्यक्ष एवं मंत्री/राज्यमंत्री जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पदेन उपाध्यक्ष होने का प्रावधान किया गया है। संशोधन किये जाने की अधिसूचना **परिशिष्ठ-6** पर उपलब्ध है।

राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद का पुर्नगठन प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग जयपुर द्वारा आदेश क्रमांक प.6(32)प्र.सु./अनु-3/1991 / दिनांक 27.11.2019 द्वारा किया गया है। (**परिशिष्ठ-7**)

## प्रशासकीय संगठन एवं विभागीय ढाँचा

जनजाति कल्याण एवं विकास के प्रभारी मंत्री जनजाति विकास मंत्री है। कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिये एक प्रशासनिक संगठन आवश्यक है। इसके लिये विभिन्न स्तरों पर जनजाति क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत राज्य स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होता है जिसके प्रशासनिक प्रभारी प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर है। वे जनजाति विकास कार्यक्रमों का समन्वय, समीक्षा एवं प्रबोधन करते हैं। उनकी सहायता के लिये सचिवालय स्तर पर संयुक्त शासन सचिव एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं।

जनजाति विकास की योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं प्रबोधन के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। इसके विभागाध्यक्ष आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है। आयुक्त की सहायता के लिये 4 अतिरिक्त आयुक्त एवं उप निदेशक (सु.व्य.) पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा विभिन्न विषय विशेषज्ञों के रूप में वित्तीय सलाहकार, निदेशक (सांख्यिकी), संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी), संयुक्त निदेशक (कृषि), अधीक्षण अभियन्ता, उप निदेशक (तकनीकी शिक्षा), उप निदेशक (शिक्षा), 2 उप निदेशक (सांख्यिकी), एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), अधिशाषी अभियन्ता, सहायक निदेशक (सांख्यिकी), सहायक विधि परामर्शी, कर्निष्ठ अनुसंधान अधिकारी, निजी सचिव, खेल अधिकारी तथा 3 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजित हैं।

विभाग में सृजित एवं पदस्थापित अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण 31.12.2020

| क्र.सं. | पद का नाम                             | सृजित पदों की संख्या | पदस्थापित | रिक्त पद |
|---------|---------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 1       | आयुक्त                                | 1                    | 1         | 0        |
| 2       | संयुक्त शासन सचिव                     | 1                    | 1         | 0        |
| 3       | अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)               | 1                    | 1         | 0        |
| 4       | अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)             | 1                    | 1         | 0        |
| 5       | अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय)               | 1                    | 0         | 1        |
| 6       | अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ)              | 1                    | 0         | 1        |
| 7       | निदेशक, टीआरआई                        | 1                    | 1         | 0        |
| 8       | निदेशक (सांख्यिकी)                    | 2                    | 1         | 1        |
| 9       | वित्तीय सलाहकार                       | 1                    | 0         | 1        |
| 10      | संयुक्त निदेशक (कृषि)                 | 1                    | 0         | 1        |
| 11      | अधीक्षण अभियन्ता                      | 1                    | 1         | 0        |
| 12      | संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)            | 3                    | 3         | 0        |
| 13      | उप निदेशक (सुरक्षात्मक व्यवस्थापन)    | 1                    | 1         | 0        |
| 14      | उप निदेशक (तकनीकी शिक्षा)             | 1                    | 1         | 0        |
| 15      | उप निदेशक (शिक्षा)                    | 1                    | 1         | 0        |
| 16      | उप निदेशक (सांख्यिकी)                 | 3                    | 2         | 1        |
| 17      | एनालिस्ट कम प्रोग्रामर                | 1                    | 0         | 1        |
| 18      | अधिशाषी अभियन्ता                      | 1                    | 0         | 1        |
| 19      | उपायुक्त                              | 5                    | 4         | 1        |
| 20      | अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी  | 1                    | 0         | 1        |
| 21      | वरिष्ठ लेखाधिकारी                     | 1                    | 1         | 0        |
| 22      | सह-आचार्य                             | 1                    | 1         | 0        |
| 23      | व्याख्याता                            | 1                    | 0         | 1        |
| 24      | सहायक निदेशक (सांख्यिकी)              | 2                    | 2         | 0        |
| 25      | सहायक अभियन्ता                        | 5                    | 1         | 4        |
| 26      | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-IV             | 3                    | 3         | 0        |
| 27      | कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी               | 1                    | 0         | 1        |
| 28      | सहायक विधि परामर्शी                   | 1                    | 1         | 0        |
| 29      | निजी सचिव                             | 1                    | 0         | 1        |
| 30      | खेल अधिकारी                           | 1                    | 0         | 1        |
| 31      | अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी          | 5                    | 5         | 0        |
| 32      | अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (बालिका) | 4                    | 3         | 1        |
| 33      | कनिष्ठ अभियन्ता                       | 1                    | 0         | 1        |
| 34      | सांख्यिकी अधिकारी                     | 1                    | 1         | 0        |
| 35      | सहायक सांख्यिकी अधिकारी               | 2                    | 1         | 1        |

|    |                            |            |            |            |
|----|----------------------------|------------|------------|------------|
| 36 | प्रशासनिक अधिकारी          | 1          | 0          | 1          |
| 37 | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | 4          | 0          | 4          |
| 38 | अतिरिक्त निजी सचिव         | 1          | 1          | 0          |
| 39 | निजी सहायक                 | 1          | 1          | 0          |
| 40 | कलाकार                     | 1          | 1          | 0          |
| 41 | पुस्तकालयाध्यक्ष           | 1          | 0          | 1          |
| 42 | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-गा  | 11         | 5          | 6          |
| 43 | सहायक प्रशासनिक अधिकारी    | 14         | 1          | 13         |
| 44 | अनुसंधान सहायक             | 10         | 2          | 8          |
| 45 | कनिष्ठ लेखाकार             | 9          | 3          | 6          |
| 46 | आशु लिपिक                  | 10         | 4          | 6          |
| 47 | प्रोग्रामर                 | 1          | 1          | 0          |
| 48 | सहायक प्रोग्रामर           | 2          | 1          | 1          |
| 49 | सूचना सहायक                | 11         | 6          | 5          |
| 50 | वरिष्ठ सहायक               | 23         | 15         | 8          |
| 51 | कृषि पर्यवेक्षक            | 2          | 0          | 2          |
| 52 | कम्पाईलर                   | 11         | 2          | 9          |
| 53 | टेलीफोन ऑपरेटर             | 1          | 1          | 0          |
| 54 | कनिष्ठ सहायक               | 30         | 28         | 2          |
| 55 | इलेक्ट्रीशियन              | 1          | 1          | 0          |
| 56 | वाहन चालक                  | 6          | 3          | 3          |
| 57 | जमादार                     | 1          | 0          | 1          |
| 58 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी     | 51         | 28         | 23         |
| 59 | चौकीदार                    | 5          | 4          | 1          |
| 60 | बागवान                     | 1          | 1          | 0          |
| 61 | फराश                       | 3          | 1          | 2          |
|    | योग                        | <b>271</b> | <b>148</b> | <b>123</b> |

## अध्याय – 2

### जनजाति विकास के प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएँ

#### 1. आश्रम छात्रावासों का संचालन

जनजाति छात्र-छात्राएं उनके निवास स्थान के नजदीक वांछित स्तर का विद्यालय नहीं होने की स्थिति में तथा उनके परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण दूर-दराज के विद्यालयों में अध्ययन जारी नहीं रख पाते हैं। अतः ऐसे छात्र-छात्राएं अध्ययन जारी रख सकें, इस उद्देश्य से विभाग द्वारा 372 आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। जिनकी कुल छात्र क्षमता 25215 है जिसके विरुद्ध 23431 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। इन छात्रावासों में 2500/- रु प्रतिमाह प्रति छात्र-छात्रा की दर से निःशुल्क आवास, भोजन, पोशाक एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।

#### 2. आवासीय विद्यालय संचालन योजना

अनुसूचित, माडा तथा सहरिया क्षेत्र के जनजाति छात्र-छात्राओं में शिक्षा के उन्नयन हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक पदों पर शिक्षा विभाग से कर्मचारियों/ अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन पर लिये जाकर अध्ययन व्यवस्था संचालित की जा रही है। इन आवासीय विद्यालयों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का पैटर्न संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा 36 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जिनकी कुल छात्र क्षमता 2920 है जिसके विरुद्ध 2664 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है।

#### 3. मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल संचालन

अनुसूचित क्षेत्र में दो मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल, ढीकली जिला उदयपुर (बालिका) एवं सूरपुर जिला झूंगरपुर (बालक) का संचालन किया जा रहा है। जिनकी कुल छात्र क्षमता 700 है जिसके विरुद्ध 690 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है।

#### 4. एकलव्य मॉडल रेजीडेन्शियल पब्लिक स्कूल संचालन

विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में 14 माडा क्षेत्र में 6 एवं सहरिया क्षेत्र में 1 एकलव्य मॉडल रेजीडेन्शियल पब्लिक स्कूल का संचालन किया जा रहा है। उक्त स्कूलों की कुल प्रवेश क्षमता 7410 छात्र-छात्रा के विरुद्ध शिक्षा सत्र 2020–21 में कुल 5945 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया गया है।

## **5. बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन**

राज्य की अनुसूचित जनजाति की छात्राएं जो दूर-दराज के क्षेत्र की निवासी हैं एवं शहर में रहकर पी.एच.डी., नीट (NEET), पी.टी.ई.टी., आई.आई.टी., ए.आई.ई.ई.ई., पी.ई.टी. व प्रशासनिक सेवाओं एवं अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कमरा किराया लेकर अध्ययन करने में असमर्थ हैं, उन्हें निःशुल्क आवासीय व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ जिला मुख्यालय उदयपुर व कोटा में 150 बालिकाओं की क्षमता, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर 100-100 बालिकाओं की क्षमता एवं बांरा जिला मुख्यालय पर 50 बालिकाओं की क्षमता वाले बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।

## **6. कॉलेज छात्रावासों का संचालन**

अनुसूचित क्षेत्र के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राएं जों दूर-दराज क्षेत्र की निवासी हैं एवं महाविद्यालय स्थल पर मकान किराये पर लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ऐसे छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय स्थल पर निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ कॉलेज छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में 7 कॉलेज छात्रावासों का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिनकी कुल छात्र क्षमता 350 छात्र/छात्राओं की है। इन छात्रावासों में निवासरत् छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क आवास, अल्पाहार एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

## **7. आश्रम छात्रावासों में विशेष कोचिंग योजना**

आश्रम छात्रावासों के कक्षा 6 से 12 वीं के छात्र-छात्राओं को आश्रम छात्रावास में ही विषय विशेषज्ञ के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग कराई जाती है ताकि छात्र-छात्राएं कठिन विषयों की अच्छी तैयारी कर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। कक्षा 10 वीं में अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित तथा कक्षा 12 में कला वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी व ऐच्छिक अंग्रेजी, वाणिज्य वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा तीनों ऐच्छिक विषय तथा विज्ञान वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा चारों ऐच्छिक विषयों की कोचिंग कराई जाती है।

## **8. आश्रम छात्रावासों के छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक भ्रमण योजना**

जनजाति छात्र-छात्राओं को शहरी, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय व आधुनिक ज्ञान उपलब्ध कराने की दृष्टि से छात्रावासों के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण कराये जाने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान कम से कम राजस्थान के शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर छात्र-छात्राओं को भ्रमण कराते हुए जनजाति छात्र-छात्राओं की जिज्ञासा पूरी करने का प्रयास किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य जनजाति के छात्र-छात्राओं को स्मारकों के बारे में

ज्ञान प्राप्त कराना ताकि वे राष्ट्रीय विकास की धारा से रुबरु होकर ज्ञान में सुधार ला सकें और व जागरूक तथा जिम्मेदार नागरिक बन सके। भ्रमण से उन्हें भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। यह भ्रमण कार्यक्रम सात दिवसीय होता है जिसमें भोजन, नाश्ता के अतिरिक्त छात्र-छात्राओं को दर्शनीय स्थानों का टिकट एवं ठहरने की व्यवस्था, स्टेशनरी, बसों के किराये का प्रावधान किया गया है।

#### **9. छात्रगृह किराया योजना (केवल राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं हेतु)**

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति के ऐसे छात्र-छात्राएं जो राजकीय महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनमें से जिन छात्र-छात्राओं को छात्रावास में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती है और व किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते हैं, उनको इस योजनान्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पैटर्न अनुसार मकान किराया की राशि निम्नानुसार पुनर्भरण की जाती है—

| क्र.सं. | स्थान          | अवधि      | दर प्रतिमाह प्रति छात्र-छात्रा | राशि (10 माह की राशि) |
|---------|----------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 1       | संभाग मुख्यालय | 10 माह तक | 500.00                         | 5000.00               |
| 2       | जिला मुख्यालय  | 10 माह तक | 400.00                         | 4000.00               |
| 3       | अन्यत्र स्थान  | 10 माह तक | 300.00                         | 3000.00               |

जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता आयकरदाता हैं, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। छात्राएं अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा।

#### **10. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति**

वर्ष 1993–94 से यह योजना प्रारम्भ की गई। जनजाति के ऐसे प्रतिभावान छात्र जिन्होंने राजस्थान से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है तथा विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें राशि रु 350/- प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

#### **11. जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (निजी एवं राजकीय महाविद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए)**

जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994–95 में यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो राज्य की मूल निवासी हों और महाविद्यालय (सामान्य शिक्षा) में नियमित

रूप से अध्ययनरत हों। योजनानुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्रा को राशि रु 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह तक (5000/- रु एकमुश्त) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में उन्हीं छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्होंने महाविद्यालय में पिछली परीक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो साथ ही आर्थिक सहायता केवल उन्हीं छात्राओं को देय होगी जिनके माता-पिता आयकरदाता नहीं हैं। छात्राएं राज्य की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा।

## **12. जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता**

कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययन करने वाली जनजाति छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से वर्ष 2010–11 से यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो राज्य की मूल निवासी हों और राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हों। योजनानुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्रा को राशि रु 350/- प्रतिमाह की दर से 10 माह तक (3500/- रु एकमुश्त) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में उन्हीं छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके माता-पिता आयकरदाता नहीं हैं। छात्राओं के राज्य की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही संचालित राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहने पर योजना का लाभ देय होगा।

## **13. जनजाति के कक्षा 6 से 12 तक चयनित छात्र-छात्राओं को प्रतिष्ठित विद्यालयों/ संस्थाओं के माध्यम से अध्ययन योजना**

सामान्यतया जनजाति छात्र-छात्राएँ आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण प्रतिष्ठित एवं अच्छी शिक्षा देने वाले निजी शैक्षिक विद्यालयों/संस्थाओं में अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसलिए राज्य की कतिपय श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थाओं में जनजाति छात्रों को सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अध्ययन कराने एवं इन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा दिलवाये जाने हेतु योजना प्रारम्भ की गई। उक्त योजना के अन्तर्गत ट्यूशन फीस, आवास, भोजन, पुस्तकें, स्टेशनरी एवं पौशाक आदि हेतु राशि स्वीकृत की जाती है जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

## **14. निःशुल्क स्कूली वितरण योजना**

योजना के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में राजकीय विद्यालयों में व आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत जनजाति की छात्राओं को राज्य सरकार की गाईडलाईन अनुसार पात्र छात्राओं को स्कूलीयां वितरण की जायेगी।

## **15. नीट एवं आई.आई.टी प्रवेश परीक्षा की कोचिंग**

वर्ष 2020–21 से एलन करियर इंस्टीट्यूट के साथ संयुक्त पहल के अन्तर्गत एलन करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से 200 प्रतिभाशाली जनजाति विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता दिलाने के उद्देश्य से उदयपुर व कोटा में निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। कोचिंग प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के आवास, भोजन, स्टेशनरी व कोचिंग संस्थान तक आने–जाने का सम्पूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

## **16. खेल छात्रावासों व खेल अकादमियों का संचालन**

अनुसूचित क्षेत्र मे जनजाति छात्रों को खेल–कूद हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 6 खेल अकादमी व 7 खेल छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इनमें 7 बालक एवं 6 बालिकाओं हेतु खेल छात्रावास/खेल अकादमी निर्मित होकर संचालित हैं, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 875 छात्र/छात्राओं की है। वर्ष 2020–21 में 873 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

खेल छात्रावास/खेल अकादमी में सम्पूर्ण राज्य के कक्षा 6 से कक्षा 12 वीं तक के जनजाति खिलाड़ी बालक/बालिकों को प्रवेश दिया जाता है। छात्रावास में छात्र/छात्राओं का चयन विशिष्ट प्रकार के बेट्री टेस्ट और कौशल परीक्षणों के आधार पर किया जाता है। प्रवेशित छात्र/छात्राओं को अनुमोदित पैटर्न अनुसार भोजन, आवास, विद्यालय पोशाक एवं अन्य सहायक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। इन खेल छात्रावासों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को निकटतम विद्यालयों में नियमित अध्ययन की सुविधा के साथ–साथ खेल छात्रावास की समस्त सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।

## **17. जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बंद पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरोद्धार**

जनजाति उपयोजना एवं अन्य क्षेत्र के नदी नाले एवं बांधों के बैक वाटर में उपलब्ध पानी का सिंचाई हेतु उपयोग करने के उद्देश्य से इस योजना में विद्युत/सौलर मोटर द्वारा पानी को लिफ्ट किया जाकर सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती है। योजना का सर्वेक्षण किया जाकर लागत तखमीने तैयार किए जाते हैं। लागत का 10 प्रतिशत भाग नकद/श्रम के रूप में लाभान्वितों द्वारा वहन किया जाता है एवं 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में टीएडी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। योजना का क्रियान्वयन मुख्यतया: स्वच्छ परियोजना द्वारा तकनीकी दक्ष अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है। क्रियान्वयन में लाभान्वित काश्तकारों की समिति की भी सहभागिता रहती है। योजना पूर्ण होने पर तीन वर्षों तक कार्यकारी एजेन्सी द्वारा लाभान्वित काश्तकारों की कमेटी के माध्यम से संचालन किए जाने का प्रावधान रखा गया है। तत्पश्चात योजना लाभान्वितों की समिति को संचालन हेतु सौंप दी जायेगी। विगत वर्षों में निर्मित परन्तु बंद सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरोद्धार भी इस योजनान्तर्गत किया जाता है।

## **18. नहरों का सुदृढ़ीकरण/विस्तार**

जनजाति उपयोजना एवं अन्य क्षेत्र में पूर्व वर्षों में निर्मित वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं की नहर प्रणालीयों क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। जल संसाधन विभाग को इन नहर प्रणालियों के रखरखाव एवं संधारण हेतु राज्य आयोजना मद में पर्याप्त निधियों उपलब्ध नहीं होने से इनके रखरखाव/संधारण हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है ताकि जनजाति कृषकों के खेतों की सिंचाई निर्बाध रूप से होती रहे। इसके अतिरिक्त जिन नहरों के विस्तार हेतु जल संसाधन विभाग के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है उन नहरों के विस्तार का कार्य भी इस योजनान्तर्गत किया जाता है जिससे अधिकाधिक जनजाति काश्तकार लाभान्वित हो सके एवं सिंचाई के क्षेत्रफल में वृद्धि हो।

## **19. जल संग्रहण संरचनाओं (एनिकट) का निर्माण एवं पुनरोद्धार**

जनजाति उपयोजना एवं अन्य क्षेत्र में अवस्थित नदी व नाले भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अत्यधिक ढलान वाले होने से एक ओर तो वर्षा का जल तीव्र गति से बहकर व्यर्थ चला जाता है तथा दूसरी ओर जनजाति कृषकों की नालों के समीप की भूमि का कटाव भी होता है। अतः उक्त क्षति को रोकने एवं वर्षा के पानी के संग्रहण के उद्देश्य से जल संग्रहण ढाँचों (एनिकट इत्यादि) का निर्माण किया जाता है। जल संग्रहण ढाँचों के निर्माण से न केवल क्षेत्र के भू-जल स्तर में वृद्धि होती है बल्कि संग्रहित जल का उपयोग काश्तकारों की कृषि भूमि की सिंचाई के काम में भी लिया जाता है। योजनान्तर्गत पूर्व वर्षों में निर्मित जल संग्रहण ढाँचों के सम्पूर्ण उपयोग हेतु उनकी मरम्मत/जीर्णोद्धार के कार्य भी कराये जाते हैं।

## **20. जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना –**

Communication (Missing Links Connectivity Road small bridge,C.D. works to ST Habitations)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न जनोपयोगी सेवा केन्द्र विधालय, छात्रावास, ग्राम पंचायत, अस्पताल, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पशु चिकित्सालय केन्द्र एवं आश्रम छात्रावास सुविधायें मुख्य ग्राम से दूर-दूर अवस्थित हैं जहाँ पर पहुंच के समुचित सड़क/पुलिया व्यवस्था नहीं होने से वर्षा ऋतु में आमजन एवं विधार्थियों को इन स्थल पर पहुंचने में असुविधा रहती है। अतः उक्त संस्थानों को समीपरथ मुख्य सड़क अथवा मुख्य ग्राम से सम्पर्क सड़क/पुल से जोड़ा जाकर आवागमन की समुचित सुविधा का विकास किया जावेगा।

## **21. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय/डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण**

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति छात्र/छात्राओं को एक ही स्थान पर निःशुल्क आवासीय स्थल एवं शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 480 की क्षमता का (240 बालक एवं 240 बालिका) एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल का निर्माण कार्य कराया जाता है। ईएमआरएस निर्माण की अनुमानित इकाई लागत राशि रु. 25.00 करोड़ है। राशि रु. 20.00 करोड़ भारत सरकार का अंश है। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति छात्र/छात्राओं को एक ही स्थान पर निःशुल्क शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य कराया जाता है। ईएमडीबीएस निर्माण की अनुमानित इकाई लागत राशि रु 18.00 करोड़ हैं। राशि रु. 14.00 करोड़ भारत सरकार का अंश है। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

## **22. जनजाति उपयोजना एवं गैर उपयोजना क्षेत्र के जिलों में जनजाति आश्रम छात्रावास/ महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास/बहुउद्देशीय छात्रावासों का निर्माण**

जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जनजाति छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवासीय स्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनजाति आश्रम छात्रावास का निर्माण कार्य कराया जाता है। इन छात्रावासों का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया जाता है।

जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जनजाति छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवासीय स्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास का निर्माण कार्य कराया जाता है। इन छात्रावासों का निर्माण कालेज शिक्षा विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर संचालन की सहमति प्राप्त होने पर किया जाता है।

जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जनजाति छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कौशल विकास प्रशिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ छात्र-छात्राओं को रोजगार के लिए तैयार करने हेतु बहुउद्देशीय छात्रावासों का निर्माण कार्य कराया जाता है। इन छात्रावासों का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया जाता है।

## **23. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की क्षमता वृद्धि**

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति छात्र/छात्राओं को एक ही स्थान पर निःशुल्क आवासीय स्थल एवं शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 480 की क्षमता का (240 बालक एवं 240 बालिका) एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल का निर्माण कार्य कराया जाता है। ऐसे एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल जिनकी

क्षमता 480 से कम है उनको पूर्ण क्षमता के स्तर तक ले जाने हेतु क्षमता वृद्धि का कार्य किया जाता है।

24. Solar energy powered pumps and providing assistance for EPS and agriculture electric connections. हेतु राशि 13 करोड़ स्वीकृत की गयी है (वर्ष 2020–21 में 8 करोड़ एवं 2021–22 में 5 करोड़)। वर्ष 2020–21 में भारत सरकार से राज्य सरकार को 8 करोड़ प्राप्त हो गये हैं।

#### (Component B) –

योजनान्तर्गत जनजाति कृषकों को सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु टीएडी द्वारा राशि रु. 45,000/- देय होगी।

योजना संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) के माध्यम से संचालित की जा रही है।

- 3 हॉर्स पावर सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना की अनुमानित औसत लागत 1.60 लाख है।
- जिसका 60 प्रतिशत अनुदान अनुमानित औसत राशि 0.96 लाख कृषि विभाग द्वारा देय होगी।
- 40 प्रतिशत 0.64 लाख में से राशि रु. 45,000/- टीएडी द्वारा देय होगी।
- 0.19 लाख कृषक द्वारा देय होगी।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में 1500 जनजाति कृषकों को (45,000/- प्रत्येक कृषक को अनुदान) कुल 675.00 लाख राशि टीएडी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

#### (Component C) –

योजनान्तर्गत जनजाति कृषि उपभोक्ताओं को सोलर के द्वारा विद्युतीकरण करने हेतु टीएडी द्वारा राशि रु. 17,000/- देय होगी।

योजना विद्युत वितरण निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है।

- 3 हॉर्स पावर के विद्युत कनेक्शन को सोलर के द्वारा विद्युतीकरण करने की औसत लागत 2.00 लाख है।
- 10 प्रतिशत राशि औसत 20,000/-उपभोक्ता द्वारा वहन की जानी है।
- 10 प्रतिशत 20,000/- में से राशि रु. 17,000/- टीएडी द्वारा देय होगी।
- राशि रु. 3,000/- कृषक द्वारा देय होगी।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में 3,000 जनजाति कृषकों को (17,000/- प्रत्येक कृषक को अनुदान) कुल 510.00 लाख राशि टीएडी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- योजना अन्तर्गत Excess Electricity विद्युत वितरण निगम द्वारा क्रय की जाएगी।

## अध्याय – 3

### जनजाति विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की प्रगति

#### अ. अनुसूचित क्षेत्र

विभाग द्वारा केन्द्रीय सहायता व राज्य सहायता से विभाग के कार्यक्षेत्र कमशः अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र, माडा कलस्टर क्षेत्र, बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। योजनाओं का उद्देश्य उक्त क्षेत्र में निवासरत जनजाति परिवारों का सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास करना है। वर्ष 2019–20 में इन योजनाओं हेतु कुल 599.48 करोड़ रुपये का संशोधित बजट आबंटन किया गया जिसके विरुद्ध माह मार्च, 2020 तक रिलीज अनुसार 535.75 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

वर्ष 2020–21 में इन योजनाओं हेतु कुल 648.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक रिलीज अनुसार 401.40 करोड़ रुपये व्यय किये गये। मदवार एवं क्षेत्रवार प्रावधान एवं व्यय की सूचना निम्नानुसार है :

(राशि लाख रुपये में)

| क्र.सं. | क्षेत्र                       | वर्ष 2019–20    |                     | वर्ष 2020–21    |                                      |
|---------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|
|         |                               | संशोधित अनुमान  | व्यय (रिलीज अनुसार) | बजट अनुमान      | व्यय (रिलीज अनुसार) दिसम्बर, 2020 तक |
| क       | राज्य योजना                   |                 |                     |                 |                                      |
| 1.      | जनजाति कल्याण निधि            |                 |                     |                 |                                      |
| अ.      | अनुसूचित क्षेत्र              | 23853.16        | 19542.10            | 28578.38        | 18190.68                             |
| ब.      | माडा क्षेत्र                  | 2736.20         | 2536.70             | 3671.80         | 1725.57                              |
| स.      | माडा कलस्टर क्षेत्र           | 7.20            | 0.78                | 22.18           | 0.04                                 |
| द.      | बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र    | 663.75          | 538.64              | 1145.80         | 286.78                               |
| य.      | सहरिया क्षेत्र                | 5580.50         | 5135.44             | 5362.60         | 3565.92                              |
|         | योग : जनजाति कल्याण निधि      | <b>32840.81</b> | <b>27753.66</b>     | <b>38780.76</b> | <b>23768.99</b>                      |
| 2.      | विशेष केन्द्रीय सहायता        |                 |                     |                 |                                      |
| अ.      | अनुसूचित क्षेत्र              | 7315.00         | 7315.00             | 8177.69         | 4930.91                              |
| ब.      | माडा क्षेत्र                  | 950.00          | 950.00              | 1255.02         | 36.00                                |
| स.      | माडा कलस्टर क्षेत्र           | 30.00           | 30.00               | 31.00           | 0.00                                 |
| द.      | बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र    | 1075.00         | 1075.00             | 1446.28         | 0.00                                 |
| य.      | सहरिया विकास परियोजना क्षेत्र | 80.00           | 80.00               | 90.01           | 0.00                                 |
|         | योग : विशेष केन्द्रीय सहायता  | <b>9450.00</b>  | <b>9450.00</b>      | <b>11000.00</b> | <b>4966.91</b>                       |
| 3.      | संविधान के अनुच्छेद 275(1)    |                 |                     |                 |                                      |
| अ.      | अनुसूचित क्षेत्र              | 14581.14        | 13428.79            | 12350.01        | 10308.86                             |
| ब.      | गैर अनुसूचित क्षेत्र          | 1218.55         | 1218.55             | 1200.00         | 502.99                               |
| स.      | सहरिया क्षेत्र                | 192.78          | 192.78              | 300.00          | 107.93                               |
|         | योग : अनुच्छेद 275(1)         | <b>15992.47</b> | <b>14840.12</b>     | <b>13850.01</b> | <b>10919.78</b>                      |

| 4. | केन्द्र प्रवर्तित योजना                |                 |                 |                 |                 |
|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| अ. | टीआरआई की योजनाएँ                      | 134.00          | 0.00            | 150.00          | 0.00            |
| ब. | लघु वन उपज संग्रहण कार्य               | 562.74          | 562.74          | 20.00           | 0.00            |
| स. | वन बन्धू कल्याण योजना                  | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| द. | आश्रम स्कूल भवन निर्माण                | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| य. | छात्रावास भवन निर्माण                  | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| र. | सहरिया विकास परियोजना                  | 968.10          | 968.10          | 1068.51         | 484.00          |
|    | <b>योग : केन्द्रीय प्रवर्तित योजना</b> | <b>1664.84</b>  | <b>1530.84</b>  | <b>1238.51</b>  | <b>484.00</b>   |
|    | <b>महायोग</b>                          | <b>59948.12</b> | <b>53574.62</b> | <b>64869.28</b> | <b>40139.68</b> |

वर्ष 2020–21 में अनुसूचित क्षेत्र हेतु जनजाति कल्याण योजना में 285.78 करोड़ रुपये, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना में 81.78 करोड़ रुपये एवं भारतीय संविधान की धारा 275(1) में 123.50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया। जिसके विरुद्ध जनजाति कल्याण योजना में 181.91 करोड़ रुपये, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना में 49.31 करोड़ रुपये एवं भारतीय संविधान की धारा 275(1) में 103.09 करोड़ रुपये का माह दिसम्बर 2020 तक व्यय रिलीज अनुसार किया गया।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :

## 1. जनजाति कल्याण निधि

### (i) आश्रम छात्रावास संचालन

वर्ष 2020–21 में आश्रम छात्रावास संचालन हेतु 7794.64 लाख रुपये के प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक 5206.58 लाख रुपये व्यय हुआ। 265 छात्रावासों में 18015 विद्यार्थियों को माह दिसम्बर, 2020 तक ऑन लाइन प्रवेश दिया जा चुका है। वर्ष 2018–19 में 18381 एवं वर्ष 2019–20 में 18322 विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया।

### (ii) खेल छात्रावास का संचालन

वर्ष 2020–21 में खेल छात्रावासों के संचालन हेतु 497.50 लाख रुपये के प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक 315.00 लाख रुपये व्यय किया गया है। वर्तमान में इन छात्रावासों में 873 छात्रों को माह दिसम्बर, 2020 तक ऑन लाइन प्रवेश दिया गया। वर्ष 2018–19 में 875 एवं वर्ष 2019–20 में 864 विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया।

### (iii) माँ–बाड़ी केन्द्र संचालन योजना

वर्ष 2020–21 में माँ–बाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु 9200.00 लाख रुपये के प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक 6480.85 लाख रुपये व्यय हुए। 2036 माँ–बाड़ी केन्द्रों में 61080 विद्यार्थियों को प्रवेश देकर लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में 62490 एवं वर्ष 2019–20 में 62490 विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया।

#### (iv) छात्रगृह किराया योजना

वर्ष 2020–21 में छात्रगृह किराया योजना के अंतर्गत 750.00 लाख रुपये के प्रावधान रखा गया। जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक 14809 आवेदन पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं। वर्ष 2018–19 में 17780 एवं वर्ष 2019–20 में 14222 विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया।

#### (v) प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन योजना

वर्ष 2020–21 में प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन योजना हेतु 100.00 लाख रुपये के प्रावधान रखा गया। जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक 2133 आवेदन पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं। वर्ष 2018–19 में 3036 एवं 2019–20 में 2287 विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया।

#### (vi) महाविद्यालय स्तर की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (महाविद्यालय स्तर)

वर्ष 2020–21 में महाविद्यालय स्तर की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (महाविद्यालय स्तर) प्रदान करने के उद्देश्य से 1245.00 लाख रुपये के प्रावधान रखा गया है। जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक 26303 आवेदन पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं। वर्ष 2018–19 में 26389 एवं वर्ष 2019–20 में 20461 छात्राओं को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया।

#### (vii) छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (कक्षा 11 एवं 12)

वर्ष 2020–21 में छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (कक्षा 11 एवं 12) हेतु 800.00 लाख रुपये के प्रावधान रखा गया। जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक 17300 आवेदन पत्र प्राप्त किये गये। वर्ष 2018–19 में 26790 एवं वर्ष 2019–20 में 21056 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

#### (viii) जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरण

वर्ष 2020–21 में जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत 1120.10 लाख रुपये के प्रावधान रखा गया। वर्ष 2017–18 में 1595 एवं वर्ष 2018–19 में 1702 जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरण कर लाभान्वित किया गया।

### (ix) क्षय रोग नियंत्रण

वर्ष 2020–21 में क्षय रोग नियंत्रण योजना अंतर्गत 1800.00 लाख रूपये के प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर, 2020 तक 1414.27 लाख रूपये व्यय किया गया एवं 5252 रोगियों के उपचार कराया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में 4686 एवं वर्ष 2019–20 में 4240 रोगियों के उपचार कराया गया।

### (x) फूड क्राफ्ट प्रशिक्षण

वर्ष 2020–21 में फूड क्राफ्ट प्रशिक्षण हेतु 10.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2018–19 में 34 एवं वर्ष 2019–20 में 8 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

## 2. विशेष केन्द्रीय सहायता

### (i) कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ

वर्ष 2020–21 में कृषि विकास की योजनाओं हेतु राशि 1290.00 लाख रूपये के प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर, 20 तक 1030.50 लाख रूपये रिलीज अनुसार व्यय किये गये। 2018–19 में 642000 परिवार, वर्ष 2019–20 में 32770 परिवार एवं वर्ष 2020–21 में जनजाति कल्याण निधि तथा विशेष केन्द्रीय सहायता मद से कृषकों को संकर मक्का बीज वितरण कर 5,90,254 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

### (ii) उद्यानिकी विकास

वर्ष 2020–21 में उद्यानिकी विकास हेतु राशि 200.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2018–19 में 2412 एवं वर्ष 2019–20 में 1685 परिवारों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया।

### (iii) पशुपालन कार्यक्रम

वर्ष 2020–21 में पशुपालन विकास हेतु राशि 400.00 लाख रूपये के प्रावधान रखा गया है। पशुपालन विभाग को 301.10 लाख रूपये वनाधिकार के अंतर्गत वन भूमि हक पत्र जारी पशुपालकों को लाभान्वित करने हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वर्ष 2018–19 में 34024 एवं वर्ष 2019–20 में 1316 परिवारों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया।

### (iv) दुग्ध विकास कार्यक्रम

वर्ष 2020–21 में दुग्ध विकास कार्यक्रम हेतु 300.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। डेयरी विभाग से प्राप्त 5986 पशुपालकों की प्राप्त के अनुसार 179.50 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 2018–19 में 50 स्वचालित दूध संग्रह इकाई स्थापित की गई।

#### **(v) वनीकरण (सुरक्षात्मक एवं जीवनयापन) योजना**

वर्ष 2020–21 में वनीकरण (सुरक्षात्मक एवं जीवनयापन) योजना अंतर्गत 300.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2017–18 में 4312 व वर्ष 2018–19 में 4312 परिवारों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया।

#### **(vi) जलसंग्रहण संरचनाओं (एनिकट) का निर्माण एवं पुनरोद्धार**

जलसंग्रहण संरचनाओं (एनिकट) का निर्माण एवं पुनरोद्धार हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता मद में वर्ष 2020–21 में राशि 1049.50.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। जिसके विपरीत माह दिसम्बर, 20 तक 800.00 लाख रूपये रिलीज अनुसार व्यय किये गये। वर्ष 2018–19 में 24 एनीकट एवं वर्ष 2019–20 में 17 एनीकट कार्य पूर्ण किये गये।

#### **(vii) नहरो का सुदृढ़ीकरण**

नहरो का सुदृढ़ीकरण हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता मद में वर्ष 2020–21 में राशि 300.00 लाख रूपये का प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर, 20 तक 544.75 लाख रूपये रिलीज अनुसार व्यय किये गये। वर्ष 2018–19 में 10 एनीकट कार्य पूर्ण व वर्ष 2019–20 में 11 एनीकट कार्य पूर्ण किये गये।

#### **(viii) सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं का निर्माण व रखरखाव**

सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं का निर्माण व रखरखाव हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता मद में वर्ष 2020–21 में राशि 1000.00 लाख रूपये का प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर, 20 तक 1133.61 लाख रूपये रिलीज अनुसार व्यय किये गये। वर्ष 2017–18 में 67, वर्ष 2018–19 में 51 एवं वर्ष 2019–20 में 16 जलोत्थान सिंचाई योजनाओं सोलर पम्प स्थापित किये जा चुके हैं।

#### **(ix) कौशल विकास परियोजना**

कौशल विकास परियोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता मद में वर्ष 2020–21 में राशि 500.00 लाख रूपये का प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर, 20 तक 300.00 लाख रूपये रिलीज अनुसार व्यय किये गये। 2017–18 में 2147, वर्ष 2018–19 में 2585 एवं वर्ष 2019–20 में 177 युवाओं को लाभान्वित किया गया।

#### **(x) आवश्यक सेवाओं को सड़कों से जोड़ना**

आवश्यक सेवाओं को सड़कों से जोड़ने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता मद में वर्ष 2020–21 में राशि 735.00 लाख रूपये का प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर, 20 तक 433.05 लाख रूपये रिलीज अनुसार व्यय किये गये। वर्ष 2019–20 तक 52 सड़क कार्य पूर्ण किये गये।

### 3. संविधान का अनुच्छेद 275 (1)

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु वर्ष 2020–21 में 123.50 करोड़ रुपये का प्रावधान कर माह दिसम्बर, 20 तक रिलीज अनुसार 103.09 करोड़ रुपये व्यय किया गया। इस मद में प्राप्त राशि का उपयोग क्षेत्र में आधारभूत संरचना के कार्य हेतु किया जाता है।

### राज्य योजना से जनजाति उपयोजना में मांग संख्या-30 की प्रगति

प्रत्येक विभाग द्वारा विभाग के बजट में से जनजाति कल्याण हेतु मांग संख्या-30 के अंतर्गत जनजाति उपयोजना हेतु बजट मद में मुख्यतः लघु शीर्ष-796 के अंतर्गत राज्य में जनजाति जनसंख्या के अनुपात में प्रावधान किया जाता है। इस हेतु आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 28.12.2016 को जारी परिपत्र के अनुपात में (13.48) का प्रावधान एवं व्यय किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं।

जनजाति व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिये विभिन्न विभागों द्वारा सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभ की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं तथा सभी विभागों को अपने बजट में से जनजातियों के विकास हेतु मांग संख्या-30 में प्रावधान रखा जाता है। वर्ष 2020–21 में राज्य योजना में से जनजाति उपयोजना मद में 16017.65 करोड़ रुपये के प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर, 2020 तक 9517.30 करोड़ रुपये व्यय किये गये। विभिन्न सेक्टरों में आवंटन एवं व्यय की स्थिति माह दिसम्बर, 2020 तक निम्नानुसार है:

(राशि लाखों में)

| क्र.स. | सेक्टर                        | जनजाति उपयोजना    |                  |
|--------|-------------------------------|-------------------|------------------|
|        |                               | आंवटन             | व्यय             |
| 1      | कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ        | 151405.70         | 96875.27         |
| 2      | ग्रामीण विकास                 | 231468.47         | 156267.79        |
| 3      | विशेष क्षेत्रीय परियोजना      | 1120.00           | 0.00             |
| 4      | सिंचाई                        | 44635.24          | 16653.86         |
| 5      | विद्युत                       | 280281.13         | 134504.43        |
| 6      | उद्योग एवं खनिज               | 16938.97          | 4977.46          |
| 7      | परिवहन एवं संचार              | 79221.31          | 27846.32         |
| 8      | वैज्ञानिक सेवाएँ एवं अनुसंधान | 15.61             | 6.71             |
| 9      | सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ  | 763082.07         | 486756.66        |
| 10     | आर्थिक सेवाएँ                 | 29872.81          | 25808.59         |
| 11     | सामान्य सेवाएँ                | 3723.63           | 2033.37          |
|        | कुल योग                       | <b>1601764.94</b> | <b>951730.46</b> |

## **ब. माडा क्षेत्र**

**अ. माडा क्षेत्र (जनजाति कल्याण निधि)**

**वर्ष 2019–20 (माह मार्च 20) एवं 2020–21 माह दिसम्बर 20 तक**

वर्ष 2019–20 माह मार्च 20 में 2736.20 लाख रु. के आवंटन के विरुद्ध 2536.70 लाख रु. व्यय किये गये। वर्ष 2020–21 माह दिसम्बर 20 तक 3671.80 लाख रु. के आवंटन के विरुद्ध 1725.57 लाख रु. व्यय किये गये।

**आश्रम छात्रावास संचालन—** वर्ष 2019–20 में 1437.60 लाख रु के आवंटन के विरुद्ध माह मार्च 20 तक 1307.31 लाख रु व्यय किये गये एवं 3081 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2020–21 में 1567.50 लाख रु के आवंटन के विरुद्ध माह दिसम्बर 20 तक 912.50 लाख रु व्यय किये गये। माडा क्षेत्र में संचालित कुल 55 आश्रम छात्रावासों में 3640 प्रवेश क्षमता के विरुद्ध 3045 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा चुका है। बिखरी क्षेत्र में संचालित कुल 23 आश्रम छात्रावासों में 1200 प्रवेश क्षमता के विरुद्ध 993 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया।

**शिक्षा प्रोत्साहन—** जनजाति के बालक बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रवृत्त किये जाने हेतु माडा योजना में संचालित योजनाओं (1) छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन (2) पीएमटी, पीईटी, आईआईटी कोचिंग (3) जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता के योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जा रहे हैं।

**(1) छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन—** छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में 60.00 लाख रु. के आवन्टन के विरुद्ध 44.22 लाख रु. व्यय किया जाकर 893 छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 20 तक 70.00 लाख रु. के आवन्टन के विरुद्ध 19.60 लाख रु. व्यय किया जाकर 392 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

**(2) पीएमटी, पीईटी, आईआईटी कोचिंग—** पीएमटी, पीईटी, आईआईटी कोचिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में 125.00 लाख रु. के आवन्टन के विरुद्ध 120.05 लाख रु. व्यय किया जाकर 174 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

**(3) जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता—** कक्षा 11वीं 12वीं में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत 2019–20 में 29.42 लाख रु. के आवन्टन के विरुद्ध 23.85 लाख रु. व्यय किया जाकर 681 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2020–21 में 80.00 लाख रु. के आवन्टन के विरुद्ध 21.56 लाख रु. व्यय किया जाकर 616 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

**आवासीय विद्यालय—** माडा क्षेत्र में दो आवासीय विद्यालय संचालित है। वर्ष 2019–20 में 384.30 लाख रु. के आवन्टन के विरुद्ध 356.79 लाख रु. व्यय किया गया। वर्ष 2020–21 में 450.30 लाख रु. के आवन्टन के विरुद्ध 252.72 लाख रु. व्यय किया गया। जिसकी प्रवेश क्षमता 540 छात्र की है जिसके विरुद्ध 425 जनजाति आशार्थियों को प्रवेश दिया गया।

**मॉ—बाड़ी केन्द्र संचालन योजना—** वर्ष 2019–20 में 550.00 लाख रु. के आवन्टन के विरुद्ध 549.80 लाख रु. व्यय किया गया। वर्ष 2020–21 में 550.00 लाख रु. के आवन्टन के विरुद्ध 366.85 लाख रु. व्यय किया गया। कुल 165 मॉ—बाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 162 मॉ—बाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जाकर 4697 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

### **माडा क्षेत्र (विशेष केन्द्रीय सहायता)**

#### **वर्ष 2019–20 (माह मार्च 20) एवं 2020–21 माह दिसम्बर 20 तक**

माडा क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में डेयरी विकास हेतु 125.00 लाख रु., कृषि विकास हेतु 350.00 लाख रु., पशुपालन विकास में 125.00 लाख रु., कौशल विकास योजना में 150.00 लाख रु. तथा सम्पर्क सड़क निर्माण योजना हेतु 200.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया माह मार्च 20 तक कुल 950.00 लाख रु के बजट के विरुद्ध 950.00 लाख रु व्यय रिलीज अनुसार किया गया। वर्ष 2020–21 में डेयरी विकास हेतु 125.00 लाख रु., उद्यानिकी विकास हेतु 50.00 लाख रु., कृषि विकास योजना हेतु 300.00 लाख रु., पशुपालन विकास हेतु 125.00 लाख रु., कौशल विकास योजना हेतु 250.00 लाख रु., सम्पर्क सड़क निर्माण योजना में 200.00 लाख रु., स्वरोजगार योजना हेतु 125.00 लाख रु., कुआं का विद्युतिकरण हेतु 80.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया है कुल 1255.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया। माह दिसम्बर 20 तक 36.00 लाख रु. डेयरी विकास योजनान्तर्गत राशि का रिलीज अनुसार व्यय किया जा चुका है।

### **ब. माडा कलस्टर योजना— (जनजाति कल्याण निधि)**

वर्ष 2019–20 में 7.20 लाख रु. के आवंटन के विरुद्ध माह मार्च 20 तक 0.78 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। कक्षा 11वीं 12वीं में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत 2019–20 में 1.61 लाख रु. के आवन्टन के विरुद्ध 0.73 लाख रु. व्यय किया जाकर 21 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2020–21 में छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन हेतु 1.20 लाख रु, प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु 0.77 लाख रु, कक्षा 11वीं 12वीं में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत 1.47 लाख रु एवं जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरण हेतु 18.74

लाख रु को प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2020–21 में कुल 22.18 लाख रु. का प्रावधान रखा गया। जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर 20 तक 0.04 लाख रुपये रिलीज अनुसार व्यय किया गया ॥ ।

### **माडा कलस्टर योजना— (विशेष केन्द्रीय सहायता)**

वर्ष 2019–20 में विशेष केन्द्रीय सहायता में कौशल विकास योजना अन्तर्गत 10.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया तथा कृषि विकास परियोजना अन्तर्गत 10.00 व सम्पर्क सड़क योजना अन्तर्गत 10.00 लाख रु का प्रावधान रखा गया है कुल 30.00 लाख रुपये आवंटन के विरुद्ध 30.00 लाख रुपये व्यय रिलीज अनुसार किये गये। वर्ष 2020–21 में विशेष केन्द्रीय सहायता में कौशल विकास योजना अन्तर्गत 10.00 लाख रु., कृषि विकास परियोजना अन्तर्गत 10.00 व सम्पर्क सड़क योजना अन्तर्गत 10.00 लाख रु, कुआं का विद्युतिकरण हेतु 1.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया है कुल 31.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया ।

### **स. बिखरी योजना (जनजाति कल्याण निधि)**

वर्ष 2019–20 में माह मार्च 20 तक 663.75 लाख रु. के विरुद्ध 538.64 लाख रु. व्यय किये गये। आश्रम छात्रावास संचालन योजनान्तर्गत 399.15 लाख के प्रावधान के विरुद्ध 345.11 लाख रु. व्यय कर 958 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 20 तक 841.12 लाख रु. के विरुद्ध 265.37 लाख रु. व्यय किया गया ।

**आश्रम छात्रावास संचालन—** आश्रम छात्रावास संचालन योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 20 तक 456.10 लाख के प्रावधान के विरुद्ध 243.38 लाख रु. व्यय किया गया। बिखरी क्षेत्र में संचालित कुल 23 आश्रम छात्रावासों में 1200 प्रवेश क्षमता के विरुद्ध 993 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया ।

### **बिखरी योजना (विशेष केन्द्रीय सहायता)**

वर्ष 2019–20 में माह मार्च 20 तक 1075.00 लाख रु के विरुद्ध 1075.00 लाख रुपये व्यय रिलीज अनुसार किये गये। कृषि विकास हेतु 360.00 लाख रु.,डेयरी विकास हेतु 150.00 लाख रु. पशुपालन विकास हेतु 175.00 लाख रु. कौशल विकास हेतु 190.00 लाख रु. तथा सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु 200.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया । वर्ष 2020–21 में 1446.28 लाख रु का प्रावधान रखा गया है। कृषि विकास हेतु 391.25 लाख रु.,डेयरी विकास हेतु 150.00 लाख रु., पशुपालन विकास हेतु 250.00 लाख रु. कुआं का विद्युतिकरण हेतु 80.00 लाख रु.,स्वरोजगार हेतु 125.00 लाख रु., कौशल

विकास हेतु 250.00 लाख रु. तथा सम्पर्क सडक निर्माण हेतु 200.00 लाख रु. तथा लिफ्ट, एनिकट एवं उद्यानिकी विकास मद में 0.03 लाख रु. राशि का प्रावधान रखा गया।

## सहरिया विकास कार्यक्रम

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वर्ष 2019–20 में राशि रु. 6809.16 लाख का आवंटन किया गया एवं जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 हेतु रूपये राशि रु. 6763.90 लाख का बजट आवंटन कर राशि रु. 6233.68 लाख व्यय किया गया है। मदवार आवंटन एवं व्यय की सूचना निम्नांकित तालिका में दर्शाई गई है:—

(राशि रु. लाखों में)

| क्र.सं. | मद                                 | वर्ष 2019–20   |                | जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक |                |
|---------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|
|         |                                    | आवंटन          | व्यय           | आवंटन                              | व्यय           |
| 1       | जनजाति कल्याण निधि                 | 5589.01        | 5454.84        | 5082.80                            | 5411.98        |
| 2       | विशेष केन्द्रीय सहायता             | 40.00          | 1.50           | 80.00                              | 0.70           |
| 3       | संविधान की धारा 275(1)             | 212.05         | 176.99         | 149.00                             | 148.17         |
| 4       | केन्द्र प्रवर्तित योजना(सी.सी.डी.) | 968.10         | 941.82         | 1452.10                            | 672.83         |
|         | योग                                | <b>6809.16</b> | <b>6575.15</b> | <b>6763.90</b>                     | <b>6233.68</b> |

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजना में (जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक) की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं।

जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक जनजाति कल्याण निधि के तहत सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राशि रु. 5082.80 लाख का आवंटन किया गया है जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 5411.98 लाख व्यय किये जा चुके हैं। योजनावार विवरण निम्नानुसार है।

### 1. आश्रम छात्रावास संचालन एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ :—

जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक 29 सहरिया आश्रम छात्रावासों का संचालन कर 1455 छात्र/छात्राओं के विरुद्ध वर्तमान में 1385 सहरिया छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। रिक्त रही सीटों को कक्षा 06 से 08 तक के छात्र/छात्राओं से भर लिया जावेगा। इन छात्र-छात्राओं को छात्रावास की समस्त सुविधा मुहैया कराई गई है। आश्रम छात्रावास संचालन एवं अन्य

शैक्षणिक गतिविधियों में माह जनवरी 2020 से दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 500.02 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

## 2. मुफ्त स्टेशनरी वितरण (कक्षा 1 से 5 तक)

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 27.57 लाख व्यय कर 5359 सहरिया छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

## 3. मुफ्त स्टेशनरी पोशाक विवरण (कक्षा 1 से 5 तक)

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 21.43 लाख व्यय कर 7288 सहरिया छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

## 4. प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति

जनजाति कल्याण निधि योजनान्तर्गत योजना ऑनलाईन है, जनवरी 2020 से दिसम्बर, 2020 तक योजना में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त नहीं हुए। ऑनलाईन हेतु पोर्टल खुला है, आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं। शीघ्र ही जॉच कर भुगतान कर लाभान्वित किया जावेगा।

## 5. स्कूली शिक्षा हेतु जनजाति छात्राओं को सहायता

जनजाति कल्याण निधि योजनान्तर्गत योजना ऑनलाईन है, जनवरी 2020 से दिसम्बर, 2020 तक योजना में ऑनलाईन है, ऑनलाईन हेतु पोर्टल खुला है, आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं। आवेदन प्राप्त होने उपरान्त आवेदनकर्ताओं को लाभान्वित कर दिया जावेगा।

## 6. उपस्थिति प्रोत्साहन योजना

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 3.12 लाख व्यय कर 1189 राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत सहरिया छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है। योजना ऑनलाईन है।

## **7. मुफ्त स्टेशनरी पोशाक एवं स्कूल फीस विवरण (कक्षा 6 से 12 तक)**

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 43.85 लाख व्यय कर 2923 सहरिया छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है। योजना ऑनलाईन है।

## **8. महाविद्यालय स्तर के छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरक**

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 125.40 लाख व्यय कर 627 महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत सहरिया छात्र-छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा राशि रु. 20,000/- से लाभान्वित किया जा चुका है। योजना ऑनलाईन है।

## **9. बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षण**

जनजाति कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक राशि रु. 2.55 लाख रूपये व्यय किये जाकर 15 सहरिया प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। योजना ऑनलाईन है।

## **10. बी.एड. प्रशिक्षण**

जनजाति कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक राशि रु. 6.60 लाख रूपये व्यय कर 22 सहरिया प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। योजना ऑनलाईन है।

## **11. क्षयरोग नियन्त्रण एवं स्वास्थ्यकर्मी योजना**

जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत संचालित योजना में जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक राशि रु. 94.67 लाख व्यय कर 200 सहरिया स्वास्थ्यकर्मी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाकर महिला स्वास्थ्यकर्मियों के माध्यम से जिले के दूर दराज क्षेत्र एवं ढाणियों में निवासरत सहरिया समुदाय में नशा प्रवृत्ति के कारण क्षयरोग की बहुल्यता रहती है। इन स्वास्थ्यकर्मियों के माध्यम से जनवरी 20 से दिसम्बर 20 तक 396 टीवी मरीजों का ईलाज पूर्ण कर पुनः नया जीवन दिया गया। इसी कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी महिलाओं के द्वारा चिकित्सा विभाग के

साथ समन्वय स्थापित कर 272 महिलाओं को परिवार कल्याण का लाभ दिलाते हुए नसबंदी कराई ।

## 12. आवासीय विद्यालय संचालन

जनजाति कल्याण निधि योजनान्तर्गत बारां जिले में 7 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से 3 आवासीय विद्यालय छात्राओं हेतु एवं 4 छात्रों के लिए है। 7 आवासीय विद्यालयों में छात्र/छात्रा क्षमता 1290 है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 1084 छात्र/छात्राएँ प्रवेशित हैं। रिक्त रही सीटों को कक्षा 06 से 08 वीं तक के छात्र/छात्राओं से भरने की प्रक्रिया जारी है, सहरिया एवं अन्य अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जाकर इन छात्र-छात्राओं को आवासीय विद्यालय की समस्त सुविधा मुहैया कराई गई है। 7 आवासीय विद्यालयों के संचालन पर जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 711.19 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

## 13. मॉ—बाड़ी/डे—केयर सेन्टर संचालन

जनजाति कल्याण निधि योजनान्तर्गत संचालित योजना मॉ—बाड़ी /डे—केयर सेन्टर संचालन योजना में माह जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 838.59 लाख व्यय किये जाकर 198 मॉ—बाड़ी/डे—केयर सेन्टरों का संचालन करवाया जा रहा है, जिसमें 06 वर्ष से 12 वर्ष तक के 5543 सहरिया छात्र-छात्राओं को समस्त प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जा रहा है। प्रति मॉ—बाड़ी/डे—केयर सेन्टर पर छात्र/छात्रा क्षमता 30 है।

## 14. ए.एन.एम. प्रशिक्षण के लिए सहायता

जनजाति कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत संचालित योजना में जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक व्यय की प्रगति शून्य है। योजना ऑनलाईन है। सहरिया ए.एन.एम. प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु बजट प्राप्त होने उपरान्त लाभान्वित किया जावेगा।

## **15. दुर्घटना, बीमारी मृत्यु इत्यादि पर सहायता**

जनजाति कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 13.50 लाख व्यय कर 135 सहरिया महिलाओं को प्रति महिला राशि रूपये 10,000/- की आर्थिक सहायता से लाभान्वित किया गया है।

## **16. सहरिया परिवारों को निःशुल्क धी, तेल एवं दाल वितरण**

जनजाति कल्याण निधि योजनान्तर्गत माह जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक कार्यालय स्तर से राशि रु. 2574.31 लाख व्यय किये जाकर 1,17,750 सहरिया परिवारों के सदस्यों को निःशुल्क 250 मि.ली. धी, 500 मि.ली.तेल एवं 500 ग्राम दाल प्रतिमाह पौस मशीन द्वारा डीलर के माध्यम से वितरण कर लाभान्वित किया जा रहा है।

## **17. खैरवा हेतु सहायता योजना**

इस योजना के अन्तर्गत माह जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 155.27 लाख व्यय किये जाकर 9,060 खैरवा परिवारों के सदस्यों को निःशुल्क 250 मि.ली. धी, 500 मि.ली.तेल एवं 500 ग्राम दाल प्रतिमाह पौस मशीन द्वारा डीलर के माध्यम से वितरण कर लाभान्वित किया जा रहा है।

## **विशेष केन्द्रीय सहायता**

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में राशि रूपये 80.00 लाख का आवंटन हुआ जिसके विरुद्ध जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 0.70 लाख रूपये का व्यय किये गये हैं।

### **1. डीपीएस कुओं का विद्युतीकरण पीयूसी पाइपलाईन ड्रीपस्ट्रीकलर आदि**

विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत संचालित योजना में सहरिया कृषकों को विद्युत कनेक्शन करने पर राशि रूपये 10000/- एवं मोटर पर राशि रूपये 15000/- प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप दिया जाकर लाभान्वित किया जाता है। माह जनवरी, 2020 से दिसम्बर 2020 तक राशि रूपये 0.70 लाख व्यय कर 7 सहरिया कृषकों को प्रथम किश्त की राशि से लाभान्वित किया है।

## **2. कृषि विकास**

बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सहरिया कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में राशि रूपये 40.00 लाख कार्यालय को प्राप्त हुए है। कार्यकारी ऐजेन्सी उपनिदेशक कृषि विस्तार को पत्राचार कर संशोधित कार्य योजना मंगवाई गई है, कार्य योजना प्राप्त कर शीघ्र ही सहरिया कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा।

## **3. सहरिया बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोड़ना –**

बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में ढाणियों अथवा दूरदराज में निवासरत सहरिया बस्तीयों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में राशि रूपये 40.00 लाख कार्यालय के पीडी. खाते में प्राप्त हुए है। दूर-दराज निवासरत सहिरया बस्तियों की सूची मंगवाने हेतु पत्र जारी कर सूची मंगवाई जा रही है। शीघ्र ही सहरिया बस्तियों का चयन कर राशि का उपयोग किया जावेगा।

## **भारतीय संविधान की धारा 275(1)**

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय संविधान की धारा 275 (1) में राशि रु. 149.00 लाख का आवंटन हुआ जिसके विरुद्ध जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 148.17 लाख व्यय किया जा चुका है।

### **1. एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल हनोतिया (शाहबाद) संचालन/संस्थापन**

भारतीय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल हनोतिया (शाहबाद) संचालन/संस्थापन में माह जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 145.16 लाख रूपये व्यय कर लिया गया है। शिक्षा सत्र 2020–21 से छात्र क्षमता 350 से बढ़ाकर 480 कर दी गई है जिसके विरुद्ध वर्तमान में 297 छात्रों को प्रवेशित कर लाभान्वित किया जा रहा है। रिक्त रही सीटों को कक्षा 06 से 08 वीं के छात्रों से भर लिया जावेगा।

## **सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (सी.सी.डी. योजना)**

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सी.सी.डी. योजना (पी.टी.जी.) में विभिन्न संचालित योजनाओं में राशि रु. 1452.10 लाख का आवंटन किया गया, जिसके विरुद्ध जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक संचालित विभिन्न योजनाओं में राशि रु. 672.83 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

### **1. जन—श्री—बीमा योजना**

सी.सी.डी योजना अन्तर्गत संचालित योजना जन श्री बीमा योजना के अन्तर्गत 10000 सहरिया आदिम जनजाति के परिवारों का बीमा करवाया गया है। जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक इस योजना में राशि रु. 1.48 लाख व्यय किये गये हैं। वर्तमान में सहरिया परिवार के सदस्यों का बीमा कराने के सम्बन्ध में नई योजना बनाई जा रही है। योजना तैयार होने उपरान्त लाभान्वित किया जावेगा।

### **2. मॉ—बाड़ी/डे—केयर सेन्टर संचालन**

सी.सी.डी. योजनान्तर्गत संचालित योजना मॉ—बाड़ी/डे—केयर सेन्टर संचालन योजना में माह जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 560.32 लाख व्यय किये जाकर 135 मॉ—बाड़ी/डे—केयर सेन्टरों का संचालन करवाया जा रहा है, जिसमें 06 वर्ष से 12 वर्ष तक के 3465 सहरिया छात्र—छात्राओं को समस्त प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जा रहा है। प्रति मॉ—बाड़ी/डे—केयर सेन्टर पर छात्र/छात्रा क्षमता 30 है।

### **3. सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी**

सी.सी.डी. योजनान्तर्गत सहरिया आदिम जनजाति के व्यक्तियों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत करने एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रेरित करने हेतु क्षय नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत 200 सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी (महिला) स्वीकृत हैं। वर्तमान में 165 महिला स्वास्थ्य सहयोगी कार्यरत। स्वास्थ्य सहयोगीयों द्वारा क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, टीकाकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, पल्स पोलियो, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान व कुपोषण निवारण कार्यक्रम में ए.एन.एम के साथ मिलकर कार्य कर रही है। प्रति माह 2800/- रुपये का मानदेय महिला स्वास्थ्यकर्मी दिया जाता है। जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक इस योजना में राशि 44.52 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

#### **4. ड्राप आउट सहरिया छात्राओं हेतु शिक्षा**

इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 10 की अनुउत्तीर्ण सहरिया छात्राओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने हेतु 10 माह के लिए शिविर संचालन कर छात्राओं को शिक्षा दिलाई जाती है। जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक इस योजना में राशि रु. 7.30 लाख व्यय किये जाकर 50 सहरिया ड्राप आउट छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

#### **5. महाविद्यालय छात्रावास भवन निर्माण केलवाडा**

सीसीडी योजनान्तर्गत महा विद्यालय छात्रावास भवन का निर्माण कार्यकारी ऐजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। स्वीकृत राशि रूपये 200.00 लाख में से माह दिसम्बर 2019 तक राशि रूपये 141.72 लाख व्यय किये गये एवं माह जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक इस योजना में राशि राशि रु. 58.72 लाख व्यय कर लिये गये हैं।

#### **6. सीताबाड़ी में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तीर्थ स्थल का विकास निर्माण**

सीसीडी योजनान्तर्गत सीताबाड़ी में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तीर्थ स्थल का विकास निर्माण हेतु चार दीवारी निर्माण/लेट बाथ निर्माण, सार्वजनिक भवन निर्माण गार्डन इत्यादि का कार्य कार्यकारी ऐजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। स्वीकृत राशि रूपये 305.59 लाख में से माह दिसम्बर 2019 तक राशि रूपये 111.96 लाख व्यय किये गये एवं माह जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 0.11 लाख व्यय किये जा चुके हैं। स्वीकृत 7 कार्यों में से 6 का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

#### **7. सहरिया बंगला निर्माण**

सीसीडी योजनान्तर्गत बारां जिले कि शाहबाद/किशनगंज तहसील में 12 सहरिया बंगलों का निर्माण कार्य करवाया जाना था। टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर, पट्टे प्राप्त कर सहरिया बंगलों निर्माण प्रारम्भ करवा दिया गया है।

माह अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा

(राशि लाखों में)

| क्र. सं.                  | योजना का नाम   | वित्तीय          |                | भौतिक प्रगति   |        |         |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|---------|
|                           |  | वित्तीय प्रावधान | व्यय           | इकाई           | लक्ष्य | उपलब्धि |
| <b>जनजाति कल्याण निधि</b> |  |                  |                |                |        |         |
| 1                         | आश्रम छात्रावास संचालन                                   | 669.20           | 344.15         | छात्रावास सं.  | 29     | 29      |
| 2                         | आवासीय विद्यालयों का संचालन                              | 832.50           | 528.61         | विद्यालय सं.   | 7      | 7       |
| 3                         | प्राथमिक स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरक    | 60.00            | 21.43          | विद्यार्थी सं. | 9000   | 7288    |
| 4                         | माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरक    | 115.00           | 46.97          | विद्यार्थी सं. | 6911   | 4112    |
| 5                         | महाविद्यालय स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरक | 100.00           | 77.00          | विद्यार्थी सं. | 500    | 385     |
| 6                         | मॉ-बाड़ी (15) व नवीन डेकेयर सेन्टर (184) संचालन          | 1100.00          | 435.00         | मॉ-बाड़ी       | 198    | 198     |
| 7                         | बी.एड. एवं एस.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु सहायता               | 10.00            | 8.55           | विद्यार्थी सं. | 24     | 35      |
| 8                         | पीएमटी/पीएटी/आईआईटी कार्चिंग                             | 10.00            |                | विद्यार्थी सं. | 14     |         |
| 9                         | क्षयरोग नियन्त्रण एवं स्वास्थ्यकर्मी योजना               | 85.00            | 63.40          | ला.भा सं.      | 200    | 180     |
| 10                        | ए.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु सहायता                           | 0.50             |                | विद्यार्थी सं. | 10     |         |
| 11                        | दुर्घटना एवं बिमारी में सहायता                           | 10.00            | 7.70           | ला.भा सं.      | 100    | 77      |
| 12                        | सहरियाओं का एकीकृत विकास                                 | 2200.00          | 1551.62        | ला.भा सं.      | 117708 | 117708  |
| 13                        | खैरवा हेतु सहायता योजना                                  | 200.00           | 77.45          | ला.भा सं.      | 9060   | 9060    |
| 14                        | आवासीय विद्यालय निर्माण नवीनीकरण                         | 0.01             |                | भवन संख्या     | 0      | 0       |
| 15                        | छात्रावासों का निर्माण नवीनीकरण                          | 0.01             |                |                | 2      | 2       |
|                           | योग :-   | <b>5392.22</b>   | <b>3161.88</b> |                |        |         |

|   | विशेष केन्द्रीय सहायता  |              |             |               |      |   |
|---|---|--------------|-------------|---------------|------|---|
| 1 | कृषि प्रदेशों से आय में वट्ठि                                 | 40.00        |             | ला.स.         | 1800 |   |
| 2 | डीपीएस कुओं का विद्युतीकरण पीयूसी पाइपलाईन ड्रीपस्ट्रीकलर आदि | 10.00        | 0.70        | डी.पी.एस. सं. | 40   | 7 |
| 4 | बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना                          | 40.00        |             | भवन सं.       | 1    |   |
| 5 | जलग्रहण संरचनाओं का निर्माण                                   | 0.01         |             | 0             | 0    |   |
|   | योग :-  | <b>90.01</b> | <b>0.70</b> |               | -    |   |

|   | भारतीय संविधान की धारा 275(1) |               |              |                |   |   |
|---|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|---|---|
| 1 | आवासीय विद्यालय संचालन        | 192.20        | 98.69        | विद्या. संख्या | 1 | 1 |
|   | योग :-                        | <b>192.20</b> | <b>98.69</b> |                | - | - |

(राशि लाखों में)

| क्र. सं. | योजना का नाम  | वित्तीय          |               | भौतिक प्रगति |         |         |
|----------|---|------------------|---------------|--------------|---------|---------|
|          |   | वित्तीय प्रावधान | व्यय          | इकाई         | लक्ष्य  | उपलब्धि |
|          | केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत                                    |                  |               |              |         |         |
| 1        | जन श्री बीमा योजना  | 50.00            |               | ला.स.        | 30000   | 0       |
| 2        | झाप आउट सहरिया छात्राओं हेतु शिक्षा                               | 10.00            |               | छात्रा सं.   | 50      | 0       |
| 3        | सहरिया इनोवेटिव योजना (कोचिंग)                                    | 35.00            |               | ला.स.        | not fix |         |
| 4        | डे-केयर केन्द्र संचालन  | 864.80           | 352.83        | केन्द्र सं.  | 140     | 135     |
| 5        | सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी   | 100.24           | 33.81         | ला.स.        | 200     | 165     |
| 6        | मॉनिटरिंग तथा प्रशासनिक व्यय                                      | 8.45             | 1.63          | —            | not fix |         |
| 7        | सहरिया बंगला निर्माण  |                  |               | बंगला सं.    | 13      | 1 up    |
| 8        | महाविद्यालय भवन निर्माण केलवाडा                                   |                  | 40.00         | भवन सं.      | 1       | 1up     |
| 9        | सीताबाड़ी में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तीर्थ स्थल का विकास निर्माण |                  | 0.11          | विकास        | 1       | 1up     |
| 10       | सी.एस.सी.शाहबाद में आवास मरम्मत कार्य                             |                  |               | भवन          | 1       | 1up     |
| 11       | एम.टी.सी. केलवाडा एवं रेलावन में भवन निर्माण                      |                  |               | भवन          | 2       |         |
|          | योग :-  | <b>1068.49</b>   | <b>428.38</b> |              |         |         |



श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा स्वास्थ्यकर्मी महिलाओं से वार्ता करते हुये

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा कन्या आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करते हुए



## अध्याय – 4

# माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

### संस्थान के उद्देश्य

संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जनजाति विकास के पंचशील के सिद्धांतों को लागू करने हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं की क्रियांविती एवं उनके प्रभावों का मूल्यांकन करना, जनजातियों की भावी विकास जरूरतों की पहचान करना एवं राज्य के जनजाति समुदायों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रगतिशील अध्ययन एवं चिन्तन को प्रोत्साहित करना है।

### संस्थान का प्रशासनिक स्वरूप

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान उदयपुर के नीतिपरक मार्गदर्शन में संस्थान अपनी विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करता है। राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर से दिशा-निर्देश प्राप्त होते हैं।

### संस्थान के प्रमुख कार्य

#### 1. शोध एवं मूल्यांकन :

##### (अ) मूल्यांकन

विभाग द्वारा विभिन्न शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य योजनाओं का सहरिया कथौड़ी एवं अन्य जनजाति के जीवन पर पड़े गुणात्मक प्रभाव का अध्ययन का कार्य करवाया जा रहा है।

##### (ब) जनजाति शोधार्थियों को शोध छात्रवृत्ति

जनजाति समुदाय के अध्यार्थियों को विद्या वाचस्पति उपाधि (Ph.D.) प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिये प्रदान की जाती है। वर्ष 2020–21 में राशि 17.95 लाख रुपये का व्यय कर 20 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया।

## **2. चिकित्सा एवं तकनीकी (नीट/आईआईटी) प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग :**

चिकित्सा एवं तकनीकी अध्ययन में प्रवेश हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से कोचिंग योजना अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र, माडा एवं बिखरी आबादी क्षेत्र के जनजाति छात्र-छात्राओं को चिकित्सा एवं तकनीकी (नीट/आईआईटी) प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग, प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से करायी जाती है।

## **3. कार्यशाला एवं प्रशिक्षण**

जनजाति विकास से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं नवीन चुनौतियों के संदर्भ में संस्थान की ओर से समय—समय पर कार्यशालाएँ, सेमीनार एवं संगोष्ठियों का आयोजित की जाती है। किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के सहयोग से पेसा एक्ट से तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किये गये। जिसमें प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

## **4. कला एवं संस्कृति**

जनजातीय कला एवं संस्कृति को संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन करने की दृष्टि से संस्थान द्वारा समय—समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

दिसम्बर, 2020 में जनजाति भित्ती चित्रण कला पर कार्यशाला का आयोजन Work From Home से किया गया। जिसमें झूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ़, राजसमन्द एवं उदयपुर के 37 कलाकारों ने पारंपरिक भित्ती चित्रण कलाओं को केनवास पर उकेरा।

आदि महोत्सव 2020 जनजाति उत्सव आदि महोत्सव पर एक Coffee Table Book जनजाति तेयार करवायी गयी। मानगढ़ धाम, गोविन्द गुरु, वैणेश्वर धाम तथा संत मावजी महाराज पर E-Book तैयार करवाने का कार्य प्रगति पर है।

## **6. पुस्तकालय एवं प्रकाशन :**

(अ) **पुस्तकालय** :— संस्थान के पुस्तकालय में जनजाति समुदाय से संबंधित पुस्तकों/ ग्रन्थों का समृद्ध संग्रहण है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर 16225 संदर्भ ग्रंथ व पुस्तकों उपलब्ध है। पुस्तकालय के साथ संचालित वाचनालय में 135 पत्र—पत्रिकाएँ प्राप्त होती हैं।

## 7. जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह

अनुसूचित क्षेत्र के प्रतिभावान युवाओं को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिए जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। वर्ष 2020–21 के प्रतिभा सम्मान समारोह में 209 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ती पत्र एवं मोटिवेशन पुस्तक देकर सम्मानित किया गया जिस पर 11.24 लाख रुपये का व्यय किया गया।

## अध्याय—5

### राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर

राजस्थान के दक्षिण भाग में रह रहे आदिवासियों के विकास एवं कल्याण हेतु वर्ष 1976 में सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन राजस संघ को शीर्ष संस्था के रूप में पंजीकृत कराकर स्थापना की गयी। एक वर्ष बाद ही सहरिया परियोजना क्षेत्र भी कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया। जनजाति उपयोजना क्षेत्र की 37 एवं सहरिया क्षेत्र की 2 कुल 39 पंचायत समितियों में तथा क्षेत्र में कार्यरत लेम्पस के माध्यम से एवं सीधे राजस संघ द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। संक्षेप में राजससंघ निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्यरत हैं।

#### राजस संघ की स्थापना के उद्देश्य

- 1— संचित सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- 2— ऋण—ग्रस्तता से राहत दिलाने एवं शोषण से बचाने।
- 3— आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जनजातियों की निर्धनता को दूर करना।
- 4— लेम्पस के माध्यम से कृषि और लघु वन उपजों का सग्रहण, विपणन तथा परिशोधन करना एवं सहायता परामर्श देना, वित्त पोषण करना।
- 5— खाधान्न, उपभोक्ता माल, बीज—खाद, कृषि आदानों के लिए राज्य सरकार या राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं, स्वशासी निकायों के एजेन्ट के रूप में कार्य करना।

#### राजस संघ का प्रशासकीय संगठन एवं स्वरूप

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राज0, जयपुर के आदेश क्रमांक प.94(5)/नियम /76/ पार्ट—2/ दिनांक 4.12.2004 द्वारा आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

राजससंघ का प्रधान कार्यालय, प्रतापनगर, उदयपुर में स्थित है तथा राजससंघ प्रधान कार्यालय में प्रबन्ध निदेशक, महाप्रबन्धक एवं मुख्य लेखाधिकारी एवं अन्य अधिकारी पदस्थापित हैं। राजससंघ में जिला स्तर पर 4 क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं 2 सहायक क्षेत्रीय

प्रबन्धक कार्यालय यथा— क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं बांरा एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय प्रतापगढ़ एवं आबूरोड़ में अवस्थित है।

राजस संघ में दिनांक 31.12.2019 तक कुल 162 स्वीकृत पद है के विरुद्ध 53 कार्मिक कार्यरत है। इसमें से 45 राजससंघ में तथा 8 कार्मिक जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन संचालित आश्रम छात्रावासों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है एवं 109 पद कार्मिकों की सेवानिवृति /निधन से रिक्त हुए हैं।

### राजससंघ की सदस्यता

राजससंघ के कुल 395 सदस्य है जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

अ— श्रेणी सदस्य 391 प्राथमिक सहकारी समिति (320 लेम्पस, 71 अन्य)

ब— श्रेणी सदस्य 1 बैंक ऑफ बडौदा

स—श्रेणी सदस्य 1 राजस्थान सरकार

द— श्रेणी सदस्य 2 शीर्ष सहकारी संस्था (राजफेड, कोनफेड)

**योग— 395**

### राजससंघ द्वारा संचालित योजनाएँ

#### 1. मत्स्य योजनाएँ

##### 1.1. मत्स्य बीज (स्पान) उत्पादन, एवं विभिन्न तालाबों में संचय

राजससंघ की मत्स्य बीज हेचरी जयसमन्द पर वर्ष 2016–2017 में 263.35 लाख स्पान, वर्ष 2017–2018 में 163.50 लाख स्पान, वर्ष 2018–2019 में 208.50 लाख स्पान, वर्ष 2019–2020 में 73.00 लाख एवं वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर 2020 तक) 77.00 लाख स्पान मत्स्य बीज उत्पादित कर इन वर्षों में क्रमशः 600, 140, 343, 278 व 59 (दिसम्बर, 2020 तक) जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को बीज वितरण कर लाभान्वित किया गया।

##### 1.2. समेकित मत्स्य विकास परियोजना

राजससंघ द्वारा उपयोजना क्षेत्र के बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में समेकित मत्स्य विकास परियोजना के अन्तर्गत छोटे जलाशयों में मछली पालन के माध्यम से रथानीय जनजाति परिवारों को रोजगार का अतिरिक्त साधन उनके घर के समीप ही उपलब्ध कराने की दृष्टि से समेकित मत्स्य विकास परियोजना का संचालन वर्ष 2008–09 से किया जा रहा है।

उपयोजना क्षेत्र के कुल 194 जलाशयों के 2031 हेक्टर जल क्षेत्र में मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। इस गतिविधि से 1917 स्थानीय जनजाति परिवार जुड़े हुए हैं।

योजना अन्तर्गत वर्ष 2018–2019 के दौरान योजना अनुसार कुल 336 जनजाति मछुआरों को 48.00 लाख स्पान, 10.43 लाख फ्राई, 3.43 लाख एडवान्स फ्राई व 1.14 लाख आंगुलिक एवं वर्ष 2019–2020 के दौरान अब तक कुल 204 जनजाति मछुआरों को 6.73 लाख फ्राई, 3.54 लाख एडवान्स फ्राई व 0.08 लाख मत्स्य बीज आंगुलिक व वर्ष 2020–21 के दौरान नवगठित जनजाति मत्स्य सहकारी समिति दस पदाधिकारियों को नई दिल्ली से समिति लीडरशीप प्रशिक्षण दिलवाया जाकर अब तक कुल 15 पदाधिकारियों का लीडरशीप प्रशिक्षण नई–दिल्ली में दिलवाया जा चुका है।

योजना अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है:—

(राशि रूपये लाखों में)

| क्र. स. | गतिविधि                      | वर्ष      |           |         |                               |
|---------|------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|
|         |                              | 2017–2018 | 2018–2019 | 2019–20 | 2020–2021<br>(दिसम्बर, 20 तक) |
| 1.      | समेकित मत्स्य विकास परियोजना | 36.62     | 4.97      | 9.26    | 6.44                          |

## 1.2 मत्स्य विकास कार्यक्रम (विशेष केन्द्रीय सहायता)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में मत्स्य गतिविधि को बढ़ावा दिये जाने के लिये राजससंघ के द्वारा मत्स्य विकास कार्यक्रम (वि.के.स.) के तहत वर्ष 2018–2019 के दौरान पाँच स्थलों पर विकेन्द्रित मत्स्य बीज पालन नर्सरी स्थापना, सात जनजाति नर्सरी लाभान्वितों को स्पान मत्स्य बीज वितरण एवं 50 जनजाति व्यक्तियों को मत्स्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसी योजना की निरन्तरता में वर्ष 2019–2020 में जलाशयों 5 फिशहेण्डलिंग शेड निर्माण, दो मत्स्य बीज पालकों को 14.00 लाख स्पान मत्स्य बीज वितरण तथा नौ दीर्घ मौसमी जलाशयों के 61 जनजाति मत्स्य कृषकों को मत्स्य बीज वितरण कर लाभान्वित किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान

माह दिसम्बर 20 तक इसी योजनान्तर्गत दो जलाशयों पर 2 फिश हैण्डलिंग शेड निर्माण किया जाकर योजना प्रारम्भ वर्ष 2016–17 से अब तक इसी योजना अन्तर्गत जयसमन्द पर राजससंघ की मत्स्य हेचरी पर दो पोण्ड निर्माण, भवन मरम्मत व हेचरी शेड आधुनिकीकरण कार्य व एम.पी.यू.ए.टी. उदयपुर की हेचरी सुदृढीकरण कार्य, जयसमन्द पर जनजाति आवासीय मत्स्य प्रशिक्षण भवन निर्माण, 13 मछली बूथ स्थापना, चार खुदरा मछली दुकान निर्माण, सात विकेन्द्रीत मत्स्य बीज पालन नर्सरी स्थापना, सत्रह जलाशयों पर सत्रह फिश हैण्डलिंगशेड निर्माण , 484 जनजाति मछआरो को विभिन्न प्रकार के मत्स्य प्रशिक्षण, उपयोजना क्षेत्र में 9 दीर्घ मौसमी तलाइयों में मत्स्य बीज संचय एवं 104 जनजाति मत्स्याखेट सहकारी समितियो का गठन कर नवीन 3224 जनजाति सदस्यों को जोड़ा जाकर अब तक 54 सहकारी समितियो का पंजीयन किया जा चुका है।

योजना अन्तर्गत तीन वर्षों की वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है।

(राशि रूपये लाखों में)

| क्र.स. | गतिविधि  | वर्ष      |           |           |                           |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
|        |  | 2017–2018 | 2018–2019 | 2019–2020 | 2020–21<br>(Jan-Dec 2020) |
| 1.     | मत्स्य विकास कार्यक्रम<br>(विशेष केन्द्रीय सहायता) | 186.19    | 25.09     | 38.20     | 20.92                     |

## 2 राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम (SCA)

**संकर मक्का बीज वितरण (जनजाति कल्याण निधि)**— राजससंघ के माध्यम से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति कृषकों को वर्ष 2020–21 में प्रथम चरण में निःशुल्क संकर मक्का बीज 5 किलोग्राम पैकिंग में 3.10 लाख मिनिकिट्स तथा योजना के द्वितीय चरण में राशि रूपये 2.80 लाख कुल राशि रूपये 5.90 लाख मिनिकिट्स वितरित किये गये है। इस प्रकार लगभग 49.47 करोड़ रु. के संकर मक्का बीज मिनीकिट्स राजससंघ द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से वितरित किये जाकर अनुसूचित क्षेत्र के लगभग 5.90 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया।

### 3 वन धन विकास कार्यक्रम

जनजाति समुदाय द्वारा संग्रहित की जाने वाली लघुवन उपजों तथा अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर उचित मूल्य दिलवाये जाने के उद्देश्य से ट्राईफेड के माध्यम से संचालित वनधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजससंघ जनजाति उपयोजना तथा सहरिया क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी संस्था के रूप में कार्यरत है। इस योजनान्तर्गत 300 सदस्यीय वन धन विकास केन्द्र का गठन किया जाता है। जिसमें न्यूनतम 60 प्रतिशत जनजाति समुदाय के सदस्य होते हैं। जनजाति उपयोजना तथा सहरिया क्षेत्र में गत दो वर्षों से अब तक 27 वन धन विकास केन्द्रों की ट्राईफेड (जनजातीय कार्य मंत्रालय) द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जिनमें उदयपुर जिले में 15, सिरोही जिले में 5, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले में क्रमशः 2—2 तथा बांरा जिले में 1 वनधन केन्द्र सम्मिलित है। इस योजनान्तर्गत अब तक लगभग 8100 सदस्य लाभान्वित होगे। वन धन विकास केन्द्र के सदस्यों द्वारा लघु वन उपज, कृषि उपज, आयुर्वेदिक औषधियों का क्षेत्र में संग्रहण, मूल्य संवर्धन कर विपणन किया जाएगा। इस हेतु प्रति वन धन विकास केन्द्र को प्रशिक्षण तथा टूल किट/मशीनरी इत्यादि हेतु योजनान्तर्गत कुल 15.00 लाख रु. उपलब्ध कराये जायेगे। अब तक लगभग 1100 सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रक्रियाधीन है।

### व्यावसायिक गतिविधियाँ—

#### 1. उपभोक्ता सामग्री वितरण

राजससंघ द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिला रसद विभाग द्वारा संबंधित जिलों में आवंटित तहसील क्षेत्र में नियन्त्रित खाद्यान्न गेहूँ चावल व चीनी एवं अनियन्त्रित उपभोक्ता सामग्री के अन्तर्गत नमक एवं चाय वितरण के थोक विक्रेता के रूप में कार्यरत हैं। विगत तीन वर्षों में निम्नानुसार व्यवसाय किया गया है:—

(राशि रूपये लाखों में)

| क्र.स. | गतिविधि                   | वर्ष      |           |           |   |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
|        |                           | 2017–2018 | 2018–2019 | 2019–2020 | 2020–2021<br>(जनवरी, 2020 से<br>दिसम्बर, 2020 तक) |
| 1.     | उपभोक्ता सामग्री<br>वितरण | 2063.40   | 1378.35   | 2616.80   | 2095.06   |

## 2. कृषि उपादान वितरण

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राजससंघ द्वारा कृषि आदान वितरण करता है। विगत तीन वर्षों में निम्नानुसार व्यवसाय किया गया है।

(राशि रूपये लाखों में)

| क्र.स. | गतिविधि         | वर्ष      |           |           |  |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
|        |                 | 2017–2018 | 2018–2019 | 2019–2020 | 2020–2021<br>(जनवरी, 2020 से<br>दिसम्बर, 2020<br>तक) |
| 1.     | कृषि आदान वितरण | 1400.00   | 392.24    | 309.92    | 416.53   |

## 3. लघु वन उपज

जनजाति उपयोजना एवं सहरिया क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली लघु वन उपजों में मुख्य रूप से रतनजोत, पुवाड़ कणज धतूरी, महुआ, पुवाड़, डोलमा, शहद इत्यादि का संग्रहण अधिकृत लघु वन उपज अभिकर्ताओं के माध्यम से करवाता है। विगत तीन वर्षों में निम्नानुसार लघु वन उपज का संग्रहण किया गया है:—

(राशि रूपये लाखों में)

| क्र.स. | गतिविधि   | वर्ष      |           |           |   |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|        |           | 2017–2018 | 2018–2019 | 2019–2020 | 2020–2021<br>(जनवरी, 2020 से<br>दिसम्बर, 2020 तक) |
| 1.     | लघुवन उपज | 21.37     | 10.17     | 3.85      | 3.97  |

राज्य में पीसा एकट लागू होने के पश्चात राजससंघ का लघु वन उपज संग्रहण का एकाधिकार समाप्त हो गया है तथा क्षेत्र में लघु वन उपज मण्डी खुलने व अन्य योजनाओं प्रारम्भ होने से लघु वन उपज राजससंघ को अल्प मात्रा में ही प्राप्त हो रही है।

## अध्याय—6

# स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर (स्वच्छ परियोजना)

### 1. स्वास्थ्यकर्मी योजना

अनुसुचित क्षेत्र मे स्वच्छ द्वारा तपेदिक नियन्त्रण कार्यक्रम वर्ष 1996–97 से कियान्वित किया जा रहा है। संभावित क्षय रोगियों की जाचं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक के द्वारा की जाती है तथा डॉट्स पद्धति से उपलब्ध कराई गई दवा स्वच्छ परियोजना के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (स्वास्थ्यकर्मी) द्वारा रोगी को अपनी उपस्थिति में दी जाती है। दवा के अतिरिक्त प्रत्येक क्षय रोगी को उपचार अवधि में पोष्टिक आहार के रूप में 3 कि.ग्रा. सत्तु प्रतिमाह दिया जाता है।

जनजाति क्षेत्र में वर्तमान में स्वच्छ परियोजना द्वारा क्षय रोग नियन्त्रण योजना अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रीय विकास मद में ऐसे गांव एवं फलों में जहां पर चिकित्सा सुविधा का अभाव है स्वास्थ्यकर्मी महिला कार्यरत है। स्वास्थ्यकर्मी का चयन गांव वालो द्वारा उनके गांव की ऐसी महिला जो गांव में जानकारी रखती है तथा गांव वाले उससे परिचित है का किया जाता है। ये महिला क्षय रोग के संभावित रोगी को चिन्हित कर पास के चिकित्सा केन्द्र पर जांच हेतु ले जा कर बलगम जांच करवाती है तथा क्षय रोग प्रमाणित होने पर रोगी को देखरेख में डॉट्स पद्धति से उपचार करवाती है। साथ ही स्वास्थ्यकर्मी गांव में अन्य चिकित्सा संबंधी सेवाओं में ए.एन.एम. का सहयोग करती है जैसे कुपो ण, परिवार कल्याण, प्राथमिक उपचार, टिकाकरण कार्यक्रम, यूनिसेफ के माध्यम से मातृ शिशु एवं बाल पोषण (एम.आई.वाई.सी.एन) कार्यक्रम आदि।

| क्र.सं  | जिले का नाम | स्वीकृत स्वास्थ्यकर्मी | कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी |
|---------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1       | उदयपुर      | 1370                   | 1325                   |
| 2       | डूंगरपुर    | 840                    | 830                    |
| 3       | बांसवाड़ा   | 1487                   | 1340                   |
| 4       | प्रतापगढ़   | 563                    | 437                    |
| 5       | गाहबाद      | 400                    | 345                    |
| 6       | आबूरोड      | 70                     | 64                     |
| कुल योग |             | 4730                   | 4341                   |

वर्तमान में जनजाति क्षेत्र में कुल 3996 स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न जिलों में कार्यरत है तथा सहरिया क्षेत्र में कुल 345 स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत है। स्वास्थ्यकर्मी को योजना अनुमोदन अनुरूप मासिक निर्धारित मानदेय एवं यात्रा भत्ता रूपये 2200/- के रूप में दिये जाते हैं। माह दिसम्बर 2020 तक कुल राशि रु 1224.04 लाख का व्यय टी.ए.पी. क्षेत्र में एवं राशि

रु 94.48 लाख का व्यय सहरिया क्षेत्र में किया जा चुका है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 2907.77 लाख रूपये के प्रावधन के विपरीत माह दिसम्बर 2020 तक 1318.52 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 5536 रोगियों के उपचार कराया जा रहा है।

## 2. माँ–बाड़ी डे–केयर केन्द्रों एवं माँ–बाड़ी केन्द्रों का संचालन

यह योजना स्वच्छ परियोजना द्वारा वर्तमान में अनुसूचित जनजाति/कथौड़ी एवं सहरिया परिवारों के ऐसे बालक/बालिका जो शिक्षा से वंचित है के लिये संचालित की जा रही है।

जिला उदयपुर, छूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं सिरोही क्षेत्र में निवासरत जनजाति समुदाय के बालक बालिकाएं जो आयुवर्ग 6 से 12 के हैं जिस क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा (माँ–बाड़ी केन्द्र पर कक्षा पहली एवं चौथी की शिक्षा) हेतु 1 से 2 कि.मी. पैदल चल कर जाना होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बालकों को उन्हीं के फले अथवा गांव में माँ–बाड़ी केन्द्र संचालित कर शिक्षा से जोड़ना है एवं इन समुदाय की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता पैदा करना है। इन माँ–बाड़ी केन्द्रों में शिक्षाकर्मी का कार्य करने वाले युवक एवं युवती जनजाति समुदाय के ही होते हैं। प्रत्येक केन्द्र पर 30 जनजाति बालक/बालिकाओं को नामांकित कर बच्चों को निःशुल्क दोपहर का भोजन एवं एक समय का अल्पाहार, गणवेश, पाठ्य सामग्री इत्यादि उपलब्ध करायी जाती है। जनजाति समुदाय के बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना तथा जनजाति परिवारों के बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यूनिसेफ के माध्यम से जनजाति क्षेत्र में माँ–बाड़ी संचालन की कार्ययोजना अन्तर्गत यूनिसेफ द्वारा माँ–बाड़ी शिक्षा सहायोगियों को नवीन पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षा प्रदाय करने की प्रणाली में दक्ष करने की दृष्टि से प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में उदयपुर, छूंगरपुर, बांसवाड़ा, आबूरोड के 40 शिक्षाकर्मियों को दक्ष प्रशिक्षक भी बनाया गया है एवं इसी के साथ शिक्षा विभाग के दक्ष शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त स्वच्छ परियोजना के दक्ष प्रशिक्षक एवं शिक्षा विभाग के चयनित अध्यापकों के माध्यम से नियमित रूप से ब्लॉक स्तर पर अन्य स्वच्छ शिक्षा सहायोगियों को प्रतिमाह पुनर्निरक्षण प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।



## योजना का उद्देश्य:

1. प्रत्येक मॉ—बाड़ी केन्द्र पर जनजाति / कथौड़ी एवं सहरिया समुदाय के 6 से 12 वर्ष के शिक्षा से वंचित 30 बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा हेतु नामांकित करना तथा इसमें बालिकाओं को वरीयता प्रदान करना ।
2. इन बालक—बालिकाओं को मॉ—बाड़ी केन्द्र पर नाश्ता एवम् पो टक भोजन उपलब्ध कराना ।
3. प्रत्येक बालक—बालिकाओं को पो टाक, जूते, मौजे, टाई, बेल्ट तथा स्वेटर उपलब्ध कराना ।
4. खेतीहर मजदूरों के बच्चों का पलायन रोकना तथा अनवरत अध्ययन में सलंगन करना ।
5. अध्ययनरत बच्चों की माताओं को मॉ—बाड़ी की गतिविधियों से जोड़ना :  
—बच्चों के भोजन तैयार करने के लिए 2 जनजाति / कथौड़ी महिलाओं को प्रत्येक महीने बारी—बारी से दायित्व सौपना और मानदेय देना एवम् स्वयं भोजन करना और बच्चों को भोजन कराना ।  
—जनजाति / कथौड़ी महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से मॉ—बाड़ी केन्द्र के साथ जोड़ना ।  
—स्वास्थ्य, स्वच्छता के उत्थान हेतु राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करना ।
6. मॉ—बाड़ी केन्द्र जनजाति समुदाय द्वारा चयनित ग्राम विकास समिति के माध्यम संचालित किया जा रहा है। समिति द्वारा ही शिक्षाकर्मी की नियुक्ति की जाती है, जो कि समुदाय के ही स्थानीय बेरोजगार शिक्षित (आठवीं और उच्च शिक्षित) युवक—युवतियों को अध्यापन हेतु प्राथमिकता दी जाती है।

इस प्रकार इस योजना में आदिवासी, सहरिया, कथौड़ी समुदाय के जनजाति परिवारों के बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाकर शिक्षा के पथ पर अग्रसर किया जा सकेगा। आदिवासी परिवारों के बच्चों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है

### मॉ—बाड़ी डे—केयर एवं मॉ—बाड़ी केन्द्र में भिन्नता –

| क्र. स | मॉ—बाड़ी डे—केयर  | मॉ—बाड़ी  |
|--------|---|---|
| 1      | मॉ—बाड़ी डे—केयर में मुल: 2 शिक्षा सहयोगियों एवं 3 सहायिकाओं को प्रावधान है तथा ये केन्द्र प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुले रखे जाते हैं। जिससे इन बालक/ बालिकाओं के अभिभावक निश्चिन्त होकर | मॉ—बाड़ी में 1 शिक्षा सहयोगी एवं 2 सहायिका का प्रावधान है तथा ये केन्द्र शिक्षा विभाग के कलेण्डर के अनुरूप कार्य करते हैं। सभी मॉ—बाड़ी केन्द्र जनवरी से दिसम्बर तक निरन्तर खुले रखे जाते हैं। बालक/ बालिकाओं को सुबह का नाश्ता एवं |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | कृषि/मजदुरी कार्य हेतु बालकों को केन्द्र पर छोड़कर चले जाते हैं। डे-केयर केन्द्र पर बालकों को पुरे दिवस पौष्टिक आहार, खेल, शिक्षण कार्य उनकी रुची अनुसार कराया जाता है। | दोपहर का पौष्टिक उपलब्ध कराया जाता है।  |
| 2 | वर्ष 2020–21 में डे-केयर संचालन हेतु प्रति डे-केयर राशि रु 6.71 लाख की दर से प्रावधान रखा गया है।   | वर्ष 2020–21 में माँ बाड़ी केन्द्र संचालन हेतु प्रति माँ-बाड़ी राशि रु 4.15 लाख की दर से प्रावधान रखा गया है। |

इन केन्द्रों पर बालकों को प्रातः नाश्ता, दोपहर का भोजन, पाठ्य सामग्री, विद्यालय बैग, गणवेश, जूते, मोज, टाई, ऊनी जर्सी एवं अन्य केन्द्र पर खेल सामग्री इत्यादि निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के बालकों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना एवं शिक्षा से जोड़ना है।

माह दिसम्बर 2020 तक 811 डे-केयर एवं 1728 माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन स्वच्छ परियोजना द्वारा ग्राम विकास समितियों के माध्यम से किया जा रहा है।

### माँ-बाड़ी डे केयर सेन्टर – रूपरेखा

डे केयर केन्द्र के मुख्य कार्य निम्न प्रकार से है :–

1. माँ बाड़ी डे केयर सेन्टर सुबह 8 बजे से खोले जायेगे तथा शाम 6 बजे तक संचालित किये जा रहे हैं।
2. प्रत्येक माँ बाड़ी डे केयर सेन्टर में दो शिक्षाकर्मी जिसमें एक महिला तथा एक पुरुष रखी गयी है तथा तीन सहयोगिनियाँ रखी गयी हैं।
3. प्रत्येक केन्द्र पर 1–4 कक्षा की पढ़ाई की जानी है अतः रखे जाने वाले शिक्षाकर्मी की योग्यता कम से कम 8वीं होना अनिवार्य है विशेष परिस्थितियों में निदेशालय से स्वीकृति लेते हुए रखा गया है।
4. प्रत्येक केन्द्र पर 30 बालक/बालिकाएं नामांकित किये जाने अनुरूप नामांकित किये गये हैं।
5. प्रत्येक केन्द्र केवल राजकीय अवकाश पर ही बन्द रहते हैं शेष समस्त दिनों में मांबाड़ी डे केयर सेन्टर को खुला रखा जाता है।



माँ बाड़ी केन्द्र उपली कुण्डल कोटड़ा जिला उदयपुर में पौष्टिक वितरण

6. केन्द्र पर बालक बालिकाओं को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन शाम का नाश्ता व रात्रि भोजन निम्न समय अनुसार उपलब्ध करवाया जा रहा है।
 

सुबह का आगमन एवं नाश्ता 9.00 बजे

दोपहर भोजन 12.00 बजे


शाम का नाश्ता 3.00 बजे

रात्रि का भोजन 5.00 बजे
7. भोजन उपयुक्त गुणवत्ता का बनाया जाये यह शिक्षाकर्मी/समन्वयक की जिम्मेदारी रहती है।
8. बालक / बालिकाओं को पढाई के साथ खेल, व्यायाम एवं मनोरंजन हेतु गीत आदि सिखाये जा कर जिनसे बालकों का मन केन्द्र पर रहने का बना रहता है एवं इसके लिये योजना प्रावधान अनुरूप साधन उपलब्ध करवाये गये हैं। बालक / बालिकाओं में सफाई के प्रति रुझान रहे एवं उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहे इस हेतु आवश्यकता अनुसार स्नान की व्यवस्था तीनों सहयोगिनियों द्वारा की जाती है जोकि उसी फले एवं बच्चों की माताओं को योजना प्रावधान अनुरूप लिया गया है।
9. डे केयर सेन्टर संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी गांव की शिक्षा समिति की रहेगी। जिसकी माह के प्रत्येक 18 तारीख को बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें डे केयर सेन्टर से सम्बन्धित समस्त निर्णय लिये जायेगे।
10. बैठक का कार्यवाही रजिस्टर समन्वयक द्वारा प्रत्येक माह परियोजना अधिकारी की बैठक में प्रस्तुत करना होता है तथा परियोजना अधिकारी उनके जिले के समस्त डे केयर सेन्टर की वर्तमान स्थिति की तत्थ्यात्मक रिपोर्ट निदेशालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं जिससे इन समुदाय को अधिक से अधिक योजना का लाभ पहुंचाया जा सके।

डे—केयर सेन्टर स्वच्छ परियोजना द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है इसमें जनजाति / सहरिया परिवार जो रोजगार हेतु बाहर जाते हैं उनके बालक / बालिकाओं को डे केयर सेन्टर पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रखकर पढाई के साथ साथ घर जैसा माहोल उपलब्ध करवाया जाता है जिससे बालक / बालिकाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई की आदत हो तथा भविष्य में वह एक सुयोग्य अधिकारी बने। इस कार्य में मुख्य भुमिका शिक्षा सहयोगी तथा महिला सहयोगी की है अतः कमेटी द्वारा योग्य व्यक्ति का चयन किया जाना अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण निर्देश हेतु रखा गया है।

मॉ—बाड़ी योजना अन्तर्गत माह दिसम्बर 2020 तक टी.एस.पी क्षेत्र में 4147.53 लाख का व्यय, माड़ा क्षेत्र में 352.17 लाख का व्यय, सहरिया जे.के.एन योजना में राशि रु 462.67 लाख का व्यय एवं सी.सी.डी योजना में कुल राशि रु 292.96 लाख का व्यय योजना संचालन हेतु किया जा चुका है।

**Maa-Bari**  
 Centres  
**1728**

  
**Maa-Bari**  
 Day Care  
 Centres  
**811**


| District              | Maa-Bari    | Maa Bari Day Care Centres |
|-----------------------|-------------|---------------------------|
| Udaipur               | 357         | 169                       |
| Banswara              | 416         | 142                       |
| Dungarpur             | 325         | 103                       |
| Pratapgarh            | 324         | 54                        |
| Abu Road              | 22          | 19                        |
| Rajsamand (Khamnoor)  | 12          | -                         |
| Pindwara              | 34          | -                         |
| Pali (Bali)           | 59          | -                         |
| Jaipur                | 165         | -                         |
| Baran (Sahariya Area) | 14          | 324                       |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1728</b> | <b>811</b>                |

**मां बाड़ी केन्द्रो से गांव वालों को किरणा  
सामग्री उपलब्ध कराते हुए।**



**मां बाड़ी केन्द्र के शिक्षाकर्मी  
द्वारा गांव में गरीबों को  
पोशाहार वितरण किया गया।**



**आश्रम छात्रावास छापी को कारेन्टाईन  
सेंटर में परिवर्तित किया गया जहां  
पर प्रवासिय मजदुरों को ठहराया  
गया। जिनकी व्यवस्था जनजाति  
क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा की गई।**

## जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बंद पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरोद्धार

जनजाति उपयोजना एवं अन्य क्षेत्र के नदी नाले एवं बांधों के बैक वाटर में उपलब्ध पानी का सिंचाई हेतु उपयोग करने के उद्देश्य से इस योजना में विद्युत/सौलर मोटर द्वारा पानी को लिफ्ट किया जाकर सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती है। योजना का सर्वेक्षण किया जाकर लागत तथमीने तैयार किए जाते हैं। लागत का 10 प्रतिशत भाग नकद/श्रम के रूप में लाभान्वितों द्वारा वहन किया जाता है एवं 90



प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में टीएडी द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। योजना का क्रियान्वयन मुख्यतया: स्वच्छ परियोजना द्वारा तकनीकी दक्ष अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है। क्रियान्वयन में लाभान्वित काश्तकारों की समिति की भी सहभागिता रहती है। योजना पूर्ण होने पर तीन वर्षों तक कार्यकारी एजेन्सी द्वारा लाभान्वित काश्तकारों की कमेटी के माध्यम से संचालन किए जाने का प्रावधान रखा गया है। तत्पश्चात योजना लाभान्वितों की समिति को संचालन हेतु सौंप दी जायेगी। विंगत वर्षों में निर्मित परन्तु बंद सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरोद्धार भी इस योजनान्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जा रहा है। जलोत्थान सिंचाई योजना अन्तर्गत राशि रु 401.57 लाख का व्यय माह दिसम्बर 2020 तक किया जा चुका है।





**स्वास्थ्यकर्मी द्वारा मास्क तैयार करते हुए।**



जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में नामंकित 40000 एवं मां बाड़ी केन्द्र पर नामंकित 70000 छात्र/छात्राओं को स्वच्छ परियोजना द्वारा तैयार किये गये 2-2 मास्क उपलब्ध कराये जाएंगे।

## 6. ई.एम.आर.एस हॉस्टल मरम्मत कार्य –

जनजाति क्षेत्र उदयपुर, आबूरोड़, डूगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ योजना 275(1) अन्तर्गत टर्न की बेसिस के आधार में ई.एम.आर.एस हॉस्टल मरम्मत का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। उक्त योजना पर माह दिसम्बर 2020 तक कुल राशि रु 142.32 लाख का व्यय किया जा चुका है।



## हॉस्टल रिपेयरिंग



ई.एम.आर.एस मरम्मत एव रखरखाव कार्य हनोतिया, शाहबाद



अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय  
गोपालपुरा जिला कोटा



सामुदायिक भवन निर्माण अरथुना जिला बांसवाडा



सहरिया बंगला निर्माण कार्य

## **मॉ बाडी केन्द्र संचालन योजना**

यह योजना अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति एवं कथौड़ी समुदाय के शिक्षा से वंचित बच्चों (6 से 12 वर्ष आयु वर्ग) को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सांचलित की जा रही है। वर्ष 2020–21 में 9968.75 लाख के विरुद्ध माह माह दिसम्बर 2020 तक 4147.53 लाख रूपये व्यय हुए तथा 2039 मॉ बाडी केन्द्र में 61170 विद्यार्थियों को प्रवेश देकर लाभान्वित किया गया। वर्ष 2016–17 में 32670, वर्ष 2017–18 में 54360, वर्ष 2018–19 में 62490 एवं वर्ष 2019–20 में 62490 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

## **क्षय रोग नियंत्रण**

सामान्यतया जनजाति आबादी दूरदराज के क्षेत्र में निवास करती है तथा स्वास्थ्य सुविधाएं आसपास उपलब्ध नहीं होती है जनजाति व्यक्तियों में क्षय रोग का प्रकोप अधिक रहता है तथा निदान हेतु नियमित उपचार अनिवार्य होता है किन्तु जनजाति व्यक्ति के लिए कार्य दशाओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की दूरी के कारण नियमित उपचार लिया जाना संभव नहीं हो पाता है। अतः समस्याके निदान हेतु स्वच्छ परियोजना के माध्यम से क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसमे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा क्षय रोगियों की पहान कर उन्हे नियमित उपचार उपलब्ध कराया जाता है तथा पौं टक सत्तु दिया जाता हैं योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 2907.77 लाख रूपये के प्रावधन के विपरीत माह दिसम्बर 2020 तक 1318.52 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 5536 रोगियों के उपचार कराया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में 9506, वर्ष 2017–18 में 4298, वर्ष 2018–19 में 4688 एवं वर्ष 2019–20 में 5140 रोगियों के उपचार कराया गया।

## अध्याय – 7

# अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित अधिनियम/नियम/परिपत्र

## 1. वनाधिकार अधिनियम, 2006 : राजस्थान में क्रियान्वयन एवं प्रगति

### ➤ राजस्थान : सामान्य जानकारी

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हैं। इसमें से 32,550 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हैं जो कि 9.51 प्रतिशत हैं। राजस्थान राज्य में वन क्षेत्र मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में विद्यमान हैं। इसके अन्तर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़, व बांरा जिले आते हैं। इसके अतिरिक्त अलवर तथा सवाई माधोपुर में भी पर्याप्त वन क्षेत्र हैं। उक्त 9 जिलों के 60,06,221 हैक्टर कुल भू—भाग में से 15,78,101 हैक्टर पर वन अवस्थित हैं जो कि लगभग 26.3 प्रतिशत हैं।

### ➤ वनाधिकार अधिनियम, 2006 : सामान्य जानकारी

वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना का और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने ओर निहित करने के लिये अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपबंध करने के लिए भारत सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 पारित किया गया, जो **दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 से लागू हुआ।**

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियम, 2008 जारी किये गये जो **दिनांक 1 जनवरी, 2008 को राजपत्र में प्रकाशित हुए।**

तदुपरान्त विभिन्न राज्यों एवं स्वयंसेवी संगठनों के सुझाव प्राप्त होने पर इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने एवं प्रभावी तथा व्यापक ढंग से लागू करने के उद्देश्यों से भारत सरकार ने उक्त नियमों में कुछ संशोधन करते हुए **संशोधित नियम 6 सितम्बर, 2012 से जारी किये गये।**

**अधिनियम के अन्तर्गत निम्न प्रकार के वन अधिकार प्रदान किये जा रहे हैं—**

**1. व्यक्तिगत अधिकार —**

(अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को उनके कब्जे की सीमा तक अधिकतम 4 हैक्टर जमीन के ही अधिकार प्रदान किये जा सकेंगे।)

**2. सामुदायिक अधिकार —**

**धारा—3 (1)—**

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के सभी वन भूमि पर निम्नलिखित वन अधिकार होंगे, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक भूदृष्टि या दोनों को सुरक्षित करते हैं, अर्थात्—

- (क) किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामुहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार,
- (ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार,
- (ग) गौर वन उत्पादों के संग्रह, पहुंच, उपयोग, व्ययन का अधिकार
- (घ) मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चारागाह के उपयोग का अधिकार, आदि

**धारा 3 (2)—**

सार्वजनिक सुविधाओं एवं आवश्यकताओं के लिये वन भूमि के परिवर्तन का उपबंध— विद्यालय, आंगनबाड़ी, औषधालय या अस्पताल, सड़के, सामुदायिक केन्द्र आदि।

(इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए परिवर्तित की जाने वाली वनभूमि ऐसे प्रत्येक मामले में 1 हैक्टर से कम है; और ऐसी विकासशील परियोजनाओं की अनापत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उसकी सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की गई हो)

## अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार हेतु पात्रता

### (अ) – अनुसूचित जनजाति के वन निवासी व्यक्ति के लिए

अधिनियम की धारा 2(ग) “वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति” से अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं, जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं और इसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति चरागाही समुदाय भी हैं;

1. 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व वन भूमि का अधिभोग
2. आजीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भरता या निवासरत

### (ब) – अन्य परम्परागत वन निवासी

धारा 2(ण) “अन्य परम्परागत वन निवासी” से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं, जो 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा हैं और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर हैं। स्पष्टीकरण—“पीढ़ी” से पच्चीस वर्ष की अवधि अभिप्रेत हैं;

### ➤ राज्य में वनाधिकार अधिनियम की नवीनतम प्रगति – (दिसम्बर, 2020)

|  |                             | व्यक्तिगत दावें | सामुदायिक दावें | कुल योग         |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| कुल प्राप्त दावें                          |                             | 77925           | 1675            | <b>79600</b>    |
| कुल स्वीकृत दावें                          | (1) समीक्षा पूर्व स्वीकृत   | 39232           | 341             | <b>39573</b>    |
|  | (2) समीक्षा उपरान्त स्वीकृत | 4740            | 11              | <b>4751</b>     |
|  | योग (1+2)                   | <b>44072</b>    | <b>352</b>      | <b>44424</b>    |
| अंतिम रूप से निरस्त दावें                  |                             | 32045           | 1105            | <b>33150</b>    |
| प्रक्रियाधीन दावों की संख्या               |                             | 1808            | 218             | <b>2026</b>     |
| जारी अधिकार पत्रों की संख्या               |                             | 44071           | 353             | <b>44424</b>    |
| जारी अधिकार पत्रों का क्षेत्रफल (हैक्टेयर) |                             | 24965.22        | 4971.030        | <b>29936.54</b> |

➤ जिलेवार व्यक्तिगत दावों की स्थिति – प्राप्त, स्वीकृत, निरस्त, जारी एवं लम्बित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति अन्तर्गत जिलेवार प्राप्त, स्वीकृत, निरस्त, जारी एवं लम्बित/समीक्षाधीन व्यक्तिगत दावों प्रगति की सूचना—

**31 दिसम्बर, 2020**

| क्र. सं.   | नाम जिला  | ग्राम सभा में प्रस्तुत दावे | कुल स्वीकृत एवं वनाधिकार अधिकार हक पत्र जारी दावे | कुल निरस्त दावे | पेण्डग प्रकरण |
|------------|-----------|-----------------------------|---|-----------------|---------------|
| 1          | बांसवाड़ा | 21555                       | 14404   | 7151            | 0             |
| 2          | प्रतापगढ़ | 15750                       | 8749  | 7001            | 0             |
| 3          | डूँगरपुर  | 9718                        | 4861  | 3065            | 1792          |
| 4          | उदयपुर    | 15485                       | 10006   | 5479            | 0             |
| 5          | सिरोही    | 4377                        | 3162  | 1215            | 0             |
| 6          | राजसमंद   | 1034                        | 236   | 798             | 0             |
| 7          | बांरा     | 6468                        | 1392  | 5076            | 0             |
| 8          | पाली      | 667                         | 506   | 161             | 0             |
| 9          | भीलवाड़ा  | 528                         | 119   | 409             | 0             |
| 10         | स.माधोपुर | 110                         | 0   | 110             | 0             |
| 11         | कोटा      | 381                         | 86  | 294             | 1             |
| 12         | झालावाड़  | 302                         | 79  | 223             | 0             |
| 13         | बून्दी    | 558                         | 14  | 424             | 120           |
| 14         | जयपुर     | 98                          | 0   | 86              | 12            |
| 15         | चितोड़गढ़ | 666                         | 457   | 209             | 0             |
| 16         | टौंक      | 209                         | 0   | 209             | 0             |
| <b>योग</b> |           | <b>77906</b>                | <b>44071</b>                                      | <b>31910</b>    | <b>1925</b>   |

➤ जिलेवार सामुदायिक दावों की स्थिति – प्राप्त, स्वीकृत, निरस्त, जारी एवं लम्बित दावे—

| क्र. सं. | नाम जिला   | ग्राम सभा में प्रस्तुत दावे | कुल स्वीकृत दावे | कुल निरस्त दावे | सामुदायिक जारी अधिकार पत्र | जिले में लम्बित कलेम्स | सामुदायिक क्षेत्रफल (हैक्टर में) |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1        | बांसवाड़ा  | 685                         | 223              | 462             | 223                        | 0                      | 165.480                          |
| 2        | प्रतापगढ़  | 0                           | 0                | 0               | 0                          | 0                      | 0.000                            |
| 3        | डॉगरपुर    | 124                         | 56               | 27              | 56                         | 41                     | 1409.106                         |
| 4        | उदयपुर     | 293                         | 31               | 204             | 31                         | 58                     | 3219.68                          |
| 5        | सिरोही     | 311                         | 21               | 290             | 21                         | 0                      | 5.78                             |
| 6        | राजसमंद    | 13                          | 0                | 13              | 0                          | 0                      | 0.000                            |
| 7        | बांरा      | 246                         | 8                | 238             | 8                          | 0                      | 1.980                            |
| 8        | पाली       | 15                          | 2                | 11              | 4                          | 11                     | 16.76                            |
| 9        | भीलवाड़ा   | 3                           | 3                | 0               | 3                          | 0                      | 152.250                          |
| 10       | स.माधोपुर  | 0                           | 0                | 0               | 0                          | 0                      | 0.000                            |
| 11       | कोटा       | 0                           | 0                | 0               | 0                          | 0                      | 0.000                            |
| 12       | झालावाड़ा  | 0                           | 0                | 0               | 0                          | 0                      | 0.000                            |
| 13       | बून्दी     | 2                           | 0                | 0               | 0                          | 2                      | 0.000                            |
| 14       | जयपुर      | 0                           | 0                | 0               | 0                          | 0                      | 0.000                            |
| 15       | चितौड़गढ़  | 2                           | 0                | 2               | 0                          | 0                      | 0.000                            |
| 16       | टौंक       | 0                           | 0                | 0               | 0                          | 0                      | 0.000                            |
|          | <b>योग</b> | <b>1694</b>                 | <b>353</b>       | <b>1240</b>     | <b>353</b>                 | <b>101</b>             | <b>4971.030</b>                  |

➤ सामुदायिक दावों की नवीनतम स्थिति – (Dwellers Categorywise)

|                                 | ग्राम सभा में प्रस्तुत दावों की संख्या | जारी सामुदायिक अधिकार पत्रों की संख्या | जारी अधिकार पत्रों का क्षेत्रफल हैक्टर में |
|---------------------------------|--|--|--|
| अनुसूचित जनजाति (ST)            | 1689                                   | 350                                    | 4818.78                                    |
| अन्य परम्परागत वन निवासी (OTFD) | 5                                      | 3                                      | 152.250                                    |
| <b>महायोग</b>                   | <b>1694</b>                            | <b>353</b>                             | <b>4971.030</b>                            |

➤ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति अन्तर्गत दावें निरस्त होने के मुख्यतः निम्न कारण रहे:—

1. 13.12.2005 से पूर्व के कब्जे का साक्ष्य प्रमाणित नहीं होने से
2. नियम 13 में उल्लेखित अन्य साक्ष्य नहीं होने से
3. वन भूमि पर कब्जा नहीं होने से
4. निर्धारित दिनांक पर वन भूमि पर सतत कब्जा नहीं होने से
5. एक से अधिक दावेदार होने से
6. आजीविका की वास्तविक आवश्यकता के लिये वन भूमि पर निर्भरता प्रमाणित नहीं होना
7. भूमि वन विभाग की नहीं होने के कारण
8. सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मचारी होने के कारण जीविकोपार्जन हेतु वनभूमि पर निर्भरत नहीं होना
9. मौके पर विवाद होने से
10. वन अधिकार कानून की शर्त पूर्ण नहीं करने के कारण

➤ राज्य में वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु FRA Online MIS Portal प्रारम्भ किया गया—

- वनाधिकार अधिनियम अन्तर्गत प्राप्त वनाधिकार दावों के निस्तारण में पारदर्शिता (Transparency) लाने एवं संबंधित अधिकारियों की जवाबदेयता (Accountability) सुनिश्चित करने के लिये FRA Online MIS Portal विकसित कर फरवरी, 2019 में प्रारम्भ किया जा चुका है। इस पोर्टल के माध्यम से दावेदार स्वयं की सिटीजन आईडी., ई-मित्र, ग्राम पंचायत के माध्यम से वनाधिकार दावा ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकता है। दावे की जांच से लेकर वनाधिकार पत्र जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी/समिति द्वारा ऑनलाईन की जा रही है।

- राज्य में वनाधिकार अधिनियम अन्तर्गत दावे प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त दावों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है एवं दावेदारों को वनाधिकार पत्र जारी किये जा रहे हैं।

## **2. राजस्थान पंचायतीराज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 एवं नियम, 2011**

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, भारत सरकार के पंचायत सशक्तिकरण अभियान के तहत राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 सहित राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों को उनके अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने संबंधी उपान्तरण) अधिनियम, 1999 एवं राज्य पेसा नियम, 2011 की धरातलीय क्रियान्विति के क्रम में अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 4939 शांति समितियाँ गठित हैं।

### **वेबेक्स ऑनलाइन वेबीनार के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण**

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद एवं माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के साझा सहयोग से तीन दिवसीय प्रशिक्षण (टीओटी) ऑनलाइन वेबीनार के माध्यम से आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षणों में कुल 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

## **3. अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय पदों पर आरक्षण**

अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय मूल निवासियों का राजकीय सेवा में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 से आरक्षण हेतु प्रावधान किया गया कि “अनुसूचित क्षेत्रों, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के अन्यर्थियों से भरे जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अन्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरियता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा”। (परिशिष्ठ- 10)

#### **4. अनुसूचित क्षेत्र में राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण**

अनुसूचित क्षेत्र में सीर्धी भर्ती एवं पदोन्नति के स्तरों पर आरक्षण की समानुपातिक व्यवस्था नहीं होने के कारण राजकीय सेवाओं के पदोन्नति वाले पदों पर अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। अतः अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग को भर्ती के अनुपात में पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान किये जाने के लिये कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 से प्रावधान किया गया कि “अनुसूचित क्षेत्रों, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के कार्मिकों को 5 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को 45 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा”। (परिशिष्ट- 11)

#### **5. अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग हेतु शैक्षणिक संस्थाओं एवं प्रवेश परीक्षाओं में आरक्षण**

अनुसूचित क्षेत्र जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों एवं उसने संबंधित प्रवेश परीक्षाओं में अनुसूचित जनजाति के लिये निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग को 45 प्रतिशत (अर्थात् 5.5 प्रतिशत) आरक्षण दिये जाने का निम्न विभागों के अधीन संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक/स्नातकोत्तर व सर्टिफिकेट/डिप्लोमा एवं प्रवेश परीक्षाओं में भी आरक्षण का प्रावधान किये जाने की अधिसूचना/आदेश जारी की गई है। (परिशिष्ट – 12)

- चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 26.06.16
- तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16
- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16
- कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16
- आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16
- कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16
- पशुपालन विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16

## **6. सहरिया परियोजना क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय पदों पर आरक्षण**

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.05.2013 से राज्य के बारां जिले की समस्त तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत पिछड़ी वर्ग की जातियों के लिए 10 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी।  
**(परिशिष्ट-13)**

**परिशिष्ठा-1**

**अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण (नवीन क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए) जनगणना 2011 के अनुसार**

| क्रम संख्या                                    | जिला        | तहसील              | कुल ग्राम   | कुल जनसंख्या    | अनु .जनजाति जनसंख्या | प्रतिशत      |
|--|-------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 1  | बांसवाडा    | घाटोल              | 239         | 287101          | 231331               | 80.57        |
|  |             | गढ़ी               | 208         | 298740          | 173066               | 57.93        |
|  |             | बांसवाडा           | 356         | 458587          | 306968               | 66.94        |
|  |             | बागीदोरा           | 308         | 373825          | 318963               | 85.32        |
|  |             | कुशलगढ़            | 402         | 379232          | 342671               | 90.36        |
| <b>योग</b>                                     |             |                    | <b>1513</b> | <b>1797485</b>  | <b>1372999</b>       | <b>76.38</b> |
| 2  | झूंगरपर     | झूंगरपर            | 305         | 495423          | 384981               | 77.71        |
|  |             | आसपुर              | 174         | 224243          | 119085               | 53.11        |
|  |             | सागवाडा            | 245         | 343232          | 203272               | 59.22        |
|  |             | सीमलवाडा           | 252         | 325654          | 276099               | 84.78        |
| <b>योग</b>                                     |             |                    | <b>976</b>  | <b>1388552</b>  | <b>983437</b>        | <b>70.82</b> |
| 3  | प्रतापगढ़   | धरियावद            | 167         | 189872          | 149512               | 78.74        |
|  |             | पीपलखूंट           | 207         | 154063          | 143783               | 93.33        |
|  |             | अरनोद              | 181         | 141023          | 94932                | 67.32        |
|  |             | प्रतापगढ़          | 293         | 248813          | 112111               | 45.06        |
|  |             | छोटीसादड़ी         | 155         | 134077          | 50089                | 37.36        |
| <b>योग</b>                                     |             |                    | <b>1003</b> | <b>867848</b>   | <b>550427</b>        | <b>63.42</b> |
| 4  | उदयपुर      | गोगुन्दा           | 237         | 214948          | 107220               | 49.88        |
|  |             | गिर्वा (आंशिक)     | 252         | 324814          | 192034               | 59.12        |
|  |             | कोटडा              | 262         | 230532          | 220905               | 95.82        |
|  |             | झाडोल              | 283         | 249297          | 188925               | 75.78        |
|  |             | लसाडिया            | 114         | 91229           | 80435                | 88.17        |
|  |             | सलूम्बर            | 268         | 248337          | 132473               | 53.34        |
|  |             | सराडा              | 191         | 231209          | 147157               | 63.65        |
|  |             | ऋषभदेव             | 125         | 172935          | 145576               | 84.18        |
|  |             | खेरवाडा            | 195         | 206777          | 151494               | 73.26        |
|  |             | मावली(आंशिक)       | 4           | 3392            | 1776                 | 52.36        |
| <b>योग</b>                                     |             |                    | <b>1953</b> | <b>1990691</b>  | <b>1378012</b>       | <b>69.21</b> |
| 5  | सिरोही      | आबूरोड             | 85          | 224404          | 114360               | 50.96        |
|  |             | पिंडवाडा (आंशिक)   | 51          | 95653           | 76842                | 80.33        |
| <b>योग</b>                                     |             |                    | <b>136</b>  | <b>320057</b>   | <b>191202</b>        | <b>59.74</b> |
| 6  | राजसमन्द    | नाथद्वारा (आंशिक)  | 15          | 4591            | 2312                 | 50.36        |
|  |             | कुम्भलगढ़ (आंशिक)  | 16          | 20092           | 11643                | 57.95        |
| <b>योग</b>                                     |             |                    | <b>31</b>   | <b>24683</b>    | <b>13955</b>         | <b>56.54</b> |
| 7  | चित्तौड़गढ़ | बड़ीसादड़ी (आंशिक) | 51          | 21276           | 14533                | 68.31        |
| <b>योग</b>                                     |             |                    | <b>51</b>   | <b>21276</b>    | <b>14533</b>         | <b>68.31</b> |
| 8  | पाली        | बाली (आंशिक)       | 33          | 52761           | 47352                | 89.75        |
| <b>योग</b>                                     |             |                    | <b>33</b>   | <b>52761</b>    | <b>47352</b>         | <b>89.75</b> |
| <b>कुल योग</b>                                 |             |                    | <b>5696</b> | <b>6463853</b>  | <b>4551917</b>       | <b>70.42</b> |
| राजस्थान                                       |             |                    |             | <b>68548437</b> | <b>9238534</b>       | <b>13.48</b> |
| राज्य की तुलना में अनुसूचित क्षेत्र का प्रतिशत |             |                    |             | <b>9.43</b>     | <b>49.27</b>         |              |

संख्या ३१० दी ० एल०-३३००४/७९

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India



अमावास्या

EXTRAORDINARY

पांग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 325।  
No. 325।

नई दिल्ली, भवित्वात्, मई १९, २०१८/वैशाख २९, १९४०  
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 2018/VAISAKHA 29, 1940

विहि और न्याय बंधालय

(विचारी विचार)

अनुसूचित

नई दिल्ली, १९ मई, २०१८

सा.का.नि. 466(ब).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"सं. अ.270"

अनुसूचित खेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018

राष्ट्रपति, भारत के मंत्रिधारी अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित खेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 को विरचित करते हैं और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

- (1) इस आदेश का मंजिल नाम अनुसूचित खेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 है।
  - (2) यह तुरन्त प्रकृत होगा।
2. नीचे विनिर्दिष्ट खेत्रों को राजस्थान राज्य के अन्दर अनुसूचित खेत्रों के रूप में पुनः परिनिर्धित किया जाता है:—

(1) बांसवाड़ा जिला

(2) झंगरपुर जिला

(3) प्रतापगढ़ ज़िला

(4) उदयपुर ज़िले में निम्नलिखित क्षेत्र :

(क) कोटड़ा, झाडोल (तलालीन फलासिया), लसादिया, सनूम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, अह्यभद्र तथा गोगून्दा तहसील।

(ख) गिर्वां तहसील में निम्नलिखित क्षेत्र :

(i) गिर्वां ब्लॉक

(ii) निम्नानुसार उल्लिखित भृगुनांव ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

(i) मदार ग्राम पंचायत के मदार, ब्राह्मणों की हुन्दर, राठोड़ों का गुड़ा, बाम्दरवाड़ा, घोडान कलों, घोडान सूर्द और कायलों का गुड़ा ग्राम,

(ii) फैलाशपुरी ग्राम पंचायत के फैलाशपुरी, राया, करावाडी, मठाडा, नामदा, झालों का गुड़ा तथा मुण्डावास ग्राम,

(iii) चीरवा ग्राम पंचायत के चीरवा, मोहनपुरा, शिवपुरी, करेलों का गुड़ा तथा सारे ग्राम,

(iv) अन्धेरी ग्राम पंचायत के अन्धेरी, भीलों का बेदला, ओटो का गुड़ा तथा प्रतापपुरा ग्राम,

(v) दीकली ग्राम पंचायत के दीकली तथा बड़ा ग्राम,

(vi) कविता ग्राम पंचायत के कविता, बरोदिया, घसियार तथा ढांभियों का हुंदर ग्राम,

(vii) छार ग्राम पंचायत के गहलोंतों का बास, बीवाल, कुण्डाल उदेश्वरजी, छार, बदंगा तथा बनादिया ग्राम,

(ग) मावली तहसील के नउवा ग्राम पंचायत के नउवा, खाइरा, रायबीं का गुड़ा तथा माकवास ग्राम

(घ) निम्नानुसार उल्लिखित बल्लभनगर तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम:

(i) माल की दूस ग्राम पंचायत के माल की दूस, गोवला, कलेट, टांक और ब्राह्मणों का रोबा ग्राम,

(ii) धावडिया ग्राम पंचायत के धावडिया, खेडाफला, नामलिया, रानी हुंगला और राजिया ग्राम,

(iii) भोपा खेडा ग्राम पंचायत के भोपा खेडा, बेरीपुरा, हुमेरपुरा, फूतरिया और रायला ग्राम,

(iv) कुण्डई ग्राम पंचायत के कुण्डई, भसेला, गोटीपा, कांकरियों का खेडा, नाहरपुरा उफ नारपुरा, पदमा खेडा और संद्रामपुरा ग्राम।

(5) राजसमन्द ज़िले में निम्नलिखित :

(क) निम्नानुसार उल्लिखित कुंभलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

(i) आंतरी ग्राम पंचायत के आंतरी, समूर्धों का गुड़ा और बारंग ग्राम,

- (ii) कुचोली ग्राम पंचायत के कुचोली, केशर और चावदा ग्राम,
- (iii) ओड़ा ग्राम पंचायत के ओड़ा, दोबास और कोदार ग्राम,
- (iv) पीपाना ग्राम पंचायत के पीपाना, जेतारण और देलबाड़िया ग्राम,
- (v) बरदडा ग्राम पंचायत के बरदडा, उदाबह, कलधाना और कोटडा ग्राम,

(ख) नाथद्वारा तहसील के कालीवास ग्राम पंचायत के निम्नलिखित ग्राम, अर्थात्:-

कालीवास, बरवा, बरवालिया, बेरन, कमली का गुडा, गोमठो का नोहरा, दामावड़ी, कोलर, मुजेला, लीलेरा, राबनिया, श्यामजी का गुडा, सियोल, सोनभरिया और तांतेला ग्राम।

(6) निम्नानुसार उल्लिखित चिल्हाईगड़ जिले में बड़ी सावडी तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

- (क) रति चन्दजी का खेडा ग्राम पंचायत के आफरों का तालाब, लिंकोडा, सुन्तानपुरा, बोरखेडा, सेमल खेडा, रुधनपुरा, कीटखेडा, रति तमाई, रति चन्दजी का खेडा, चांदपुरा, सबलपुरा तथा गुन्दलपुरा ग्राम,
- (ख) अमीरामा ग्राम पंचायत के अमीरामा, मानपुरा, पारबरी, रुपपुरा तथा मराबहिया ग्राम,
- (ग) केवलपुरा ग्राम पंचायत के केवलपुरा (ए), केवलपुरा जामीर, राबतपुरा, शिवपुरा, टेंगड़ीयों का फला, नवा खेडा, रानी माल्या, काली भीत, लछमीपुरा, हरीपुरा, श्यामपुरा, जूनी बड़वाल, कल्याणपुरा तथा केवलपुरा (बी) ग्राम,
- (घ) मूँजवा ग्राम पंचायत के मूँजवा, बरसिंहपुरा, एकलिंगपुरा, मातामगरी, दीकड़िया खेडी, पूँजों का फलियान, पाथरी, केशरपुरा, खोरचिया खेडी, लालपुरा, काला खेत तथा दीपों का तालाब ग्राम,
- (ङ) पारसोली ग्राम पंचायत के पारसोली, बोरुण्डी, गड़ बोरुण्डी, संश्यामपुरा, राठोड़ों का खेडा, खेड़ी कलां, खेड़ी खुई तथा मुखपुरा ग्राम।

(7) निम्नानुसार उल्लिखित पाली जिले में निम्नलिखित बाली तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

- (क) आमलिया ग्राम पंचायत के आमलिया, कागदडा, ठंडी बेरी, लधमलपुरा जोड़ और बोधरा ग्राम,
- (ख) कुरण ग्राम पंचायत के कुरण, खेतरली, कोलबाडा, कोटीवाडा, कुरण खावरा और खेतरली खाडा ग्राम,
- (ग) गोरिया ग्राम पंचायत के गोरिया और कोरवा ग्राम,
- (घ) भीमाना ग्राम पंचायत के भीमाना, उपला भीमाना, तपी, उरणा और नाईया ग्राम,
- (ङ) काकराडी ग्राम पंचायत के काकराडी, अरठवा, दानबरली, सोभरवाडा और बेरुड़ी ग्राम,
- (च) मालनू ग्राम पंचायत के मालनू, हीरोला और लालपुरा ग्राम,
- (छ) पीपला ग्राम पंचायत का पीपला ग्राम,

- (ज) लुन्दाडा ग्राम पंचायत के लुन्दाडा, चिमनपुरा और मालदर ग्राम,
- (झ) कोयलाबाब ग्राम पंचायत के कोयलाबाब, चिंगटा भाटा और चोपा की नाम ग्राम।
- (B) सिरोही ज़िले में निम्नलिखित :
- (क) बाबूरोड़ तहसील
  - (ख) निम्नानुसार उल्लिखित पिण्डवाडा तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-
  - (i) बरली ग्राम पंचायत के बरली, कुण्डल, सावेला, बागदरी, ढांगा, कालुम्बरी और पिण्डवाडा (आमीण) ग्राम,
  - (ii) मोरस ग्राम पंचायत के मोरस, चीनिया बन्द और भादावेरी ग्राम,
  - (iii) आमली ग्राम पंचायत के आमली, ठंडी बेरी, सावलबा और मालप ग्राम,
  - (iv) घरट ग्राम पंचायत के घरट, मालेरा, नवाबास, गढ़िया और पहाड़ कलां ग्राम,
  - (v) लोटाना ग्राम पंचायत के लोटाना, आपरी खेड़ा और कालाबोर ग्राम,
  - (vi) माण्डवाडा खालसा ग्राम पंचायत के माण्डवाडा खालसा, खोखरी खेड़ा और वारकी खेड़ा ग्राम,
  - (vii) सनवाडा ग्राम पंचायत के सनवाडा, सदा फली, नवाबास देव, नवाबास खालसा और सेमली ग्राम,
  - (viii) ईसरा ग्राम पंचायत के ईसरा, केर, उबेरा और चुरली खेड़ा ग्राम,
  - (ix) बालोरिया ग्राम पंचायत का बालोरिया ग्राम,
  - (x) माण्डवाडा देव ग्राम पंचायत के माण्डवाडा देव, बीठारी पावर, केवार पावर और बोर उमरी ग्राम,
  - (xi) भूला ग्राम पंचायत का भूला ग्राम,
  - (xii) अचपुरा ग्राम पंचायत के अचपुरा, कासीन्दा, नागपुरा, पंच देवल, ब्लौक नं. 2 और कोटरा ग्राम,
  - (xiii) बसन्तगढ़ ग्राम पंचायत का बसन्तगढ़ ग्राम,
  - (xiv) सिवेरा ग्राम पंचायत के सिवेरा, राजपुरा, केशबगंज और दरला पावर ग्राम।

3. राज्यक्षेत्रीय प्रभाग, जाहे वह किसी भी नाम से उपदर्शित हो, के पूर्वगामी पैरा में किसी निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस भाषेश के प्रारम्भ पर यथाविद्यमान उस नाम के राज्यक्षेत्रीय प्रभाग के प्रति निर्देश है।

राम नाथ कोविंद,

राष्ट्रपति।

[फा.सं.1(31)/2017-वि.1]

डॉ. रीटा बशिष्ठ, अपर सचिव

परिशिष्ट – 3

माडा लघुखण्डो की जनसंख्या का विवरण

(जनगणना 2011 के अनुसार)

| क्रम संख्या | जिला                   | माडा लघुखण्ड का नाम                          | ग्रामों की संख्या | कुल जनसंख्या | अनु. जनजाति जनसंख्या | प्रतिशत |
|-------------|------------------------|--|-------------------|--------------|----------------------|---------|
| 1           | अलवर                   | 1. राजगढ—अलवर                                | 131               | 156839       | 81399                | 51.90   |
|             |                        | 2. थानागाजी                                  | 60                | 40344        | 22045                | 54.64   |
|             |                        | 3. लक्ष्मणगढ                                 | 28                | 41471        | 21419                | 51.65   |
|             |                        | योग  | 219               | 238654       | 124863               | 52.32   |
| 2           | धोलपुर                 | 4. बसेरी—बारी                                | 68                | 69729        | 40211                | 57.67   |
|             |                        | योग  | 68                | 69729        | 40211                | 57.67   |
| 3           | भीलवाडा                | 5. जहाजपुर—माण्डलगढ                          | 205               | 137506       | 72436                | 52.68   |
|             |                        | योग  | 205               | 137506       | 72436                | 52.68   |
| 4           | बून्दी                 | 6. बून्दी                                    | 56                | 50671        | 24322                | 48.00   |
|             |                        | 7. बून्दी—केशोरायपाटन                        | 56                | 49306        | 25201                | 51.11   |
|             |                        | 8. हिण्डौली—बून्दी                           | 40                | 43040        | 21187                | 49.23   |
|             |                        | 9. केशोरायपाटन                               | 35                | 29557        | 15992                | 54.11   |
|             |                        | 10. नैनवा—बून्दी—हिण्डौली                    | 65                | 49143        | 26068                | 53.05   |
|             |                        | योग  | 252               | 221717       | 112770               | 50.86   |
| 5—6         | चित्तोडगढ एवं प्रतापगढ | 11. बडीसादडी—छोटीसादडी                       | 29                | 17792        | 8266                 | 46.46   |
|             |                        | 12. बेंगु                                    | 118               | 52827        | 28211                | 53.40   |
|             |                        | 13. बेंगु—चित्तोडगढ                          | 72                | 21321        | 9806                 | 45.99   |
|             |                        | योग  | 219               | 91940        | 46283                | 50.34   |
| 7—8         | जयपुर एवं दौसा         | 14. लालसोट—चाकसू—दौसा—बसवा                   | 421               | 385783       | 211822               | 54.91   |
|             |                        | 15. जमवारामगढ—चाकसू—बस्सी—दौसा—सांगानेर—आमेर | 274               | 288776       | 164335               | 56.91   |
|             |                        | 16. सिकराय—बसवा                              | 76                | 118127       | 64168                | 54.32   |
|             |                        | योग  | 771               | 792686       | 440325               | 55.55   |
|             |                        | 17. अकलेरा                                   | 125               | 65393        | 41039                | 62.76   |
| 9           | झालावाड                | 18. झालरापाटन—खानपुर                         | 116               | 54571        | 34634                | 63.47   |
|             |                        | योग  | 241               | 119964       | 75673                | 63.08   |
|             |                        | 19. अटरू—छीपबडोद—छबडा                        | 36                | 24390        | 12686                | 52.01   |
| 10—11       | कोटा एवं बारां         | 20. छीपबडोद                                  | 50                | 32801        | 22618                | 68.96   |
|             |                        | 21. पीपल्दा—मांगरोल—दिगोद                    | 108               | 75311        | 39098                | 51.92   |
|             |                        | 22. छबडा                                     | 53                | 27042        | 16651                | 61.57   |
|             |                        | 23. रामगंजमण्डी—लाडपुरा                      | 44                | 26869        | 11797                | 43.91   |
|             |                        | 24. बारां—मांगरोल—सांगोद                     | 26                | 19753        | 11040                | 55.89   |
|             |                        | योग  | 317               | 206166       | 113890               | 55.24   |
|             |                        | 25. बाली                                     | 5                 | 23546        | 4201                 | 17.84   |
| 12          | पाली                   | योग  | 5                 | 23546        | 4201                 | 17.84   |
|             |                        | 26. बामनवास—गंगापुर                          | 40                | 36348        | 21303                | 58.61   |
| 13—14       | सवाईमाधो पुर एवं       | 27. बामनवास                                  | 41                | 43255        | 24654                | 57.00   |

|       |                          |                                 |      |         |         |       |
|-------|--------------------------|---------------------------------|------|---------|---------|-------|
|       | करौली                    | 28. गंगापुर—करौली               | 26   | 39048   | 21488   | 55.03 |
|       |                          | 29. नाडोती—हिण्डोन              | 30   | 46604   | 22661   | 48.62 |
|       |                          | 30. हिण्डोन—टोडाभीम             | 39   | 65824   | 34679   | 52.68 |
|       |                          | 31. करौली                       | 40   | 55111   | 26272   | 47.67 |
|       |                          | 32. करौली—सपोटरा—बोंली          | 77   | 104606  | 59233   | 56.62 |
|       |                          | 33. महुवा                       | 58   | 66426   | 37899   | 57.05 |
|       |                          | 34. बोंली                       | 70   | 81264   | 43122   | 53.06 |
|       |                          | 35. सवाईमाधोपुर—खण्डार          | 80   | 123686  | 67328   | 54.43 |
|       |                          | 36. टोडाभीम—नाडोती—महुवा        | 75   | 119989  | 64453   | 53.72 |
|       |                          | योग                             | 576  | 782161  | 423092  | 54.09 |
| 15    | सिरोही                   | 37. पिण्डवाडा—सिरोही—रेवदर      | 10   | 17109   | 9073    | 53.03 |
|       |                          | योग                             | 10   | 17109   | 9073    | 53.03 |
| 16    | टोंक                     | 38. देवली—टोडारायसिंह—टोंक      | 61   | 49815   | 25795   | 51.78 |
|       |                          | 39. निवाई                       | 71   | 46876   | 26208   | 55.91 |
|       |                          | 40. उनियारा                     | 74   | 48841   | 28453   | 58.26 |
|       |                          | 41. उनियारा—टोंक                | 40   | 18044   | 9963    | 55.22 |
|       |                          | योग                             | 246  | 163576  | 90419   | 55.28 |
| 17-18 | उदयपुर<br>एवं<br>राजसमंद | 42. गिर्वा—नाथद्वारा—मावली      | 22   | 38228   | 13150   | 34.40 |
|       |                          | 43. गोगुन्दा—कुम्भलगढ—नाथद्वारा | 21   | 20653   | 10995   | 53.24 |
|       |                          | 44. वल्लभनगर                    | 86   | 43115   | 11504   | 26.68 |
|       |                          | योग                             | 129  | 101996  | 35649   | 34.95 |
|       |                          | महायोग                          | 3258 | 2966750 | 1588885 | 53.56 |

नोट— इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच माडा क्लस्टर क्षेत्र के ग्रामों से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नहीं है।

#### माडा क्लस्टर की जनसंख्या का विवरण (जनगणना 2011 के अनुसार)

| क्रम संख्या | जिला        | माडा क्लस्टर का नाम  | ग्रामों की संख्या | कुल जनसंख्या | अनु. जनजाति जनसंख्या | प्रतिशत |
|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------|
| 1           | बून्दी      | 1. केशोरायपाटन       | 32                | 15730        | 9266                 | 58.91   |
| 2           | कोटा        | 2. दिगोद             | 19                | 11386        | 5526                 | 48.53   |
| 3           | बारां       | 3. अटरू—बारां        | 9                 | 7720         | 4267                 | 55.27   |
| 4           | झालावाड़    | 4. खानपुर            | 13                | 8636         | 4781                 | 55.36   |
|             |             | 5. अकलेरा (पू.)      | 32                | 25406        | 15131                | 59.56   |
|             |             | 6. अकलेरा (द.)       | 12                | 9834         | 6574                 | 66.85   |
|             |             | योग                  | 45                | 34042        | 19912                | 58.49   |
| 5           | अजमेर       | 7. केकड़ी            | 11                | 9714         | 5272                 | 54.27   |
| 6           | राजसमंद     | 8. नाथद्वारा—राजसमंद | 19                | 8358         | 4429                 | 52.99   |
| 7           | भरतपुर      | 9. वैर (उ.)          | 11                | 14366        | 7891                 | 54.93   |
|             |             | 10. वैर (द.)         | 4                 | 11210        | 5632                 | 50.24   |
|             |             | योग                  | 15                | 25576        | 13523                | 52.87   |
| 8           | सवाईमाधोपुर | 11खण्डार             | 9                 | 8272         | 5256                 | 63.54   |
| महायोग      |             |                      | 159               | 120798       | 67451                | 55.84   |

नोट—इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच माडा क्लस्टरक्षेत्र के ग्रामों से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नहीं है।

बिखरी जनजाति की जनसंख्या का विवरण

(जनगणना 2011 के अनुसार)

| क्र. सं. | जिले का नाम  | कुल जनजाति जनसंख्या | अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या | माडा क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या | माडा कलस्टर क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या | सहरिया क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या' | बिखरी हुई जनजाति की जनसंख्या'' |
|----------|--------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | गंगानगर      | 13477               | 0                                   | 0                               | 0                                      | 0                                  | 13477                          |
| 2        | हनुमानगढ़    | 14289               | 0                                   | 0                               | 0                                      | 0                                  | 14289                          |
| 3        | बीकानेर      | 7779                | 0                                   | 0                               | 0                                      | 0                                  | 7779                           |
| 4        | चुरू         | 11245               | 0                                   | 0                               | 0                                      | 0                                  | 11245                          |
| 5        | झुन्झुनू     | 41629               | 0                                   | 0                               | 0                                      | 0                                  | 41629                          |
| 6        | अलवर         | 289249              | 0                                   | 124863                          | 0                                      | 0                                  | 164386                         |
| 7        | भरतपुर       | 54090               | 0                                   | 0                               | 13523                                  | 0                                  | 40567                          |
| 8        | धोलपुर       | 58594               | 0                                   | 40211                           | 0                                      | 0                                  | 18383                          |
| 9        | करौली        | 324960              | 0                                   | 206370                          | 0                                      | 0                                  | 118590                         |
| 10       | सवाई माधोपुर | 285848              | 0                                   | 176727                          | 5256                                   | 0                                  | 103865                         |
| 11       | दौसा         | 433344              | 0                                   | 291984                          | 0                                      | 0                                  | 141360                         |
| 12       | जयपुर        | 527966              | 0                                   | 188336                          | 0                                      | 0                                  | 339630                         |
| 13       | सीकर         | 75349               | 0                                   | 0                               | 0                                      | 0                                  | 75349                          |
| 14       | अजमेर        | 63482               | 0                                   | 0                               | 5272                                   | 0                                  | 58210                          |
| 15       | टोंक         | 178207              | 0                                   | 90419                           | 0                                      | 0                                  | 87788                          |
| 16       | जैसलमेर      | 42429               | 0                                   | 0                               | 0                                      | 0                                  | 42429                          |
| 17       | जोधपुर       | 118924              | 0                                   | 0                               | 0                                      | 0                                  | 118924                         |
| 18       | नागौर        | 10418               | 0                                   | 0                               | 0                                      | 0                                  | 10418                          |
| 19       | पाली         | 144578              | 0                                   | 31381                           | 0                                      | 0                                  | 113197                         |
| 20       | बाडमेर       | 176257              | 0                                   | 0                               | 0                                      | 0                                  | 176257                         |
| 21       | जालोर        | 178719              | 0                                   | 0                               | 0                                      | 0                                  | 178719                         |
| 22       | सिरोही       | 292470              | 19202                               | 9073                            | 0                                      | 0                                  | 92915                          |
| 23       | भीलवाड़ा     | 229273              | 0                                   | 72436                           | 0                                      | 0                                  | 156837                         |
| 24       | राजसमन्द     | 160809              | 13955                               | 14458                           | 4429                                   | 0                                  | 127963                         |
| 25       | उदयपुर       | 1525289             | 137802                              | 21191                           | 0                                      | 0                                  | 126086                         |
| 26       | चित्तौड़गढ़  | 201546              | 14533                               | 46283                           | 0                                      | 0                                  | 140730                         |
| 27       | प्रतापगढ़    | 550427              | 500338                              | 0                               | 0                                      | 0                                  | 0                              |
| 28       | झूंगरपुर     | 983437              | 983437                              | 0                               | 0                                      | 0                                  | 0                              |
| 29       | बांसवाड़ा    | 1372999             | 1372999                             | 0                               | 0                                      | 0                                  | 0                              |
| 30       | बूंदी        | 228549              | 0                                   | 112770                          | 9266                                   | 0                                  | 106513                         |
| 31       | कोटा         | 183816              | 0                                   | 39245                           | 5526                                   | 0                                  | 139045                         |
| 32       | बारां        | 276857              | 0                                   | 74645                           | 4267                                   | 102124                             | 95821                          |
| 33       | झालावाड़     | 182229              | 0                                   | 75673                           | 19912                                  | 0                                  | 86644                          |
| योग      |              | 9238534             | 4551917                             | 1588885                         | 67451                                  | 102124                             | 2928157                        |

- सहरिया परियोजना क्षेत्र की गैर सहरिया (बिखरी जनजाति) जनसंख्या सहित
- सहरिया परियोजना क्षेत्र की बिखरी जनजाति (गैर सहरिया) जनसंख्या के अतिरिक्त

## परिशिष्ठ-5

### सहरिया विकास परियोजना की जनसंख्या का विवरण

| क्र. सं. | पंचायत समिति | क्षेत्रफल (वर्ग किमी)*** | ग्राम संख्या | वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार |                      |                           | कुल जनसंख्या की तुलना में अनु. जनजाति की जनसंख्या' | कुल जनसंख्या की तुलना में सहरिया जनसंख्या का प्रतिशत* |
|----------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|--|---|
|          |              |                          |              | कुल जनसंख्या                  | अनु. जनजाति जनसंख्या | सहरिया जनजाति की जनसंख्या |  |   |
|          | जिला बांरा   |                          |              |                               |                      |                           |  |   |
| 1.       | शाहबाद       | 1460                     | 236          | 105875                        | 41808                | 34687                     | 39.49  | 32.76   |
| 2.       | किशनगंज      | 1451                     | 213          | 166864                        | 60316                | 39308                     | 36.15  | 23.56   |
|          | कुल          | 2911                     | 449          | 272739                        | 102124               | 73995                     | 37.44  | 27.13   |

\* सहरिया जनजाति जनसंख्या का विवरण मा.ला. वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा सन् 2002 में किये गये सर्वे के आधार पर है

\*\*\*क्षेत्रफल का विवरण पूर्ववर्ती अनुसार ही लिया गया है।

|   |   |
|---|---|
| <br>राजस्थान राज-पत्र<br>विशेषांक<br>समिकार प्रकाशित | <b>RAJASTHAN GAZETTE</b><br><b>Extraordinary</b><br><i>Published by Authority</i>                     |
|   | ज्येष्ठ 26, गुरुवार, शाके 1938-जून 16, 2016<br><i>Jyaistha 26, Thursday, Shaka 1938-June 16, 2016</i> |

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (i)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्रशिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**TRIBAL AREA DEVELOPMENT DEPARTMENT**

**NOTIFICATION.**

**Jaipur, June 15, 2016**

G.S.R. 24 .-In exercise of the powers conferred by paragraph 4 of part B of the Fifth Schedule of the Constitution of India the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Tribes Advisory Council Rules, 1980, namely :-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Tribes Advisory Council (Amendment) Rules, 2016.  
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Amendment of rule 3.-** In sub-rule (2) of rule 3 of the Rajasthan Tribes Advisory Council Rules, 1980, for the existing expression "The Minister of the Tribal Development Department of Government of Rajasthan shall be the Ex-officio Chairman and member of the Council. The State Minister/Deputy Minister, Tribal Area Development Department shall be the Ex-officio Vice-Chairman and member of the Council", the expression "The Chief Minister of the State of Rajasthan shall be the Ex-officio Chairman and member of the Council. The Minister incharge/State Minister, Tribal Area Development Department shall be the Ex-officio Vice Chairman and Member of the Council." Shall be substituted.

[No. F.4 (25)(14)TAC/TAD/ 2013]

By Order of the Governor,

S.R. Meena,

Joint Secretary to the Government.



राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

बिनांक - प.6(32)प्र.सु./अनु-3/1991/

जयपुर, दिनांक २७/११/१९

आदेश

राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद, 1980 के नियम 3, 4 व 5 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए इस विभाग समसंख्यक आदेश दिनांक 06.06.2014 के अधिकानन में राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद, का पुनर्गठन निम्नानुसार किये जाने वाले महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:-

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| 1.  | माननीय मुख्यमंत्री महोदय                                   | अध्यक्ष    |
| 2.  | राज्यमंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग                  | उपाध्यक्ष  |
| 3.  | श्री दयाराम परमार, विधायक, खैरवाडा उदयपुर                  | सदस्य      |
| 4.  | श्री गणेश घोषरा, विधायक झुगरपुर                            | सदस्य      |
| 5.  | श्री रामलाल गौण, विधायक प्रलापगढ़                          | सदस्य      |
| 6.  | श्री भरारी लाल, विधायक दोसा                                | सदस्य      |
| 7.  | श्रीमती इन्द्रा, विधायक बामनदास, सवाईमाधोपुर               | सदस्य      |
| 8.  | श्री गोपाल लाल भीना, विधायक जमवारामगढ़, जयपुर              | सदस्य      |
| 9.  | श्रीमती निर्मला सहरिया, विधायक किशनगञ्ज, बारा              | सदस्य      |
| 10. | श्री जाहरीलाल भीना, विधायक राजगढ़-लहमणगढ़                  | सदस्य      |
| 11. | श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, विधायक यागीदोसा             | सदस्य      |
| 12. | श्री हरीश चन्द मीना, विधायक दवली-उनियारा                   | सदस्य      |
| 13. | श्री कान्ती प्रसाद, विधायक धानागांवी, अलवर                 | सदस्य      |
| 14. | श्री लहमण मीणा, विधायक बरसो                                | सदस्य      |
| 15. | श्रीमती इमोला खाडिया, विधायक कुशलगढ़, बासदाडा              | सदस्य      |
| 16. | श्री रामकेश, विधायक गगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर                | सदस्य      |
| 17. | श्री लक्ष्मीनारायण पट्टुया, उप उप जिला प्रभुख उदयपुर       | सदस्य      |
| 18. | अलि, मुख्य सचिव, शामीण विकास एवं पर्यावरणी राज विभाग जयपुर | सदस्य      |
| 19. | प्रमुख द्वारा न संचित, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर | सदस्य      |
| 20. | आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर               | सदस्य सचिव |

राजस्थान विधानसभा सदस्यों का मनोन्देश आगामी विधानसभा चुनाव तक व अन्य गैर सरकारी सदस्यों का मनोन्देश दो वर्ष की लिए होगा। उक्त परिषद रथायी होनी तथा इसका प्रशासनिक विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग होगा।

आज्ञा से

१७/१५  
(अरुण प्रकाश शमी)  
शासन उप सचिव



क्रमांक— प.६(३२)प्र.सु. / अन्-३/ १९९१/

जयपुर, दिनांक २८।।।।।९

- प्रतिलिपि — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —
1. सचिव, महानगरपाल महोदय, राजरथान जयपुर।
  2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजरथान जयपुर।
  3. विशेष साहाय्यक, माननीय राज्यमंत्री महोदय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
  4. उप शासन सचिव कम निजी सचिव, मुख्य सचिव जयपुर।
  5. समस्त सदस्यगण (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)।
  6. राष्ट्रीय सचिव, जनजाति कार्यमंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
  7. सचिव, निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
  8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
  9. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठी बजिल, बी-विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट नई दिल्ली।
  10. क्षेत्रीय निर्वाचक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं.—१०१ य १०२, प्रधम तल, द्वारा-अ, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-१०, विद्याधर नगर, जयपुर।
  11. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
  12. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
  13. सचिव, राजरथान विधानसभा, सचिवालय जयपुर।
  14. उप शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, जयपुर।
  15. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर को अद्वेष की 40 प्रतिया समिति रो संबधित सदस्यों को भिजाने हेतु संलग्न कर प्रेषित है।
  16. आषुक्त, सूचमा एवं जनसम्पर्क निर्वाचालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि जनहित में समाचार विभाग में इसे प्रकाशित करना का काट करें।
- संक्षिप्त पत्रावली एफ4(२५)(१४)टीएक्टी / ०४

27।।।।।९  
शासन उप सचिव

**विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावास (सत्र 2020-21)**  
**अनुसूचित क्षेत्र**

| जिला      | क्र.सं. | आश्रम छात्रावास का नाम | पंचायत समिति | वर्ग   | चालू वर्ष | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी |
|-----------|---------|------------------------|--------------|--------|-----------|---------------|---------------------|
| बांसवाड़ा | 1       | गढ़ी                   | गढ़ी         | बालक   | 1988-89   | 100           | 100                 |
| बांसवाड़ा | 2       | गढ़ी                   | गढ़ी         | बालिका | 2014-15   | 75            | 75                  |
| बांसवाड़ा | 3       | सरेडी बड़ी             | गढ़ी         | बालक   | 1989-90   | 100           | 100                 |
| बांसवाड़ा | 4       | टीमरवा                 | गढ़ी         | बालिका | 2019-20   | 50            | 50                  |
| बांसवाड़ा | 5       | पालोदा                 | गढ़ी         | बालिका | 2015-16   | 50            | 50                  |
| बांसवाड़ा | 6       | रामगढ                  | कुशलगढ       | बालक   | 1986-87   | 100           | 100                 |
| बांसवाड़ा | 7       | हिमलाबडा               | कुशलगढ       | बालक   | 1990-91   | 75            | 75                  |
| बांसवाड़ा | 8       | छोटी सरवा              | कुशलगढ       | बालक   | 1997-98   | 75            | 75                  |
| बांसवाड़ा | 9       | कुशलगढ                 | कुशलगढ       | बालिका | 1996-97   | 125           | 125                 |
| बांसवाड़ा | 10      | छोटी सरवा              | कुशलगढ       | बालिका | 2012-13   | 75            | 75                  |
| बांसवाड़ा | 11      | बड़ला की रेल           | कुशलगढ       | बालिका | 2013-14   | 50            | 50                  |
| बांसवाड़ा | 12      | बस्सी—कुशलगढ           | कुशलगढ       | बालिका | 2016-17   | 50            | 50                  |
| बांसवाड़ा | 13      | झींकली                 | कुशलगढ       | बालिका | 2016-17   | 50            | 50                  |
| बांसवाड़ा | 14      | ठिमेडा (टिमेडा बडा)    | कुशलगढ       | बालिका | 2013-14   | 50            | 50                  |
| बांसवाड़ा | 15      | खजुरा                  | कुशलगढ       | बालक   | 2019-20   | 50            | 50                  |
| बांसवाड़ा | 16      | पोटलिया                | कुशलगढ       | बालिका | 2012-13   | 50            | 50                  |
| बांसवाड़ा | 17      | छोटी सरवन              | छोटी सरवन    | बालक   | 1978-79   | 100           | 100                 |
| बांसवाड़ा | 18      | दानपुर                 | छोटी सरवन    | बालिका | 2014-15   | 50            | 50                  |
| बांसवाड़ा | 19      | घोड़ी तेजपुर           | छोटी सरवन    | बालक   | 1989-90   | 100           | 100                 |
| बांसवाड़ा | 20      | छोटी सरवन              | छोटी सरवन    | बालिका | 2002-03   | 75            | 72                  |
| बांसवाड़ा | 21      | कलिंजरा                | बागीदौरा     | बालक   | 1977-78   | 125           | 119                 |
| बांसवाड़ा | 22      | बड़ोदिया               | बागीदौरा     | बालक   | 1997-98   | 100           | 100                 |
| बांसवाड़ा | 23      | बागीदौरा               | बागीदौरा     | बालिका | 2004-05   | 125           | 125                 |
| बांसवाड़ा | 24      | करजी                   | बागीदौरा     | बालिका | 2006-07   | 100           | 100                 |
| बांसवाड़ा | 25      | शक्करवाडा              | बागीदौरा     | बालिका | 2014-15   | 50            | 50                  |
| बांसवाड़ा | 26      | बड़ोदिया               | बागीदौरा     | बालिका | 2013-14   | 50            | 50                  |
| बांसवाड़ा | 27      | नौगामा                 | बागीदौरा     | बालिका | 2013-14   | 50            | 50                  |
| बांसवाड़ा | 28      | तलवाडा                 | तलवाडा       | बालक   | 1997-98   | 75            | 68                  |
| बांसवाड़ा | 29      | कूपडा                  | तलवाडा       | बालक   | 1996-97   | 75            | 75                  |
| बांसवाड़ा | 30      | आनन्दपुरी              | आनन्दपुरी    | बालक   | 1997-98   | 100           | 100                 |
| बांसवाड़ा | 31      | आनन्दपुरी              | आनन्दपुरी    | बालिका | 1987-88   | 100           | 100                 |
| बांसवाड़ा | 32      | चान्दरवाडा             | आनन्दपुरी    | बालिका | 2006-07   | 100           | 100                 |

| जिला     | क्र.सं. | आश्रम छात्रावास का नाम | पंचायत समिति | वर्ग   | चालू वर्ष | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी |
|----------|---------|------------------------|--------------|--------|-----------|---------------|---------------------|
| बांसवाडा | 33      | शारदा (फलवा)           | आनन्दपुरी    | बालिका | 2013-14   | 75            | 75                  |
| बांसवाडा | 34      | मड़कौला                | आनन्दपुरी    | बालिका | 2013-14   | 50            | 50                  |
| बांसवाडा | 35      | डोकर                   | आनन्दपुरी    | बालिका | 2013-14   | 50            | 50                  |
| बांसवाडा | 36      | बड़लिया                | आनन्दपुरी    | बालिका | 2013-14   | 50            | 50                  |
| बांसवाडा | 37      | उदयपुरबडा              | आनन्दपुरी    | बालिका | 2016-17   | 50            | 50                  |
| बांसवाडा | 38      | टामटिया                | आनन्दपुरी    | बालिका | 2016-17   | 50            | 50                  |
| बांसवाडा | 39      | रूपजी का खेडा          | घाटोल        | बालक   | 1989-90   | 75            | 75                  |
| बांसवाडा | 40      | नरवाली                 | घाटोल        | बालक   | 1997-98   | 75            | 75                  |
| बांसवाडा | 41      | पडोली राठोड            | घाटोल        | बालक   | 1997-98   | 75            | 75                  |
| बांसवाडा | 42      | बोरदा                  | घाटोल        | बालक   | 2006-07   | 125           | 125                 |
| बांसवाडा | 43      | घाटोल                  | घाटोल        | बालिका | 2011-12   | 75            | 75                  |
| बांसवाडा | 44      | बस्सी आडा              | घाटोल        | बालिका | 2016-17   | 50            | 50                  |
| बांसवाडा | 45      | जगपुरा                 | घाटोल        | बालिका | 2013-14   | 50            | 50                  |
| बांसवाडा | 46      | कसारवाडी               | सज्जनगढ      | बालक   | 1990-91   | 75            | 75                  |
| बांसवाडा | 47      | ताम्बेसरा              | सज्जनगढ      | बालक   | 1997-98   | 75            | 75                  |
| बांसवाडा | 48      | छोटा डूँगरा            | सज्जनगढ      | बालक   | 1997-98   | 75            | 75                  |
| बांसवाडा | 49      | सज्जनगढ                | सज्जनगढ      | बालिका | 2011-12   | 75            | 75                  |
| बांसवाडा | 50      | छोटा डूँगरा            | सज्जनगढ      | बालिका | 2012-13   | 75            | 75                  |
| बांसवाडा | 51      | सागवा                  | सज्जनगढ      | बालिका | 2012-13   | 50            | 50                  |
| बांसवाडा | 52      | जौलाना                 | अरथुना       | बालिका | 1996-97   | 100           | 50                  |
| बांसवाडा | 53      | लोकिया अरथुना          | अरथुना       | बालिका | 2014-15   | 50            | 50                  |
| बांसवाडा | 54      | गांगडतलाई              | गांगडतलाई    | बालक   | 1986-87   | 100           | 100                 |
| बांसवाडा | 55      | सल्लोपाट               | गांगडतलाई    | बालक   | 1997-98   | 100           | 100                 |
| बांसवाडा | 56      | पंचाल (टांडी)          | गांगडतलाई    | बालिका | 2013-14   | 50            | 50                  |
| बांसवाडा | 57      | जेरमाटी (लंकाई)        | गांगडतलाई    | बालिका | 2013-14   | 50            | 50                  |
| बांसवाडा | 58      | गमानिया मोती           | गांगडतलाई    | बालिका | 2015-16   | 50            | 50                  |
| बांसवाडा | 59      | घोडिया                 | गांगडतलाई    | बालिका | 2017-18   | 50            | 50                  |
| बांसवाडा | 60      | आंबापुरा               | बांसवाडा     | बालक   | 1989-90   | 100           | 100                 |
| बांसवाडा | 61      | खेडा वडली पाडा         | बांसवाडा     | बालक   | 1985-86   | 100           | 100                 |
| बांसवाडा | 62      | खेडा वडली पाडा         | बांसवाडा     | बालिका | 2014-15   | 50            | 50                  |
| बांसवाडा | 63      | माही डेम               | बांसवाडा     | बालक   | 1997-98   | 100           | 100                 |
| बांसवाडा | 64      | प्रति. बांसवाडा        | बांसवाडा     | बालक   | 1997-98   | 75            | 75                  |
| बांसवाडा | 65      | बांसवाडा               | बांसवाडा     | बालिका | 1995-96   | 100           | 96                  |
| बांसवाडा | 66      | बोरिया (पलाशवानी)      | बांसवाडा     | बालिका | 2013-14   | 50            | 50                  |
| बांसवाडा | 67      | नवागाँव                | बांसवाडा     | बालिका | 2015-16   | 50            | 50                  |

| जिला     | क्र.सं. | आश्रम छात्रावास का नाम          | पंचायत समिति | वर्ग   | चालू वर्ष | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी |
|----------|---------|---------------------------------|--------------|--------|-----------|---------------|---------------------|
|          |         | योग 67<br>बालक 26,<br>बालिका 41 |              |        |           | 4950          | 4880                |
| झौंगरपुर | 1       | रीछा                            | साबला        | बालक   | 1978-79   | 125           | 125                 |
| झौंगरपुर | 2       | पचलासा छोटा                     | साबला        | बालक   | 1989-90   | 50            | 50                  |
| झौंगरपुर | 3       | निठाउवा                         | साबला        | बालक   | 1997-98   | 50            | 50                  |
| झौंगरपुर | 4       | निठाउवा                         | साबला        | बालिका | 2014-15   | 75            | 73                  |
| झौंगरपुर | 5       | आसपुर                           | आसपुर        | बालक   | 1997-98   | 75            | 75                  |
| झौंगरपुर | 6       | पूंजपुर                         | आसपुर        | बालक   | 1997-98   | 75            | 73                  |
| झौंगरपुर | 7       | रामगढ़                          | आसपुर        | बालक   | 1997-98   | 75            | 61                  |
| झौंगरपुर | 8       | आसपुर                           | आसपुर        | बालिका | 2006-07   | 100           | 100                 |
| झौंगरपुर | 9       | साबला                           | साबला        | बालिका | 2010-11   | 75            | 69                  |
| झौंगरपुर | 10      | देवला                           | आसपुर        | बालिका | 2016-17   | 50            | 50                  |
| झौंगरपुर | 11      | ठाकरडा                          | सागवाडा      | बालक   | 1997-98   | 75            | 67                  |
| झौंगरपुर | 12      | ओबरी                            | सागवाडा      | बालक   | 1991-92   | 100           | 100                 |
| झौंगरपुर | 13      | नोकना                           | सागवाडा      | बालक   | 1989-90   | 75            | 75                  |
| झौंगरपुर | 14      | चित्रकूट                        | सागवाडा      | बालक   | 1989-90   | 50            | 50                  |
| झौंगरपुर | 15      | भीलूडा                          | सागवाडा      | बालक   | 1997-98   | 50            | 43                  |
| झौंगरपुर | 16      | पाडवा                           | सागवाडा      | बालक   | 1997-98   | 50            | 50                  |
| झौंगरपुर | 17      | बडगी                            | सागवाडा      | बालिका | 2011-12   | 50            | 50                  |
| झौंगरपुर | 18      | ओबरी                            | सागवाडा      | बालिका | 1991-92   | 75            | 75                  |
| झौंगरपुर | 19      | भीलूडा                          | सागवाडा      | बालिका | 2013-14   | 75            | 75                  |
| झौंगरपुर | 20      | खडगदा                           | सागवाडा      | बालिका | 2013-14   | 75            | 75                  |
| झौंगरपुर | 21      | चितरी                           | गलियाकोट     | बालिका | 2016-17   | 50            | 50                  |
| झौंगरपुर | 22      | पादरडीबडी                       | सागवाडा      | बालिका | 2015-16   | 75            | 50                  |
| झौंगरपुर | 23      | फलोज                            | दोवडा        | बालक   | 1997-98   | 75            | 75                  |
| झौंगरपुर | 24      | फलोज                            | दोवडा        | बालिका | 2014-15   | 50            | 45                  |
| झौंगरपुर | 25      | कहारी                           | दोवडा        | बालक   | 1991-92   | 75            | 74                  |
| झौंगरपुर | 26      | रघुनाथपुरा                      | दोवडा        | बालक   | 1981-82   | 100           | 100                 |
| झौंगरपुर | 27      | मालचौकी                         | झौथरी        | बालक   | 1989-90   | 75            | 75                  |
| झौंगरपुर | 28      | सूराता                          | झौथरी        | बालक   | 1987-88   | 100           | 94                  |
| झौंगरपुर | 29      | प्रति. झौंगरपुर                 | झौंगरपुर     | बालक   | 1991-92   | 100           | 99                  |
| झौंगरपुर | 30      | झौंगरपुर                        | झौंगरपुर     | बालिका | 1995-96   | 125           | 125                 |
| झौंगरपुर | 31      | पालमाण्डव                       | झौंगरपुर     | बालिका | 2003-04   | 75            | 75                  |
| झौंगरपुर | 32      | कन्या सतीरामपुर                 | झौंगरपुर     | बालिका | 2015-16   | 75            | 74                  |

| जिला    | क्र.सं. | आश्रम छात्रावास का नाम          | पंचायत समिति | वर्ग   | चालू वर्ष | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी |
|---------|---------|---------------------------------|--------------|--------|-----------|---------------|---------------------|
| डॉगरपुर | 33      | देवलपाल                         | डॉगरपुर      | बालक   | 1997-98   | 50            | 50                  |
| डॉगरपुर | 34      | बिच्छीवाडा                      | बिच्छीवाडा   | बालक   | 1990-91   | 100           | 100                 |
| डॉगरपुर | 35      | तलैया                           | बिच्छीवाडा   | बालक   | 1985-86   | 100           | 100                 |
| डॉगरपुर | 36      | माडा                            | बिच्छीवाडा   | बालक   | 1985-86   | 130           | 122                 |
| डॉगरपुर | 37      | गंधवापाल                        | बिच्छीवाडा   | बालक   | 1997-98   | 75            | 75                  |
| डॉगरपुर | 38      | गामडी अहाडा                     | बिच्छीवाडा   | बालक   | 1990-91   | 75            | 65                  |
| डॉगरपुर | 39      | चुण्डावाडा                      | बिच्छीवाडा   | बालक   | 1997-98   | 125           | 125                 |
| डॉगरपुर | 40      | छापी                            | बिच्छीवाडा   | बालिका | 1990-91   | 125           | 125                 |
| डॉगरपुर | 41      | मेवाडा                          | बिच्छीवाडा   | बालिका | 2016-17   | 50            | 50                  |
| डॉगरपुर | 42      | डॉका                            | सीमलवाडा     | बालक   | 1985-86   | 100           | 100                 |
| डॉगरपुर | 43      | बडगामा                          | चीखली        | बालक   | 1991-92   | 50            | 50                  |
| डॉगरपुर | 44      | झलाप                            | सीमलवाडा     | बालक   | 1997-98   | 50            | 50                  |
| डॉगरपुर | 45      | पीठ                             | सीमलवाडा     | बालक   | 1997-98   | 75            | 75                  |
| डॉगरपुर | 46      | सीमलवाडा                        | सीमलवाडा     | बालक   | 1998-99   | 100           | 98                  |
| डॉगरपुर | 47      | रास्तापाल                       | सीमलवाडा     | बालक   | 1997-98   | 75            | 75                  |
| डॉगरपुर | 48      | सीमलवाडा                        | सीमलवाडा     | बालिका | 1991-92   | 100           | 94                  |
| डॉगरपुर | 49      | चीखली                           | चीखली        | बालिका | 2004-05   | 100           | 100                 |
| डॉगरपुर | 50      | बांसिया                         | सीमलवाडा     | बालिका | 2012-13   | 75            | 75                  |
| डॉगरपुर | 51      | सरथुना                          | सीमलवाडा     | बालिका | 207-18    | 50            | 50                  |
|         |         | योग 51<br>बालक 31,<br>बालिका 20 |              |        |           | 4005          | 3901                |
| उदयपुर  | 1       | लसाडिया                         | लसाडिया      | बालक   | 1991-92   | 105           | 105                 |
| उदयपुर  | 2       | कालीभीत                         | लसाडिया      | बालक   | 1997-98   | 50            | 50                  |
| उदयपुर  | 3       | लसाडिया                         | लसाडिया      | बालिका | 2003-04   | 75            | 72                  |
| उदयपुर  | 4       | कुण                             | लसाडिया      | बालिका | 2016-17   | 50            | 46                  |
| उदयपुर  | 5       | मालवा का चौरा                   | कोटडा        | बालक   | 1988-89   | 95            | 91                  |
| उदयपुर  | 6       | मामेर                           | कोटडा        | बालक   | 1978-79   | 100           | 100                 |
| उदयपुर  | 7       | झेड                             | कोटडा        | बालक   | 1997-98   | 50            | 50                  |
| उदयपुर  | 8       | महाडी                           | कोटडा        | बालिका | 2018-19   | 50            | 7                   |
| उदयपुर  | 9       | बेकरिया                         | कोटडा        | बालिका | 2017-18   | 100           | 100                 |
| उदयपुर  | 10      | मेरपुर                          | कोटडा        | बालिका | 1999-2000 | 65            | 63                  |
| उदयपुर  | 11      | कोटडा                           | कोटडा        | बालिका | 2011-12   | 75            | 70                  |
| उदयपुर  | 12      | समीजा                           | गोगुन्दा     | बालक   | 2004-05   | 50            | 50                  |
| उदयपुर  | 13      | पीपलीखेडा                       | गोगुन्दा     | बालिका | 2008-09   | 50            | 49                  |

| जिला   | क्र.सं. | आश्रम छात्रावास का नाम | पंचायत समिति | वर्ग   | चालू वर्ष | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी |
|--------|---------|------------------------|--------------|--------|-----------|---------------|---------------------|
| उदयपुर | 14      | रावज                   | गोगुन्दा     | बालक   | 2018-19   | 50            | 44                  |
| उदयपुर | 15      | छाली                   | गोगुन्दा     | बालिका | 2018-19   | 50            | 48                  |
| उदयपुर | 16      | चित्रावास              | गोगुन्दा     | बालिका | 2018-19   | 50            | 46                  |
| उदयपुर | 17      | भबराना                 | झल्लारा      | बालक   | 1985-86   | 100           | 98                  |
| उदयपुर | 18      | जैताणा                 | झल्लारा      | बालिका | 2002-03   | 75            | 75                  |
| उदयपुर | 19      | ईटालीखेड़ा             | सलूम्बर      | बालक   | 1991-92   | 50            | 50                  |
| उदयपुर | 20      | करावली                 | सलूम्बर      | बालक   | 1990-91   | 50            | 47                  |
| उदयपुर | 21      | डाल—सलूम्बर            | सलूम्बर      | बालिका | 2001-02   | 100           | 99                  |
| उदयपुर | 22      | गीगला                  | सलूम्बर      | बालिका | 2015-16   | 50            | 50                  |
| उदयपुर | 23      | गामडापाल               | सलूम्बर      | बालिका | 2016-17   | 50            | 50                  |
| उदयपुर | 24      | झाडोल                  | झाडोल        | बालक   | 1984-85   | 100           | 98                  |
| उदयपुर | 25      | बाघपुरा                | झाडोल        | बालक   | 1997-98   | 50            | 48                  |
| उदयपुर | 26      | ढीमडी                  | झाडोल        | बालक   | 1989-90   | 70            | 67                  |
| उदयपुर | 27      | ओडा                    | झाडोल        | बालक   | 1996-97   | 40            | 40                  |
| उदयपुर | 28      | गोराणा                 | झाडोल        | बालक   | 1996-97   | 40            | 35                  |
| उदयपुर | 29      | ओगणा                   | झाडोल        | बालिका | 2017-18   | 50            | 50                  |
| उदयपुर | 30      | झाडोल                  | झाडोल        | बालिका | 2011-12   | 75            | 75                  |
| उदयपुर | 31      | पानरवा                 | फलासिया      | बालिका | 2006-07   | 75            | 67                  |
| उदयपुर | 32      | नालवा                  | फलासिया      | बालक   | 1997-98   | 40            | 40                  |
| उदयपुर | 33      | डैया                   | फलासिया      | बालक   | 1997-98   | 50            | 50                  |
| उदयपुर | 34      | मादडी                  | फलासिया      | बालक   | 2004-05   | 50            | 49                  |
| उदयपुर | 35      | अम्बासा                | फलासिया      | बालक   | 1986-87   | 80            | 52                  |
| उदयपुर | 36      | फलासिया                | फलासिया      | बालिका | 1982-83   | 105           | 3                   |
| उदयपुर | 37      | बिरोठी                 | फलासिया      | बालिका | 2004-05   | 50            | 0                   |
| उदयपुर | 38      | अम्बासा                | फलासिया      | बालिका | 1995-96   | 50            | 37                  |
| उदयपुर | 39      | सरेरा                  | खैरवाडा      | बालक   | 1997-98   | 25            | 25                  |
| उदयपुर | 40      | बावलवाडा               | खैरवाडा      | बालक   | 1997-98   | 50            | 50                  |
| उदयपुर | 41      | पाटिया                 | खैरवाडा      | बालक   | 1997-98   | 40            | 38                  |
| उदयपुर | 42      | आडिवली                 | खैरवाडा      | बालक   | 1997-98   | 40            | 38                  |
| उदयपुर | 43      | छाणी                   | खैरवाडा      | बालिका | 1983-84   | 100           | 102                 |
| उदयपुर | 44      | कनबई                   | खैरवाडा      | बालिका | 2004-05   | 75            | 75                  |
| उदयपुर | 45      | सारोली                 | खैरवाडा      | बालिका | 2006-07   | 50            | 44                  |
| उदयपुर | 46      | खैरवाडा                | खैरवाडा      | बालिका | 2011-12   | 75            | 77                  |
| उदयपुर | 47      | बलीचा                  | खैरवाडा      | बालक   | 2006-07   | 50            | 43                  |
| उदयपुर | 48      | गोहावाडा               | खैरवाडा      | बालिका | 2015-16   | 50            | 46                  |

| जिला   | क्र.सं. | आश्रम छात्रावास का नाम           | पंचायत समिति | वर्ग   | चालू वर्ष | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी |
|--------|---------|----------------------------------|--------------|--------|-----------|---------------|---------------------|
| उदयपुर | 49      | कोजावाडा                         | ऋषभदेव       | बालक   | 1991-92   | 50            | 48                  |
| उदयपुर | 50      | कल्याणपुर                        | ऋषभदेव       | बालक   | 1997-98   | 40            | 40                  |
| उदयपुर | 51      | ढेलाना                           | ऋषभदेव       | बालक   | 2006-07   | 50            | 50                  |
| उदयपुर | 52      | ऋषभदेव                           | ऋषभदेव       | बालिका | 1997-98   | 100           | 89                  |
| उदयपुर | 53      | सागवाडा                          | ऋषभदेव       | बालिका | 2006-07   | 75            | 75                  |
| उदयपुर | 54      | टीडी                             | गिर्वा       | बालक   | 2004-05   | 50            | 40                  |
| उदयपुर | 55      | पई                               | गिर्वा       | बालक   | 2019-20   | 50            | 12                  |
| उदयपुर | 56      | बारापाल                          | गिर्वा       | बालक   | 1997-98   | 40            | 40                  |
| उदयपुर | 57      | प्रति.फतेह स्कूल,<br>उदयपुर      | गिर्वा       | बालक   | 1990-91   | 75            | 67                  |
| उदयपुर | 58      | प्रति. झामर कोटडा                | गिर्वा       | बालक   | 1991-92   | 50            | 49                  |
| उदयपुर | 59      | कस्तूरबा (मधुबन),<br>उदयपुर      | गिर्वा       | बालिका | 1997-98   | 100           | 100                 |
| उदयपुर | 60      | उमरडा                            | गिर्वा       | बालिका | 2002-03   | 75            | 71                  |
| उदयपुर | 61      | बच्छार                           | गिर्वा       | बालिका | 2011-12   | 50            | 50                  |
| उदयपुर | 62      | सरू                              | गिर्वा       | बालिका | 2016-17   | 50            | 48                  |
| उदयपुर | 63      | सराडा                            | सराडा        | बालक   | 1987-88   | 50            | 47                  |
| उदयपुर | 64      | केजड                             | सराडा        | बालक   | 1991-92   | 50            | 46                  |
| उदयपुर | 65      | झाडोल (सराडा)                    | सराडा        | बालक   | 1998-99   | 50            | 50                  |
| उदयपुर | 66      | परसाद                            | सराडा        | बालक   | 1998-99   | 75            | 68                  |
| उदयपुर | 67      | चावण्ड                           | सराडा        | बालिका | 1998-99   | 75            | 69                  |
| उदयपुर | 68      | अदवास                            | सराडा        | बालिका | 2003-04   | 75            | 59                  |
| उदयपुर | 69      | सराडा                            | सराडा        | बालिका | 2006-07   | 50            | 50                  |
| उदयपुर | 70      | टोकर                             | सेमारी       | बालक   | 1997-98   | 50            | 50                  |
| उदयपुर | 71      | भौराईपाल                         | सेमारी       | बालक   | 1997-98   | 50            | 50                  |
| उदयपुर | 72      | रठौडा                            | सेमारी       | बालिका | 2016-17   | 50            | 49                  |
| उदयपुर | 73      | सेमारी                           | सेमारी       | बालिका |           | 50            | 50                  |
| उदयपुर | 74      | बम्बोरा                          | कुराबड       | बालक   | 2009-10   | 50            | 50                  |
|        |         | योग 74,<br>बालक 39,<br>बालिका 35 |              |        |           | <b>4550</b>   | <b>4126</b>         |
| सिरोही | 1       | मीन तलेटी                        | आबूरोड       | बालक   | 1997-98   | 80            | 69                  |
| सिरोही | 2       | दोयतरा                           | आबूरोड       | बालक   | 1998-99   | 130           | 126                 |
| सिरोही | 3       | गिरवर                            | आबूरोड       | बालक   | 1983-84   | 130           | 122                 |
| सिरोही | 4       | सियावा                           | आबूरोड       | बालक   | 1987-88   | 50            | 42                  |

| जिला      | क्र.सं. | आश्रम छात्रावास का नाम        | पंचायत समिति | वर्ग   | चालू वर्ष | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी |
|-----------|---------|-------------------------------|--------------|--------|-----------|---------------|---------------------|
| सिरोही    | 5       | किवरली                        | आबूरोड       | बालक   | 1988-89   | 50            | 44                  |
| सिरोही    | 6       | सांतपुर                       | आबूरोड       | बालक   | 1988-89   | 100           | 100                 |
| सिरोही    | 7       | ओर                            | आबूरोड       | बालक   | 1997-98   | 75            | 75                  |
| सिरोही    | 8       | आमथला                         | आबूरोड       | बालक   | 2011-12   | 50            | 43                  |
| सिरोही    | 9       | मानपुर                        | आबूरोड       | बालिका | 1996-97   | 150           | 144                 |
| सिरोही    | 10      | ओर                            | आबूरोड       | बालिका | 1996-97   | 130           | 129                 |
| सिरोही    | 11      | मोरस                          | पिण्डवाडा    | बालक   | 1996-97   | 140           | 140                 |
| सिरोही    | 12      | आपरीखेडा                      | पिण्डवाडा    | बालिका | 1996-97   | 100           | 93                  |
| सिरोही    | 13      | भुला                          | पिण्डवाडा    | बालिका | 2017-18   | 50            | 50                  |
| सिरोही    | 14      | वरली                          | पिण्डवाडा    | बालिका | 2018      | 50            | 48                  |
|           |         | योग 14<br>बालक 9,<br>बालिका 5 |              |        |           | 1285          | 1225                |
| प्रतापगढ़ | 1       | देवगढ़                        | प्रतापगढ़    | बालक   | 1981-82   | 105           | 103                 |
| प्रतापगढ़ | 2       | थडा                           | प्रतापगढ़    | बालक   | 1987-88   | 100           | 99                  |
| प्रतापगढ़ | 3       | बोरी                          | प्रतापगढ़    | बालक   | 1990-91   | 80            | 76                  |
| प्रतापगढ़ | 4       | धमोत्तर                       | प्रतापगढ़    | बालक   | 1997-98   | 75            | 75                  |
| प्रतापगढ़ | 5       | बारावरदा                      | प्रतापगढ़    | बालक   | 1997-98   | 50            | 50                  |
| प्रतापगढ़ | 6       | गन्धेर                        | प्रतापगढ़    | बालक   | 1997-98   | 50            | 45                  |
| प्रतापगढ़ | 7       | कुलथाना                       | प्रतापगढ़    | बालक   | 1997-98   | 75            | 69                  |
| प्रतापगढ़ | 8       | प्रति. प्रतापगढ़              | प्रतापगढ़    | बालक   | 1997-98   | 50            | 50                  |
| प्रतापगढ़ | 9       | प्रतापगढ़                     | प्रतापगढ़    | बालक   | 2004-05   | 100           | 95                  |
| प्रतापगढ़ | 10      | देवगढ़                        | प्रतापगढ़    | बालिका | 2004-05   | 50            | 50                  |
| प्रतापगढ़ | 11      | कुलथाना                       | प्रतापगढ़    | बालिका | 2004-05   | 75            | 65                  |
| प्रतापगढ़ | 12      | प्रतापगढ़                     | प्रतापगढ़    | बालिका | 1995-96   | 100           | 98                  |
| प्रतापगढ़ | 13      | अवलेश्वर                      | प्रतापगढ़    | बालिका | 2004-05   | 50            | 36                  |
| प्रतापगढ़ | 14      | लोहारिया                      | प्रतापगढ़    | बालिका | 2006-07   | 50            | 43                  |
| प्रतापगढ़ | 15      | थडा                           | प्रतापगढ़    | बालिका | 2012-13   | 75            | 75                  |
| प्रतापगढ़ | 16      | बारावरदा                      | प्रतापगढ़    | बालिका | 2012-13   | 50            | 49                  |
| प्रतापगढ़ | 17      | मधुरा तालाब                   | प्रतापगढ़    | बालिका | 2015-16   | 50            | 42                  |
| प्रतापगढ़ | 18      | नकोर                          | प्रतापगढ़    | बालिका | 2016-17   | 50            | 49                  |
| प्रतापगढ़ | 19      | झांसडी                        | प्रतापगढ़    | बालिका | 2016-17   | 50            | 48                  |
| प्रतापगढ़ | 20      | अचलपुरा                       | प्रतापगढ़    | बालिका | 2018-19   | 50            | 49                  |
| प्रतापगढ़ | 21      | पानमोडी                       | प्रतापगढ़    | बालिका | 2016-17   | 50            | 50                  |
| प्रतापगढ़ | 22      | नागदी                         | अरनोद        | बालक   | 1990-91   | 80            | 73                  |

| जिला      | क्र.सं. | आश्रम छात्रावास का नाम | पंचायत समिति | वर्ग   | चालू वर्ष | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी |
|-----------|---------|------------------------|--------------|--------|-----------|---------------|---------------------|
| प्रतापगढ़ | 23      | अरनोद                  | अरनोद        | बालक   | 1990-91   | 80            | 80                  |
| प्रतापगढ़ | 24      | सालमगढ़                | अरनोद        | बालक   | 1997-98   | 75            | 62                  |
| प्रतापगढ़ | 25      | दलोट                   | अरनोद        | बालक   | 1998-99   | 75            | 75                  |
| प्रतापगढ़ | 26      | जांजली                 | अरनोद        | बालक   | 1997-98   | 50            | 49                  |
| प्रतापगढ़ | 27      | चूपना                  | अरनोद        | बालक   | 2004-05   | 75            | 73                  |
| प्रतापगढ़ | 28      | बड़ी सॉखथली            | अरनोद        | बालिका | 2006-07   | 50            | 50                  |
| प्रतापगढ़ | 29      | सांखथली थाना           | अरनोद        | बालिका | 2004-05   | 50            | 50                  |
| प्रतापगढ़ | 30      | अरनोद                  | अरनोद        | बालिका | 2011-12   | 50            | 50                  |
| प्रतापगढ़ | 31      | दलोट                   | अरनोद        | बालिका | 1996-97   | 100           | 100                 |
| प्रतापगढ़ | 32      | सेवना                  | अरनोद        | बालिका | 2016-17   | 50            | 50                  |
| प्रतापगढ़ | 33      | पीपलखूट                | पीपलखूट      | बालक   | 1996-97   | 130           | 109                 |
| प्रतापगढ़ | 34      | घन्टाली                | पीपलखूट      | बालक   | 1997-98   | 75            | 72                  |
| प्रतापगढ़ | 35      | घन्टाली                | पीपलखूट      | बालिका | 2018-19   | 50            | 50                  |
| प्रतापगढ़ | 36      | सुहागपुरा              | पीपलखूट      | बालक   | 1981-82   | 100           | 98                  |
| प्रतापगढ़ | 37      | रामपुरिया              | पीपलखूट      | बालक   | 1983-84   | 100           | 97                  |
| प्रतापगढ़ | 38      | रामपुरिया              | पीपलखूट      | बालिका | 2018-19   | 50            | 49                  |
| प्रतापगढ़ | 39      | झंगलावानी              | पीपलखूट      | बालिका | 2004-05   | 50            | 46                  |
| प्रतापगढ़ | 40      | पीपलखूट                | पीपलखूट      | बालिका | 2006-07   | 75            | 75                  |
| प्रतापगढ़ | 41      | सुहागपुरा              | पीपलखूट      | बालिका | 2002-03   | 75            | 70                  |
| प्रतापगढ़ | 42      | पण्डावा                | पीपलखूट      | बालिका | 2002-03   | 50            | 50                  |
| प्रतापगढ़ | 43      | मोटा धामनिया           | पीपलखूट      | बालिका | 2015-16   | 50            | 41                  |
| प्रतापगढ़ | 44      | डाबडा                  | प्रतापगढ़    | बालिका | 2017-18   | 50            | 50                  |
| प्रतापगढ़ | 45      | गोठडा                  | धरियावद      | बालक   | 1979-80   | 105           | 88                  |
| प्रतापगढ़ | 46      | पारसोला                | धरियावद      | बालक   | 1998-99   | 75            | 75                  |
| प्रतापगढ़ | 47      | पारसोला                | धरियावद      | बालिका | 2011-12   | 50            | 50                  |
| प्रतापगढ़ | 48      | धरियावद                | धरियावद      | बालिका | 1987-88   | 70            | 70                  |
| प्रतापगढ़ | 49      | खून्ता                 | धरियावद      | बालिका | 2012-13   | 75            | 68                  |
| प्रतापगढ़ | 50      | जलोदिया केलुखेडा       | छोटी सादड़ी  | बालिका | 2017-18   | 50            | 36                  |
| प्रतापगढ़ | 51      | करजू                   | छोटी सादड़ी  | बालिका | 2003-04   | 50            | 44                  |
| प्रतापगढ़ | 52      | धौलापानी               | छोटी सादड़ी  | बालक   |           | 50            | 46                  |
| प्रतापगढ़ | 53      | धौलापानी               | छोटी सादड़ी  | बालिका | 2017-18   | 130           | 120                 |
| प्रतापगढ़ | 54      | भाट खेडी (देवाक माता)  | छोटी सादड़ी  | बालिका | 2017-18   | 50            | 49                  |
| प्रतापगढ़ | 55      | गणेशपुरा               | छोटी सादड़ी  | बालिका | 2017-18   | 50            | 49                  |
| प्रतापगढ़ | 56      | पीलीखेडा               | छोटी सादड़ी  | बालिका | 2017-18   | 50            | 43                  |

| जिला | क्र.स. | आश्रम छात्रावास का नाम | पंचायत समिति | वर्ग | चालू वर्ष | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी |
|------|--------|------------------------|--------------|------|-----------|---------------|---------------------|
|      |        | योग:-56                |              |      |           | <b>3780</b>   | <b>3573</b>         |
|      |        | बालक—22<br>बालिका —34  |              |      |           |               |                     |

### अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावास सत्र 2020–21

| जिला | क्र.स. | आश्रम छात्रावास का नाम |      | वर्ग | चालू वर्ष | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी |
|------|--------|------------------------|------|------|-----------|---------------|---------------------|
| पाली | 1      | भीमाना                 | बाली | बालक | 1996-97   | 100           | 88                  |
|      | 2      | दानवरली                | बाली | बालक | 1996-97   | 100           | 80                  |
|      |        | योग                    |      |      |           | <b>200</b>    | <b>168</b>          |

### अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावास सत्र 2020–21

| जिला        | क्र.स. | आश्रम छात्रावास का नाम |            | वर्ग | चालू वर्ष | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी |
|-------------|--------|------------------------|------------|------|-----------|---------------|---------------------|
| चित्तौड़गढ़ | 1      | मुंझवा                 | बड़ी सादडी | बालक | 2002-03   | 150           | 142                 |
|             |        | योग                    |            |      |           | <b>150</b>    | <b>142</b>          |

## माडा जिले में संचालित छात्रावासों का विवरण 2020–21

| जिला         | पंचायत समिति  | छात्रावास का नाम   | क्र. स. | वर्ग   | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित |
|--------------|---------------|--------------------|---------|--------|---------------|----------|
| सवाई माधोपुर | चौथ का बरवाडा | बरवाडा             | 1       | बालक   | 100           | 100      |
|              | गंगापुरसिटी   | वजीरपुर            | 2       | बालक   | 100           | 95       |
|              | गंगापुरसिटी   | डिबस्पा            | 3       | बालिका | 50            | 50       |
| उदयपुर       | भीण्डर        | भरडियो             | 4       | बालक   | 100           | 79       |
| राजसमन्द     | कुम्भलगढ़     | कुम्भलगढ़, केलवाडा | 5       | बालिका | 50            | 50       |
| दौसा         | बांदीकुई      | भांवता—भावती       | 6       | बालिका | 100           | 100      |
|              | सिकराई        | नांदरी             | 7       | बालिका | 50            | 50       |
|              | मउवा          | उकरुंद             | 8       | बालक   | 100           | 80       |
|              | लालसोट        | बिलौनीकलां         | 9       | बालक   | 50            | 27       |
|              | लालसोट        | रालावास            | 10      | बालक   | 100           | 61       |
|              | दौसा          | काली पहाड़ी        | 11      | बालक   | 100           | 78       |
|              | बांदीकुई      | निहालपुरा          | 12      | बालक   | 50            | 50       |
|              | सिकराय        | घुमना              | 13      | बालक   | 50            | 36       |
|              | दौसा          | मोहनपुरा           | 14      | बालिका | 100           | 90       |
|              | बांदीकुई      | आलियापाडा          | 15      | बालिका | 50            | 50       |
|              | दौसा          | नांगलराजावतान      | 16      | बालिका | 50            | 45       |
|              | लालसोट        | बिदरखां            | 17      | बालिका | 50            | 45       |
|              | महुआ          | मोनापुरा           | 18      | बालिका | 50            | 50       |
| अलवर         | रेणी          | रेणी               | 19      | बालिका | 100           | 98       |
|              | राजगढ़        | राजगढ़             | 20      | बालिका | 100           | 41       |
|              | दुब्बी        |                    | 21      | बालिका | 50            | 50       |
|              | पालपुर        |                    | 22      | बालिका | 100           | 53       |
|              | जयसिंहपुरा    |                    | 23      | बालिका | 50            | 44       |
|              | नाथलवाडा      |                    | 24      | बालिका | 50            | 22       |
|              | मल्लाणा       |                    | 25      | बालिका | 50            | 0        |
|              | थानागाजी      | थानागाजी           | 26      | बालिका | 100           | 100      |
| झालावाड़     | खानपुर        | मउबोरदा            | 27      | बालक   | 50            | 45       |
|              | अकलेरा        | पचौला              | 28      | बालक   | 50            | 46       |
| करौली        | सपोटरा        | सपोटरा             | 29      | बालिका | 100           | 85       |
|              | टोडाभीम       | नांगलशेरपुर        | 30      | बालक   | 100           | 86       |
|              | सपोटरा        | करणपुर             | 31      | बालक   | 50            | 46       |
|              | हिण्डोन       | कटकड               | 32      | बालक   | 100           | 85       |
| भीलवाडा      | जहाजपुर       | लुहारी कलां        | 33      | बालक   | 90            | 43       |

|            |                   |                 |    |        |             |             |
|------------|-------------------|-----------------|----|--------|-------------|-------------|
|            | बिजौलिया          | श्यामपुरा       | 34 | बालक   | 50          | 50          |
|            | जहाजपुर           | धौड़            | 35 | बालिका | 50          | 46          |
| चित्तौडगढ़ | भैंसरोडगढ़        | लक्ष्मीपुरा     | 36 | बालक   | 100         | 96          |
|            |                   | रावतभाटा        | 37 | बालिका | 100         | 87          |
| सिरोही     | पिण्डवाडा         | सरूपगंज         | 38 | बालक   | 50          | 50          |
| कोटा       | लाडपुरा           | मण्डाना         | 39 | बालिका | 50          | 50          |
| बून्दी     | हिण्डाली          | पेच की बावडी    | 40 | बालक   | 50          | 50          |
| टोंक       | देवली             | राजकोट          | 41 | बालिका | 50          | 29          |
| जयपुर      | चाकसू             | ठीकरिया मीना    | 42 | बालक   | 50          | 48          |
|            | जमवारामगढ़        | दतालामीना       | 43 | बालक   | 50          | 50          |
|            | आमेर              | ढण्ड            | 44 | बालक   | 50          | 41          |
|            | बस्सी             | झर              | 45 | बालिका | 50          | 48          |
|            |                   | जयराम का वास    | 46 | बालिका | 50          | 50          |
|            |                   | खतेपुरा         | 47 | बालिका | 50          | 49          |
|            |                   | अणतपुरा         | 48 | बालिका | 50          | 50          |
|            |                   | हरडी            | 49 | बालिका | 50          | 45          |
|            |                   | पाटन            | 50 | बालिका | 50          | 18          |
|            |                   | गुढ़ा मीना      | 51 | बालिका | 50          | 34          |
|            |                   | लालगढ़          | 52 | बालिका | 50          | 44          |
|            | चाकसू             | भगवतसर कांकरिया | 53 | बालिका | 50          | 50          |
|            |                   | गिरधारीलाल पुरा | 54 | बालिका | 50          | 30          |
| बारां      | छीपा बडोद         | पछाड            | 55 | बालिका | 50          | 50          |
|            | <b>कुल 55</b>     |                 |    |        | <b>3640</b> | <b>3045</b> |
|            | <b>बालक – 22</b>  |                 |    |        |             |             |
|            | <b>बालिका –33</b> |                 |    |        |             |             |

**बिखरी आश्रम छात्रावास वर्ष 2020–21 की प्रवेश सूची (बालक—बालिका)**

| जिला             | पंचायत समिति | छात्रावास का नाम | क्र. स. | वर्ग       | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित   | प्रारम्भ वर्ष |
|------------------|--------------|------------------|---------|------------|---------------|------------|---------------|
| बारं             | अन्ता        | बटावदी           | 1       | बालिका     | 50            | 48         | 2016          |
| सवाई माधोपुर     | बौली         | बौली             | 2       | बालिका     | 50            | 50         | 2016          |
| उदयपुर           | भीण्डर       | भीण्डर           | 3       | बालिका     | 50            | 41         | 2006          |
|                  | भीण्डर       | लूणदा            | 4       | बालिका     | 50            | 50         | 2017          |
| राजसमन्द         | राजसमन्द     | राजसमन्द         | 5       | बालक       | 50            | 49         | 2006          |
|                  | खमनोर        | सेमा             | 6       | बालिका     | 50            | 47         | 2003          |
|                  | राजसमन्द     | पुठोल(मूण्डोल)   | 7       | बालिका     | 50            | 42         | 2016          |
|                  | खमनोर        | नाथुवास          | 8       | बालिका     | 50            | 28         | 2017          |
|                  | राजसमन्द     | राजसमन्द         | 9       | बालिका     | 50            | 43         | 2019          |
| अलवर             | राजगढ़       | ठहला             | 10      | बालिका     | 50            | 17         | 2015          |
|                  | थानागाजी     | क्यारा           | 11      | बालिका     | 100           | 100        | 1987          |
| चित्तौडगढ़       | बेर्गूं      | काटून्दा         | 12      | बालिका     | 50            | 27         | 2016          |
|                  | बेर्गूं      | तेजपुर           | 13      | बालिका     | 50            | 29         | 2017          |
| जोधपुर           | शेरगढ़       | शेरगढ़           | 14      | बालिका     | 50            | 47         | 2015          |
| बून्दी           | तालेडा       | डाबी             | 15      | बालिका     | 50            | 45         | 2003          |
|                  | बून्दी       | खटकड             | 16      | बालिका     | 50            | 49         | 2015          |
| धौलपुर           | बसेडी        | आंगई             | 17      | बालिका     | 50            | 50         | 2016          |
|                  | बसेडी        | सरमथुरा          | 18      | बालिका     | 50            | 50         | 2016          |
| जयपुर            | बरसी         | ग्वालिनी         | 19      | बालिका     | 50            | 37         | 2004          |
|                  | बरसी         | बडवा             | 20      | बालिका     | 50            | 38         | 2015          |
| जैसलमेर          | जैसलमेर      | जेठवाई           | 21      | बालिका     | 50            | 32         | 2017          |
| अजमेर            | केकडी        | केकडी            | 22      | बालिका     | 50            | 24         | 2016          |
| पाली             | सुमेरपुर     | नौवी             | 23      | बालिका     | 50            | 50         | 2018          |
| <b>कुल 23</b>    |              |                  |         | <b>योग</b> | <b>1200</b>   | <b>993</b> |               |
| <b>बालक — 1</b>  |              |                  |         |            |               |            |               |
| <b>बालिका—22</b> |              |                  |         |            |               |            |               |

## सहरिया क्षेत्र में आश्रम छात्रावासों की सूची

| जिला  | तहसील   | विधानसभा क्षेत्र | पंचायत समिति | क्र. सं. | आश्रम छात्रावास का नाम | वर्ग   | शिक्षा स्तर | चालू वर्ष | छात्र क्षमता | प्रवेशित |
|-------|---------|------------------|--------------|----------|------------------------|--------|-------------|-----------|--------------|----------|
| बारां | शाहबाद  | किशनगंज          | शाहबाद       | 1        | आगर                    | बालक   | सी.मा.वि    | 2007      | 25           | 21       |
|       | शाहबाद  | किशनगंज          | शाहबाद       | 2        | कर्स्थाथाना            | बालक   | सी.मा.वि    | 2007      | 40           | 24       |
|       | शाहबाद  | किशनगंज          | शाहबाद       | 3        | चौराखाड़ी              | बालक   | मा.वि       | 2007      | 25           | 25       |
|       | शाहबाद  | किशनगंज          | शाहबाद       | 4        | बमनगांव                | बालक   | सी.मा.वि    | 1989      | 50           | 48       |
|       | शाहबाद  | किशनगंज          | शाहबाद       | 5        | देवरी                  | बालक   | सी.मा.वि    | 1988      | 50           | 48       |
|       | शाहबाद  | किशनगंज          | शाहबाद       | 6        | खाण्डा सहरोल           | बालक   | सी.मा.वि    | 2007      | 25           | 23       |
|       | शाहबाद  | किशनगंज          | शाहबाद       | 7        | राजपुर                 | बालक   | सी.मा.वि    | 2004      | 50           | 46       |
|       | शाहबाद  | किशनगंज          | शाहबाद       | 8        | समरानियां              | बालक   | सी.मा.वि    | 1989      | 65           | 62       |
|       | शाहबाद  | किशनगंज          | शाहबाद       | 9        | शाहबाद                 | बालक   | सी.मा.वि    | 2010      | 50           | 45       |
|       | शाहबाद  | किशनगंज          | शाहबाद       | 10       | हाटरी                  | बालक   | मा.वि       | 2014      | 25           | 19       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | किशनगंज      | 11       | खण्डेला                | बालक   | मा.वि       | 2007      | 25           | 25       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | किशनगंज      | 12       | भवरगढ़                 | बालक   | सी.मा.वि    | 1988      | 65           | 64       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | किशनगंज      | 13       | गरडा                   | बालक   | सी.मा.वि    | 1991      | 65           | 65       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | किशनगंज      | 14       | रेलावन                 | बालक   | सी.मा.वि    | 1993      | 50           | 48       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | किशनगंज      | 15       | विलासगढ़               | बालक   | सी.मा.वि    | 2007      | 65           | 64       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | किशनगंज      | 16       | बजरंगगढ़               | बालक   | सी.मा.वि    | 2007      | 40           | 38       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | किशनगंज      | 17       | केलवडा                 | बालक   | सी.मा.वि    | 2011      | 50           | 44       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | किशनगंज      | 18       | किशनगंज                | बालक   | सी.मा.वि    | 2010      | 65           | 62       |
|       | किशनगंज | बांरा, अटरू      | बांरा        | 19       | बांरा                  | बालक   | सी.मा.वि    | 2001      | 65           | 65       |
|       | किशनगंज | बांरा, अटरू      | अटरू         | 20       | अटरू                   | बालक   | सी.मा.वि    | 2015      | 50           | 50       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | शाहबाद       | 21       | शाहबाद                 | बालिका | सी.मा.वि    | 1988      | 65           | 63       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | शाहबाद       | 22       | केलवडा                 | बालिका | सी.मा.वि    | 1988      | 65           | 64       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | शाहबाद       | 23       | समरानियां              | बालिका | सी.मा.वि    | 2010      | 50           | 50       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | शाहबाद       | 24       | रामगढ़                 | बालिका | सी.मा.वि    | 2014      | 50           | 47       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | किशनगंज      | 25       | घटटी                   | बालिका | सी.मा.वि    | 1995      | 65           | 65       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | किशनगंज      | 26       | नाहररगढ़               | बालिका | सी.मा.वि    | 2011      | 50           | 41       |
|       | किशनगंज | बांरा, अटरू      | बारां        | 27       | बारां                  | बालिका | सी.मा.वि    | 2000      | 65           | 65       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | बारां        | 28       | बासंथूनी               | बालक   | सी.मा.वि    | 2016      | 50           | 50       |
|       | किशनगंज | किशनगंज          | बारां        | 29       | जलवडा                  | बालक   | सी.मा.वि    | 2017      | 50           | 47       |

सहरिया में कुल 29 आश्रम छात्रावास  
बालक — 22, बालिका — 7

योग **1455** **1378**

## वर्ष 2020-21 में संचालित आश्रम छात्रावासों का क्षेत्रवार विवरण

| क्र. सं | जिले / क्षेत्र का नाम | वर्गवार छात्रावास सं. |        |     | वर्गवार छात्रावास क्षमता |        |       | वर्गवार प्रवेशित |        |       |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------|-----|--------------------------|--------|-------|------------------|--------|-------|
|         |                       | बालक                  | बालिका | योग | बालक                     | बालिका | योग   | बालक             | बालिका | योग   |
| 1       | उदयपुर                | 39                    | 35     | 74  | 2205                     | 2345   | 4550  | 2065             | 2061   | 4126  |
| 2       | बांसवाड़ा             | 26                    | 41     | 67  | 2325                     | 2625   | 4950  | 2312             | 2568   | 4880  |
| 3       | प्रतापगढ़             | 22                    | 34     | 56  | 1755                     | 2025   | 3780  | 1659             | 1914   | 3573  |
| 4       | झूंगरपुर              | 31                    | 20     | 51  | 2480                     | 1525   | 4005  | 2421             | 1480   | 3901  |
| 5       | पाली                  | 2                     | 0      | 2   | 200                      | 0      | 200   | 168              | 0      | 168   |
| 6       | चित्तौड़गढ़           | 1                     | 0      | 1   | 150                      | 0      | 150   | 142              | 0      | 142   |
| 7       | आबूरोड<br>(सिरोही)    | 9                     | 5      | 14  | 805                      | 480    | 1285  | 761              | 464    | 1225  |
|         | योग                   | 130                   | 135    | 265 | 9920                     | 9000   | 18920 | 9528             | 8487   | 18015 |
| 1       | माडा                  | 22                    | 33     | 55  | 1590                     | 2050   | 3640  | 1342             | 1703   | 3045  |
| 2       | बिखरी                 | 1                     | 22     | 23  | 50                       | 1150   | 1200  | 49               | 944    | 993   |
| 3       | सहरिया                | 22                    | 7      | 29  | 1045                     | 410    | 1455  | 983              | 395    | 1378  |
|         | योग                   | 45                    | 62     | 107 | 2685                     | 3610   | 6295  | 2374             | 3042   | 5416  |
|         | महायोग                | 175                   | 197    | 372 | 12605                    | 12610  | 25215 | 11902            | 11529  | 23431 |

| विभाग द्वारा संचालित समस्त छात्रावासों की स्थिति 2020-21 |                       |                                   |      |        |           |        |          |
|--|-----------------------|-----------------------------------|------|--------|-----------|--------|----------|
| क्र.सं   | जिला का नाम           | वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास | बालक | बालिका | सह शिक्षा | क्षमता | प्रवेशित |
| 1  | आश्रम छात्रावास       | 372                               | 175  | 197    | .         | 25215  | 23431    |
| 2  | खेल छात्रावास         | 13                                | 7    | 6      | .         | 875    | 873      |
| 3  | कॉलेज छात्रावास       | 7                                 | 2    | 5      | .         | 350    | 350      |
| 4  | बहुउद्देशीय छात्रावास | 6                                 | 0    | 6      | .         | 650    | 423      |
| 5  | आवासीय विद्यालय       | 36                                | 17   | 12     | 7         | 11030  | 9299     |
|  | योग                   | 434                               | 201  | 226    | 7         | 38120  | 34376    |

### Details of Running EMRS - 2020-21

**Total : 21**

**Boys-9 Girls-5, Co-Education-7**

| क्र. सं. | जिला         | पंचायत समिति | विद्यालय का नाम  | वर्ग      | शिक्षा स्तर | चालु वर्ष | प्रवेशित क्षमता | प्रवेशित संख्या |
|----------|--------------|--------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1        | उदयपुर       | कोटडा        | कोटडा            | बालक      | सी.मा.वि    | 2002      | 350             | 324             |
| 2        |              | गोगुन्दा     | गोगुन्दा         | बालिका    | मा.वि       | 2019      | 200             | 196             |
| 3        |              | सराड़ा       | सराड़ा           | बालिक     | मा.वि.      | 2019      | 120             | 83              |
| 4        |              | खेरवाडा      | खेरवाडा          | बालक      | सी.मा.वि    | 2002      | 480             | 410             |
| 5        | बांसवाडा     | कुशलगढ       | कुशलगढ           | बालक      | सी.मा.वि    | 2002      | 350             | 350             |
| 6        |              | आनन्दपुरी    | सुन्द्राव        | बालक      | मा.वि       | 2018      | 210             | 210             |
| 7        |              | आम्बापुरा    | आम्बापुरा        | सह शिक्षा | मा.वि.      | 2019      | 120             | 120             |
| 8        |              | आनन्दपुरी    | पाडोला           | सह शिक्षा | मा.वि       | 2015      | 480             | 430             |
| 9        | झौंगरपुर     | सीमलवाडा     | सीमलवाडा         | बालक      | सी.मा.वि    | 2002      | 480             | 448             |
| 10       |              | साबला        | पारडा चुण्डावत   | बालिका    | सी.मा.वि    | 2016      | 480             | 380             |
| 11       |              | झौंगरपुर     | झौंगरपुर         | बालक      | मा.वि.      | 2019      | 120             | 120             |
| 12       | प्रतापगढ     | प्रतापगढ     | टिमरवा           | बालिका    | सी.मा.वि    | 2012      | 480             | 441             |
| 13       |              | पीपलखूंट     | पीपलखूंट         | बालक      | मा.वि.      | 2019      | 120             | 108             |
| 14       | सिरोही       | आबूरोड       | आबूरोड           | बालक      | सी.मा.वि    | 2002      | 480             | 452             |
| 15       | टोंक         | निवाई        | निवाई            | बालिका    | सी.मा.वि    | 2002      | 480             | 378             |
| 16       | बारां        | शाहबाद       | हनोतिया – शाहबाद | बालक      | सी.मा.वि    | 2002      | 480             | 293             |
| 17       | करोली        | टोडाभीम      | रानोली           | सह शिक्षा | सी.मा.वि    | 2015      | 240             | 210             |
| 18       | अलवर         | राजगढ        | मल्लाणा          | सह शिक्षा | सी.मा.वि    | 2015      | 480             | 230             |
| 19       |              | रेणी         | पाटन             | सह शिक्षा | सी.मा.वि    | 2016      | 480             | 248             |
| 20       | जयपुर        | तुगा बस्सी   | बिहारीपुरा       | सह शिक्षा | सी.मा.वि    | 2015      | 480             | 285             |
| 21       | सवाई माधोपुर | बामनवास      | बरनाला           | सह शिक्षा | सी.मा.वि    | 2016      | 300             | 229             |
|          |              |              | योग              |           |             |           | <b>7410</b>     | <b>5945</b>     |

### Details of State Run residential Schools - 2020-21

**Total : 13**

**Boys : 7, Girls : 6**

| क्र. सं. | जिला      |           | विद्यालय का नाम | वर्ग   | शिक्षा स्तर | चालु वर्ष | प्रवेशित क्षमता | प्रवेशित संख्या |
|----------|-----------|-----------|-----------------|--------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1        | उदयपुर    | सलूम्बर   | सलूम्बर         | बालिका | सी.मा.वि    | 2002      | 350             | 350             |
| 2        | बांसवाडा  | घाटोल     | हरेगजी का खेडा  | बालिका | सी.मा.वि    | 2011      | 210             | 210             |
| 3        | झौगरपुर   | सागवाडा   | सागवाडा         | बालिका | सी.मा.वि    | 2011      | 210             | 210             |
| 4        | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़       | बालक   | सी.मा.वि    | 2002      | 350             | 348             |
| 5        | झालावाड़  | झालरापाटन | झालरापाटन       | बालक   | सी.मा.वि    | 2007      | 270             | 197             |
| 6        | दौसा      | महुवा     | नयागांव महुवा   | बालक   | सी.मा.वि    | 2002      | 270             | 228             |
| 7        | बारां     | किशनगंज   | किशनगंज         | बालिका | सी.मा.वि    | 2007      | 270             | 223             |
| 8        |           | किशनगंज   | रामगढ़          | बालक   | सी.मा.वि    | 2012      | 180             | 178             |
| 9        |           | शाहबाद    | शाहबाद          | बालिका | सी.मा.वि    | 2012      | 210             | 187             |
| 10       |           | शाहबाद    | खुशियारा        | बालिका | मा.वि.      | 2016      | 150             | 144             |
| 11       |           | बांरा     | कोयला           | बालक   | मा.वि.      | 2017      | 150             | 114             |
| 12       |           | अटरू      | कर्वाई          | बालक   | मा.वि.      | 2017      | 150             | 143             |
| 13       |           | किशनगंज   | परानियॉ         | बालक   | मा.वि.      | 2017      | 150             | 132             |
|          |           |           | योग             |        |             |           | <b>2920</b>     | <b>2664</b>     |

### Details of State Run Model Public Residential Schools - 2020-21

**Total : 2**

**Boys : 1, Girls : 1**

| क्र. सं. | जिला    |         | विद्यालय का नाम | वर्ग   | शिक्षा स्तर | चालु वर्ष | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित संख्या |
|----------|---------|---------|-----------------|--------|-------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1        | झौगरपुर | झौगरपुर | सूरपुर          | बालक   | सी.मा.वि    | 2011      | 350           | 346             |
| 2        | उदयपुर  | बडगावं  | ढीकली           | बालिका | सी.मा.वि    | 2011      | 350           | 344             |
|          |         |         | योग             |        |             |           | <b>700</b>    | <b>690</b>      |

## टीएसपी क्षेत्र मे संचालित खेल छात्रावास 2020—21

| क्र.सं. | जिला      | क्र.स. | आश्रम छात्रावास का नाम | वर्ग   | शिक्षा स्तर | चालू वर्ष | छात्र क्षमता | प्रवेशित |
|---------|-----------|--------|------------------------|--------|-------------|-----------|--------------|----------|
| 1       | बांसवाड़ा | 1      | एकलव्य खेल, लोधा       | बालक   | सी.मा.वि.   | 1996      | 100          | 100      |
|         |           | 2      | तलवाड़ा                | बालिका | सी.मा.वि.   | 2015      | 75           | 75       |
|         |           | 3      | घाटोल                  | बालिका | सी.मा.वि.   | 2016—17   | 50           | 50       |
|         | उदयपुर    | 4      | खेरवाड़ा               | बालक   | सी.मा.वि.   | 2003      | 50           | 50       |
|         |           | 5      | सरदारपुरा              | बालक   | सी.मा.वि.   | 2003      | 50           | 50       |
|         |           | 6      | मधुवन                  | बालिका | सी.मा.वि.   | 2015—16   | 75           | 75       |
|         |           | 7      | तीरन्दाजी खेलगांव      | बालक   | सी.मा.वि.   | 2015—16   | 75           | 75       |
|         | झंगरपुर   | 8      | तीजवड़                 | बालक   | सी.मा.वि.   | 2013      | 75           | 75       |
|         |           | 9      | पुनाली                 | बालिका | सी.मा.वि.   | 2015      | 50           | 50       |
|         | प्रतापगढ़ | 10     | प्रतापगढ़              | बालक   | सी.मा.वि.   | 2014      | 75           | 75       |
|         |           | 11     | प्रतापगढ़              | बालिका | सी.मा.वि.   | 2014      | 75           | 73       |
|         | सिरोही    | 12     | आबुरोड़                | बालक   | सी.मा.वि.   | 2014      | 50           | 50       |
|         |           | 13     | सान्तपुर               | बालिका | सी.मा.वि.   | 2015      | 75           | 75       |
|         |           |        |                        | योग    |             |           | 875          | 873      |

## कॉलेज छात्रावास के प्रवेश की स्थिति 2020—21

| जिला का नाम      | वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास | बालक | बालिका | प्रवेश क्षमता |      | योग | प्रवेशित |      | योग |
|------------------|-----------------------------------|------|--------|---------------|------|-----|----------|------|-----|
|                  |                                   |      |        | बालिका        | बालक |     | बालिका   | बालक |     |
| अनुसूचित क्षेत्र |                                   |      |        |               |      |     |          |      |     |
| बांसवाड़ा        | 3                                 | 1    | 2      | 100           | 50   | 150 | 100      | 50   | 150 |
| झंगरपुर          | 2                                 | 0    | 2      | 100           | 0    | 100 | 100      | 0    | 100 |
| प्रतापगढ़        | 2                                 | 1    | 1      | 50            | 50   | 100 | 50       | 50   | 100 |
| योग              | 7                                 | 2    | 5      | 250           | 100  | 350 | 250      | 100  | 350 |

**बालिका बहुउद्देशीय छात्रावास में प्रवेश क्षमता की स्थिति 2020–21**

| जिला का नाम | वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास | प्रवेश क्षमता |
|-------------|-----------------------------------|---------------|
| उदयपुर      | 1                                 | 150           |
| बारां       | 1                                 | 50            |
| कोटा        | 1                                 | 150           |
| झूंगरपुर    | 1                                 | 100           |
| बांसवाड़ा   | 1                                 | 100           |
| प्रतापगढ़   | 1                                 | 100           |
| <b>योग</b>  | <b>6</b>                          | <b>650</b>    |

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

जयपुर, दिनांक : ४.७.२०१६

अधिसूचना

दात्रयस्थान के सज्जपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की उन्नतकालीन के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

३५३

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कल्पाण रिह, राजपाल, राजस्थान निर्देश देता हूँ कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और अर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की इकाइक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008(2009 का अधिनियम संख्याक 12), राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की इकाइक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्याक 32) एवं राजस्थान अर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की इकाइक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्याक 33) एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और जारी की गयी अधिसूचनाओं में किसी बात के होते हुए भी, भारत राजपाल की अधिसूचना संख्या एक, 19(2)80—एल-१ दिनांक 12—०२—८१ द्वारा विनिर्दित अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्य सेवाओं की छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अन्यथियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की योग्यता 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अन्यथी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

विविधों का अनुपाय तथा पदों की भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी—

1. जहाँ भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिकितयों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर की जानी हो, वहाँ ऐसी समस्त रिकितयों की 45 प्रतिशत रिकितयों अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिकितयों अनुसूचित होत्र के अनुसूचित जातियों के अन्यर्थियों से भी जायेंगी। अनुसूचित होत्र की सेप 50 प्रतिशत रिकितयों पर किसी भी जाति या दर्ग के अनुसूचित होत्र के अन्यर्थी का योग्यता के आधार पर दरीयता क्रम में नियमानुसार छठन किया जायेगा, बाढ़ वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी दर्ग से संबंधित हो।
  2. जहाँ भर्ती जिला स्तर पर की जानी हो और रिकितयों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी जिला स्तर पर की जानी हो, यहाँ अनुसूचित खण्ड के लिए रिकितयों प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेंगी, जो जिलों के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिकितयों की 45 प्रतिशत रिकितयों अनुसूचित होत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिकितयों अनुसूचित होत्र के अनुसूचित

जातियों के अध्यर्थियों से भरी जायेगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अध्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

3. जहां भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जानी हो, वहां अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिक्तियों प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर अवशारित की जायेगी, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवशारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अध्यर्थियों के लिए आरक्षित की जायेगी एवं शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अध्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।
4. यदि अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों उपलब्ध नहीं हो तो सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर किसी जिले/उपखण्ड/विकास खण्ड स्तर पर कोई रिक्ति है और उस जिले/उपखण्ड/विकास खण्ड में अनुसूचित क्षेत्र के अन्य जिलों/विकास खण्डों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य अध्यर्थियों से ऐसी रिक्तियां भरी जायेंगी ताकि 45 प्रतिशत विशेष आरक्षण रखे जाने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।
5. राज्य स्तर अथवा जिला स्तर पर अनुसूचित खण्डों की रिक्तियों से भिन्न राज्य/जिले की शेष रिक्तियों विद्यमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 5 प्रतिशत अथवा समय—समय पर प्रवृत्त आरक्षण संबंधी प्राप्तिकानों के अनुसार आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेंगे।

**स्पष्टीकरण** — 'अनुसूचित क्षेत्र' के अध्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिभ्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सदमावी निवासी हैं और जो रवंय या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो, उनके माता—पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदमावी निवासी रहे हैं।

ये निर्देश दिनांक 16-06-2013 से प्रवृत्त हुए समझे जायेगे।

४०/-

(कल्याण सिंह)

राज्यपाल, राजस्थान

०५ दृष्टि/२०१३/०६/१८/२१/८०)

(ओ.पी. गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

२७/२०१६

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

जयपुर, दिनांक : ५-८-२०१६

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूँ कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की ऐकिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 12) एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और जारी की गयी अधिसूचनाओं एवं आदेशों व निर्देशों में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. १९(२)८०-एल-१ दिनांक १२-०२-८१ द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के कार्मिकों को ५ प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को ४५ प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

ह०/-  
(कल्याण सिंह)  
राज्यपाल, राजस्थान  
(फ. एफ. १९(२)८०/कार्मिक/क-२/३/पद)

  
(ओ.पी. मुद्रा)  
संयुक्त शासन सचिव

५८/८०/६

राजस्थान राजकार  
विकास विभाग (मुक्ति-1) विभाग  
प.र. (147)/झीलगढ़/एक./2016/ 4379 दिनांक 26.6.2016

आदेश

इनिला विभाग द्वारा योग्यता वाली आदेश क्रमांक १३ (२) एम/कृष्ण-१ / २५  
पट्टी-१ विभाग ३१.६.२०१६ रथ केल्डरेंट जाहा C4 ०३.१८२० के अनुसार में सम्पूर्ण राज्य में जनजाति कर्म को  
जिसे अनुशूलित करनाली को देव कुल अधिकार १२ प्रतिवाद ने से ५० विभाग राजा अनुशूलित क्षेत्र में  
उत्तरांति वर्ग के लिये आवश्यक रखे जाने के प्रावधान किया गया है। इसी के अनुसार निनावित गाँवकर्म  
उत्तरांति वर्ग के लिये अनुशूलित रखे जाने के प्रावधान के अनुशूलित करनाली को देव कुल अधिकार १२  
पद प्रदेश प्रशासनों में स्वरूप सचिव वर्ग के लिये अनुशूलित करनाली को देव कुल अधिकार १२  
प्रतिवाद ने से ५० विभाग राजा अनुशूलित क्षेत्र के जनजाति कर्म के लिये आवश्यक किया जाने का प्रावधान  
प्रतिवाद ने से ५० विभाग राजा अनुशूलित क्षेत्र के जनजाति कर्म के लिये आवश्यक किया जाने का प्रावधान  
प्रतिवाद किया जाता है-

१. देव कुल रथ केल्डरेंट कोर्सन (एमडी/स्नातक/हिलोग)
२. असरू नार्सिंग कॉर्सेंस (स्नातक/स्नातकोत्तर/हिलोग)
३. राज्य पैदा योग्य कॉर्सेंस (स्नातक/स्नातकोत्तर/हिलोग)
४. असरू कार्यक्रम कॉर्सेंस (स्नातक/स्नातकोत्तर/हिलोग)
५. रामसा कियोग्योश्वरी कॉर्सेंस (स्नातक/स्नातकोत्तर/हिलोग)

इन उल्लंघनों में से उल्लंघनोंमें है यह विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के जनजाति कर्मांक एम-५(१६)  
विभाग/मुक्ति-३/2002 विभाग ७२.२०० के हाथ अनुशूलित क्षेत्र है विभाग राजा एम/कृष्ण-१ विभाग  
स्वास्थ्यान्तर्में अनुशूलित क्षेत्र के जनजाति कर्म के लिये अनुशूलित गई घटनाएँ को विभाग राजा द्वारा घोषित हैं।


  
विशिष्ट राजान सचिव


प्रोलिपि निम्न के सूचनाएँ एवं आदेश के विवरणों के द्वारा प्रत्येक है-

१. नवीन, माननीय पुरुषमंडी समोदय, राजा असरू
२. निष्ठा राज्य, भवानीय विभिन्न विभाग मंडी राजा असरू
३. निष्ठा इविव युवराज सामेद, राजा निवेदित लग्नाय जयपुर
४. निष्ठा राज्य, प्रभुज जारन सर्विय, विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार केन्द्रीय राजा असरू
५. निष्ठा राज्य, प्रभुज राजा रामिय विभिन्न विभाग
६. निष्ठा राज्य (अन स्वास्थ्य), निवेदित लग्नाय जयपुर
७. निष्ठा राज्य, विभिन्न शासन नियम विभिन्न विभाग
८. निष्ठा निवेदित (प्रभुज), निवेदित लग्नाय विभिन्न विभाग
९. आरोग्य निवेदित (प्रभुज), निवेदित लग्नाय विभिन्न विभाग
१०. राजा राजस्थान विभाग विवरित लग्नाय जयपुर
११. राजा राजस्थान एवं निवेदित लग्नाय जयपुर/जामुर/कोटा/बीजोर/बोकानी/टरायपुर/झाजानी/आरकुरुचरसर कॉलेज और डिक्लिय लाइन/आरकुरुचरसर कॉलेज और कॉलेज
१२. राजा राजस्थान विभाग

प्रतिवाद विभाग के ये सूचनाएँ एवं आदेश के कार्यक्रमों के द्वारा प्रत्येक है-

१. अनुशूलित विभाग जनजाति क्षेत्र विभाग/जच्चा लिहा विभाग, शासन लिहियाद, जयपुर
२. विभाग विभाग

  
विशिष्ट राजान सचिव

  
डॉ. राजीव राजा  
विभिन्न विभाग (विभाग)

કન્સાંક F ૧૯૬૫ મા. ૩૧/૧૯૭

राजस्थान सरकार  
तकनीकी शिक्षा विभाग

जयपुर, दिनांक

आदेश

**प्रेसर-** अनुसूचिता क्षेत्र के जनजाति कर्म के उभयंशील वां सत्य में रियल जगत् अपेक्षिती महात्मियालय / पांसोटेनिक / ऐम सो.र. / प्रवचनकार्य आदि शोकणीक सत्यानो ने रांधालिं जगत् हैटेपेट हैट इन्डियन एवं उनाक्षेत्र में अखण्ड दिखे जाने के सबूप गए।

लक्ष्य सरलोत् द्वारा नी.एम.टी. जरीका एवं देश की पूर्ण विभिन्न प्रशिक्षण गाड़ियोंने यथा— वी.एड./एस.एड./विकासाल्पी/एस.टी.सी. अधि में लागू आखण्ड व्यवस्था जी सर्ज वर समस्त नव नीची विभिन्न लक्ष्यों के लिए नी वार्षिकावधि में अनुचुकित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आखण्ड का प्रवर्धन लागू है। उन सभी में अनुशृंगित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुकूलित देते के अनुचुकित जनजाति के अध्यार्थियों के लिए आरक्षित रखे जाने वह नीतिगत विशेष हिंगा है। उक्त नीतिये के अनुरारार अनुचुकित जनजाति वर्ग के लिए आखण्ड की प्रवधन लिन प्रकार है— नाथ है। उक्त नीतिये के अनुरारार अनुचुकित जनजाति वर्ग के लिए आखण्ड की प्रवधन लिन प्रकार है—

"राज्य ने इस्त समस्त तकनीकी विद्या संस्थानों वथ-इंजीनियरिंग/पॉलोटेक्निक/प्रबंधनशील/एम्सीए आदि में लघासित स्टार्टिफिकेट, रानतक एवं स्लाकोतर पाठ्यक्रमों में अनुसूचिया जान्यार्ही हो जी तिर निर्भारित 12 ग्रेडिन्ट आखण में से 25 प्रतिशत (आधार 55 प्रोग्रेट) आखण भारत राजकर की अधिकृत्वाधारणा एफ.19(2)80-एल-1 द्वारा विनायित अनुसूचित क्रेत हो जान्यापि अध्यार्थियों के लिए आवधित रखे जायेंगे"। यह आखण अनुसूचित जान्यार्ही के तिर निर्भारित 12 ग्रेडिन्ट अध्यार्थियों के लिए आवधित रखे जायेंगे। यह आखण अनुसूचित जान्यार्ही के अध्यार्थियों द्वारा दाखिल हो देना होगा इथा प्रदेश राज्य रेत द्वारा एवं अन्य अनुसूचित जान्यार्ही के अध्यार्थियों द्वारा दाखिल हो देना होगा।

यह आदेश विभाग द्वारा जारी पृष्ठ आदेश दिनांक 15.09.2011 के अनुक्रमा हो जाएगा किंतु यह तो ही तथा इस दिनांक के अनुरूप क्रमांक नं.1/उत्तर्पि/96 दिनांक 12.06.2013 से चलनीय। अधिकारियों सहायितात्व आवश्यक हो संभव में उन्हीं आदेश अपनाया जाना रुक्कम होगा।

स्टॉलीकरण - "अनुसूचित श्रेष्ठ के अन्यार्थी" जो ऐसे व्यक्ति अभिवेद हैं, जो अनुसूचित श्रेष्ठ के सदागारी निवासी हैं और जो रख्ये या, यदि उनका जना 1 जनवरी, 1970 के पाँच दुआ हैं तो उनके सदागारी निवासी निवासी हैं, जो रख्ये या, यदि उनका जना 1 जनवरी, 1970 के पूर्ण से अनुसूचित श्रेष्ठ के सदागारी निवासी हैं, तो व्यक्ति करण इग्निट कराये।

इस आदेश संहार को ही से अनुमतित है, जब एक वर्ष बाद यह आदेश जारी रखने की दिनांक १० जून।

आरु दो

(राजकुमार ज्योतिष)

राजस्थान रस्तकार  
उच्च शिक्षा विभाग

કાર્યક્રમ પદ્ધતિ 10 (6) વિભાગ-4 / 2007

उत्तर देश ०५१८२ २-३

आदेश

**विधय—अनुसूचित हेतु के जनजाति वर्ग ले नियमितों को राज्य में स्थित रामरत लोलें शिख  
सम्प्रथाओं (प्राचीनालय एवं विश्वावेदालय) में संचालित रामरत व्यासायिक एवं सन्य  
उबल्कीय भालुकालम् अधिक जै स्वरूपण दिये जाने के संबद्ध में।**

राज्य सरकार इस पी.एम.टी. वरिता द्वं रोवा पूर्व हिक्क प्रशंशण ग्रन्थकारों द्वारा दीएड.  
राज्य सरकार इस पी.एम.टी. वरिता द्वं रोवा पूर्व हिक्क प्रशंशण ग्रन्थकारों द्वारा दीएड.  
/एम. ए.ड./ बीजी.ए.ड./ विकाशस्त्री/ एस.टी.सी. जाहि ने लगू आखण प्रवेश की तर्ज पर समस्त  
जच्चा विक्षण संस्थानों के जिन ५० नाट्यप्रमाणों में अनुरूपित जनजाति के लिए १२ प्रतिशत आरक्षण लगा,  
ही, लग सभी अनुरूपित जनजाति दर्ता के लिए निर्धारित १२ प्रतिशत में ३०-४५ प्रतिशत रथान् अनुरूपित  
ही, लग सभी अनुरूपित जनजाति के निवासियों के लिए आलोकित रखे जाने का भीतिगत निर्णय दिया गया  
था जबकि अनुरूपित जनजाति के निवासियों के लिए आलोकित रखे जाने का भीतिगत निर्णय दिया गया  
है। उक्त निर्णय के अनुसार अनुरूपित जनजाति दर्ता के लिए आरक्षण के पारदर्शन निम्न प्रकार होता है:-

आत्मा से  
  
 (आत्मासे उपर्याप्त)  
 आत्मिक गुण साधन उच्च किंवा

राजस्थान सरकार  
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग  
क्रमांक : प.() त.शि./कौनित/2016  
F 1(6) त.प्रि. / 1999. — :: आदेश :-

दिनांक : ०१/०७/१६.

**विषय :-** रात्र 2016-17 से अनुरूचित जनजाति योजना क्षेत्र के रथानीय जनज ति  
युताओं को राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण  
योजना के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के  
लिए निर्धारित 12 % आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित  
जनजाति वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 45 % आरक्षण को सम्पूर्ण  
राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:-**प्रभुख शासन रायित, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के यूओ. नाट  
क्रमांक:PS/PSTAD/16/537 दिनांक 22.06.2016

जंदर्भित यूओ. नोट के क्रम में निम्नलिखित नाम है जिसकी समस्त आयोगिक  
प्रशिक्षण संस्थानों ने शिल्पकार प्रशिक्षण योजना ( ब्रापटरार्स ट्रैनिंग रेलवे ) के विभिन्न<sup>1</sup>  
पाठ्यक्रमों ( नियमित एवं रवविलपोषित योजना ) में प्रवेश हेतु निर्धारित 12 % आरक्षण में से  
45 % आरक्षण को रात्र 2016-17 से अनुरूचित जनजाति क्षेत्र के रथानीय अनुरूचित  
जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए अरक्षित किया जाना है। उक्त नियम के अनुसर आरक्षण  
के प्राप्तधान इस प्रकार रहेगे।

1. राज्य की समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना ऐ तरह  
संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12  
% आरक्षण में से अनुरूचित क्षेत्र के अनुरूचित जनजाति वर्ग के रथानीय अभ्यर्थियों के  
लिए 45 % स्थान आरक्षित रहेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के +2 % आरक्षण  
के अध्याधीन ही देय होगा। सीठे खाली रहे पर उन्हें अनुसूचित जनजाति के  
अभ्यर्थियों ने नहीं जा सकेगी। इसके परचात् भी स्थान रिक्त रहे पर सामान्य छोड़ी  
के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रम अनुसार प्रवेश लिये जावें।
2. यह आदेश सहारिया जाति के युवाओं के लिये खोली गई औप्रसंस्थान शॉलवार जिला  
बांस एवं देवनारायण गोजनास्तर्गत खोली गयी औप्रसंस्थान बानस्त्र जिला भलवर,  
रोपड जिला धौलपुर, झालशापाटा जिला झालावाड़, नदौती एवं लपोटरा जिला करीती  
एवं खण्डार जिला लालई गांधोपुर गढ़ एवं अत्यसंख्यक के हिसारी औप्रसंस्थान लोक गं  
मेलोनिक ट्रैलर एवं औप्रसंस्थान जेसलमेर में मेकेनिक मोटर व्हीकल व्हयस्ट एवं  
तापू नहीं होंगे।

राजस्थान राजकार  
आयुर्वेद एवं भूतीव विकास विभाग  
जयपुर, दिनांक :-

क्रमांक - प.25(7)आ/ / 2015

... झारेश ...

११६

इस दिनांक के समाचारक पर कामक प. 25(26)आयु / 2003 दिनांक 22.02.2015 अनुसार  
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के आयुर्वेद, हीनार्दीय, मूलानो महाविद्यालय ने री. के अंतर्वा  
ले कान ने राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26.06.2006  
का आयुर्वेद किटा गया था।

उक्त अधिसूचना को अनुपस्थित राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक  
एवं नं. क्रमांक डिलोग नं. २५४८५८ में अनुसृत जनजाति वर्ग को देख १२ प्रतेशां वारकर  
में रो ५८ जनजाति इथान आयुर्वेदित कोत्र के जनजाति वर्ग के सिथे शामिल ठिक्के देखी जाएं।  
सातांकोलार डिलोग एवं संलिङ्गिकों कीर्ति में उल्लंघन लाभ नहीं किए जायेंगे।

अतः कान अधिसूचना दिनांक 29.06.2006 के घर में ही सर्वानन्दी राज्यानुवादी विद्यालय  
आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा संकलित सराजनोंका शिक्षण एवं सम्बन्धीय विद्यालय  
उपर फलधारा तत्कालीन अभाव से व्याप्त करने के दृष्टिकोण अवश्य प्रदान किये जानी।

— २ —  
(सेवा दर्म विभाग)  
राजस्थान राज्यानुवादी विद्यालय

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनाएँ एवं प्रलिपियाँ प्रतिलिपि हैं-

1. डिएल राहायक मन्त्रीय आयुर्वेद मंत्री, राज्यानुवादी विद्यालय
2. निजी संघीय, प्रमुख शासन राज्यिक आयुर्वेद १५ भारतीय विश्वविद्यालय
- ✓ राजन संविध जनजाति हीनार्दीय विकास विभाग, शासन संविधालय, जयपुर
4. आयुर्वेद जनजाति हीनार्दीय विकास विभाग, उदयपुर
5. फैला कल्याण विश्वविद्यालय/संस्कृत/विद्यालय, जयपुर
6. कृत राज्य राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जयपुर
7. विदेशी आयुर्वेद विभाग, अवैज्ञानिक विदेशी विद्यालय, जयपुर
8. राजनीति आयुर्वेद महाविश्वविद्यालय, उदयपुर।
9. राजनीति पत्रांगी

— ३ —  
(ओप: विजय राज्यानुवादी विद्यालय  
राजस्थान राज्यानुवादी विद्यालय)

राजस्थान सरकार  
कृषि एवं उद्योगिकी विभाग

www.vitutor.com

लखपुर विधान : ५ | ७, २६६

- ३८ -

**प्रिया-** मैंने दिल्ली के अधिकारी परामर्शदाता ने प्रोफेसर हेड आर्ट्सिस्टिक एजेंसी के साथ इसका विनाश करने की घटना लड़वायी।

उक्त प्राचीन लेख २०५ शुल्क सत्र के अनुसार लगातारी वर्षों से राजमहिंसा होती रही है। यह अनुसारी शर्क के दायरों में तात्परी १८ विभाग ६३ इन शब्दों में राजमहिंसा के बीच विद्यमान निर्देशों द्वारा दिते गये हैं कि उत्तराधिकारी ने जारी प्रभाग एवं ६ रुपये सीढ़ी।

१५ आदेश पुस्तक समिति का नाम होगा।

( गौतम वंश दरवारी )  
गोप्य इतिहास संक्षि-

राजस्थान सरकार  
पशुपालन विभाग

क्रमांक : प.६(१५)पपा/ 2016

आदेश

जयपुर, दिनांक

११. ११. २०१६

पितृ— अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के अधिकारीों को राज्य में स्थित राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं ने सेवा दूर पशुपालन, मत्स्य एवं डैवी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय संस्थाओं में प्रशिक्षण यात्राओं यथा स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सन्ताक डिग्री, पशुधन सहायक डिप्लोमा एवं बी.एफ.एस.सी. डिग्री प्रवेश पूर्व परीक्षण ने आख्यान दिले जाने के संबंध में।

पथा— बी.एड./ए.एड./बी.एड./शिक्षाशास्त्री/एस.टी.सी. आदि में लागू आरक्षण अवधारणा की दर्दी पर स्नातकोत्तर की शिक्षण संस्थाओं के जितनी भी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए १२ प्रतिशत आरक्षण ले प्रशिक्षण लागू है, उन्हीं सभी में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित १२ प्रतिशत में से ४५ प्रतिशत अवधारणा अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अधिकारी (यात्राओं के लिए आवंटित रखे जाने का नीतिगत निर्णय लेय) गया है। उनका निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान निया प्रशार होगे—

“राज्य में स्थित सभ्यता सेवा पूर्व पशुपालन, मत्स्य एवं डैवी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी संस्थाओं में प्रशिक्षण यात्राओं यथा स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सन्ताक डिग्री, पशुधन सहायक डिप्लोमा इवं बी.एफ.एस.सी. डिग्री प्रवेश पूर्व परीक्षण में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित १२ प्रतिशत आरक्षण में से ४५ प्रतिशत (अर्थात् ५.५ प्रतिशत) आरक्षण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.१९(२)८०-एल-१ दिनांक १२.०२.६१ द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति अधिकारी के लिए व्यारोधीत रखे जायेगे”। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के जितनी निर्धारित १२ प्रतिशत के अधिकारी ही देव होगा तथा एवं उन्हें रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अधिकारी रो भरा जा सके॥।

सचिव, “अनुसूचित क्षेत्र के अधिकारी” से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र के राष्ट्राधीन निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म १ जनवरी, १९७० के बाद हुआ है तो, उनके माता-पिता/पूर्वज १ जनवरी, १९७० के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदमावी निवासी रहे हैं।

४१/२०१६

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

कमांक:- प. 13(20)कार्मिक / क-2 / 91पार्ट

जयपुर, दिनांक: 21.05.2013

**निर्देश**

इस विभाग के समसंख्यक निर्देश दिनांक 12.09.2007 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में निवासित सहरिया आदिम जाति जंगलों में दुर्गम स्थानों में निवास करती है इसलिये काफी पिछड़ी हुई है व सहरिया परियोजना क्षेत्र में अधिकतर पद रिक्त रहते हैं। अतः बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अन्यार्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जन जातियों के लिए 6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी। शेष 51 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य वर्ग के अन्यार्थियों से भरी जायेगी।

राज्य के बारां जिले की समस्त तहसीलों में निवास करने वाली सहरिया आदिम जाति दुर्गम स्थानों पर निवास करती है। इन सहरिया परिवारों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक स्तर काफी पिछड़ा हुआ है। सहरिया परियोजना क्षेत्र में अधिकतर पद रिक्त रहते हैं। अतः राज्य सरकार यह आदेश देती है कि बारां जिले की समस्त तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अन्यार्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जन जातियों के लिए 6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत, पिछड़ी वर्ग की जातियों के लिए 10 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी। शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग के अन्यार्थियों से भरी जायेगी।

**रिक्तियों का अवधारण तथा पदों पर भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :-**

- 1- यदि भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर हो वहां ऐसी समस्त रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की समस्त तहसीलों की स्थानीय सहरिया जाति के लिए आरक्षित की जायेगी।
- 2- यदि भर्ती जिला स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी जिला स्तर पर की जावे वहां 25 प्रतिशत रिक्तिया बारां जिले की समस्त तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए आरक्षित की जायेगी।
- 3- यदि भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जावे तो बारां जिले की समस्त तहसीलों की कुल जनसंख्या एवं राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर रिक्तियां प्रकल्पित की जाकर उन रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की समस्त तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए आरक्षित की जायेगी।

- 4- यदि भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो तो राज्य की शेष रिक्तियां विद्यमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जन जातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

दिनेश कुमार यादव

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर।
6. उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष।
8. मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 84/2013 दिनांक 06.05.13 के क्रम में।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर / जोधपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क—ग्रुप-2) विभाग

जयपुर, दिनांक 21 OCT 2019  
अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

#### निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूँ कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आखण) अधिनियम, 2008(2009 का अधिनियम संख्यांक 12) एवं राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आखण) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 38) एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और जारी की गयी अधिसूचनाओं में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या प.सं 1(31)/2017-वि.1 दिनांक 19.5.18 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अन्यर्थियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अन्यर्थी का योग्यता दे आधार पर वरीयता क्रम में संबंधित हो।

रिक्तियों का अवधारण तथा पदों की भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी:-

- जहां भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर की जानी हो, वहां ऐसी समस्त रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अन्यर्थियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अन्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में

निम्नमानुशार चक्रन लिखा जायेगा, वह वह अनुसूचित जारी या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

2. जहाँ गर्ती जिला रत्नपर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगठना भी जिला रत्नपर की जानी हो, वहाँ अनुसूचित खण्ड के लिए रिक्तियाँ प्रकाशित ४५ से ऊपर अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेगी, जो जिलों के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रक्रियता लघु रो अवधारित रिक्तियों की ४५ प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित क्षेत्र के अनुरूपित जनजातियों रुप ५ प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अन्यर्थियों से बरी जायेगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष ६० प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अन्यर्थी का धोषणा के आधार पर वर्दीदार ५०% में नियमानुसार चक्रन किया जायेगा, वह अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।
3. जहाँ भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगठना भी राज्य स्तर पर की जानी हो, वहाँ अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिक्तियाँ प्रकाशित ४५ से ऊपर अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेगी, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकाशित लघु से अवधारित रिक्तियों की ४५ प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों रुप ५ प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अन्यर्थियों के लिए लारक्षित की जायेगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष ५० प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अन्यर्थी का धोषणा के आधार पर वर्दीदार ५०% में नियमानुसार चयन किया जायेगा, वह अनुसूचित जारी या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।"
4. यदि अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों की भर्ती शम्भव ४५ प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों तो सभ्यूर्ज अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर किसी जिले/उपखण्ड/विकास खण्ड स्तर पर कोई रिक्ति है और उस जिले/उपखण्ड/विकास खण्ड में अनुसूचित जनजाति का लोग आयथी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी रिक्ति में अनुसूचित क्षेत्र के अन्य जिलों/विकास खण्डों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के धोषणा अन्यर्थियों से ऐसी रिक्तियाँ भरी जायेगी ताकि ४५ प्रतिशत विशेष वाचकण रखे जाने के लक्ष्य की पूर्ति हो सके।

6/iii

5. राज्य स्तर अथवा जिला स्तर पर अनुसूचित खण्डों की रिक्तियों से भिन्न राज्य/जिले की शेष रिक्तियाँ पिंडामान निधनों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 21 प्रतिशत एवं अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 5 प्रतिशत अथवा समय-समय पर प्रवृत्त आरक्षण संबंधी प्राक्षणान्मां के अनुसार आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेंगी।

**स्पष्टीकरण** — इन निर्देशों के प्रयोजनार्थ “अनुसूचित क्षेत्र के अध्यर्थी” से ऐसा व्यवित अभिप्रेत है, जो—

- (क) 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र का सदभावी निवासी है;
- (ख) यदि उसका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उसके माता-पिता 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी रहे हैं और वह अपने जन्म से अनुसूचित क्षेत्र का सदभावी निवासी है; या
- (ग) उक्त खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सदभावी निवासी है।

ये निर्देश दिनांक 16.6.2013 से प्रवृत्त हुए समझे जायेगे।

४०

(कलराज निधन)  
राज्यपाल, राजस्थान,

(क्र. ए. १३२०) कार्यालय/३-२/११ पट्टी

(जय सिंह)  
उप शासन सचिव



